JIWAJI UNIVERSITY GWALIOR

SELF LEARNING MATERIAL

FOR

B.SC. 3 YEAR Foundation Course

PAPER 1: Hindi Language & Moral Values

PAPER CODE: 301

Published By:
Registrar,
Jiwaji University,Gwalior

Distance Education, Jiwaji University, Gwalior

JIWAJI UNIVERSITY GWALIOR

SELF LEARNING MATERIAL

FOR

B.SC. 3 YEAR Foundation Course

PAPER 1: Hindi Language & Moral Values

PAPER CODE: 301

WRITER

Miss KARUNA MAHOR

Master of Computer Application

UNIT-1

अमृतलाल वेगड़ का यात्रा संस्मरण - सौंदर्य की नदी नर्मदा

सुबह विष्णुपरी घाट पर बैठा था। सुबह की गुनगुनी धूप बड़ी प्यारी लग रही थी। सामने है ओंकारेश्वर पहाड़ी नदी का पहाड़ी तीर्थस्थान। संकरी नर्मदा के दोनों ओर खड़ी चट्टानी कगारें हैं। इस तट पर मांधाता, उस तट पर ओंकारेश्वर दोनों मिलकर ओंकार-मांधाता और बीच में अलस गति से बहती शांत. नीरव नर्मदा। नदी बहती हुई भी रुकी सी जान पड़ती है। सुदूर केरल से आकर बालक शंकर ने यहाँ गुरु गोविन्दपाद के आश्रम में रहकर विद्याभ्यास किया था। वे हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ परिव्राजक हैं। भारत की भावनात्मक एकता के लिए उन्होंने जो किया. वह अनुपम है। ऐसे आद्य शंकराचार्य को पावन स्मृति इस ओंकारेश्वर से जुड़ी हुई है। फिर कमलभारती जी. रामदासजी और मायानंदजी सदृश संतों के आश्रम भी यहां रहे। आज भी नए नए आश्रम बनते जा रहे हैं।

नर्मदा तट के छोटे से छोटे तृण और छोटे से छोटे कण न जाने कितने परव्राजकों, ऋषि मुनियों और साधु संतों की पदधूलि से पावन हुए होंगे। यहां के वनों में अनगिनत ऋषियों के आलम रहे होंगे। वहाँ उन्होंने धर्म परविचार किया होगा, जीवन मूल्यों की खोज की होगी और संस्कृति का उजाला फैलाया होगा। हमारी संस्कृति आरण्यक संस्कृति रही। लेकिन

अब हमने उन पावन वनों को काट डाला है और पशु-पक्षियों को खदेड़ दिया है या मार डाला है। धरती के साथ यह कैसा विश्वासघात है। एक आदमी स्नान के लिए आया था। मैंने कहा, " नर्मदा कितनी संकरी है। "

" नमदा की यह एक धारा है। दूसरी ओंकारश्वर के पीछे है। कहते हैं कावेरी नर्मदा से मिली लेकिन थोड़ी ही देर में दोनों में अनबन हो गई और कावेरी नर्मदा से अलग हो गई। ओंकारेश्वर के इस ओर है नर्मदा. उस ओर है कावेरी। "

" दोनों फिर मिलती हैं या नहीं? "

" जहाँ ओकारेश्वर का टापू खत्म होता है, वहीं दोनों फिर मिल जाती है। नर्मदा ने आखिर छोटी बहना को मना लिया। इसलिए असली कावेरी संगम बाद का है, पहला नहीं। "

पहले आगमन, फिर बहिर्गमन, अंत में पुनरागमन! बढ़िया कल्पना है!

यहाँ बैठा सामने के घाट को देख रहा हूँ। वहाँ न जा पाने का कोई दुख नहीं है क्योंकि ओंकारेश्वर दो बार हो आया हूँ। लेकिन अनिल और श्यामलाल से कहा कि तुम जरूर हो आओ। नाव से जाना, पुल से आना। यहाँ से मोरटक्का। वहाँ तक सड़क जाती है, लेकिन हम सड़क से नहीं जाएँगे, नदी के किनारे-किनारे जाएँगे।

दोपहर को निकले। लेकिन थोड़ी ही देर में समझ में आ गया कि दोपहर को चलकर गलती की। सूरज सामने रहता है, चट्टानें तंदूर को तरह गरमा गई हैं और श्यामलाल नंगे पाँव है। लेकिन वह तो शायद दहकते अंगारों पर भी चल सकता है।

कभी चट्टानों से जूझते, कभी झाड़ी से उलझते तो कभी सामने तट की पर्वत-माला से आते हवा के झोंकों का आनंद उठाते आगे बड़ रहे थे। कभी रुक जाते माथे का पसीना पोंछते और आगे बढ़ते। शाम को मारटक्का के खेडीघाट पहुँचे। यहाँ नर्मदा पर सड़क का पुल है, पास में रेल का पुल भीहै। रात यहीं बिताई।

सुबह उठते ही अनिल ने कहा, " जरा ऊपर देखिए। '

मध्य आकाश में चाँद था। मैंने कहा. " सूरज के हिसाब से अभी सबेरा है, लेकिन चांद के हिसाब से अभी दोपहर है!"

अनिल के लिए यह भले ही विस्मय की बात हो, पर मैं तो चाँद के एक से एक करतब देख चुका हूँ। कभी पूर्ण कुंभ. तो कभी बारीक रेखा उसका बांकपन कभी सीधा तो कभी उलटा, कभी घटता तो कभी बढ़ता कभी निकलते ही डूबने की तैयारी तो कभी आधी रात को गायब और भरी दोपहर को हाजिर! क्या कहना इस मनमौजी का!

चांद जब यह सब कर सकता है। तो एक करतब उसे और दिखाना था। सूर्योदय और सूर्यास्त के कारण पूर्व और पश्चिम दिशाओं की छटा देखते ही बनती है। उपेक्षित रह जाते हैं उत्तर और दक्षिण। क्या ही अच्छा होता अगर चाँद उत्तर में निकलता और दक्षिण में डूबता!

चंद्र का ऐसा अपूर्व उदय देखकर सूर्य भी निरुत्तर रह जाता!

, यहाँ से रास्ता आसान है, झाड़ी खत्म। रात गोमुख-बावड़ी में रहे। सुबह चल दिए। थोड़ी देर में कांकरिया पहुँचे। नदी-तट पर एक खंडहर सी धर्मशाला थी। ऊपर छप्पर नहीं था, खिड़की में पल्ले नहीं थे। खिड़की के इस फ्रेम में से पनिहारिनें ऐसी दीख रही थीं. मानो मैं रंगीन टी .वी. देख रहा होऊँ! खिड़की के पास से देखता तो वाइड व्यू दिखता और हटकर देखता तो क्लोजअप नजर आता! ऐसा लाइव-टेलिकाष्ट तो संसार का श्रेष्ठतम टी.वी. सेट भी नहीं दे सकता।

दोपहर को रावेर पहुँचे। यहाँ नदी तट पर पेशवा का स्मारक है। वहीं एक पेड़ के नीचे खाना बनाया। जब तक झाड़ी में थे. ईंधन की कोई कमी न थी। लेकिन अब लकड़ी मिलना मुश्किल हो गया है। थोड़ी बहुत मिली. बाकी मैं दूर किनारे से ढूंढ लाया। बाद में पता चला कि वे चिता की लकडियाँ थीं।

शाम को बकावा पहुँचे। वहाँ नदी किनारे एक चबूतरा था। आज का रात्रि विश्राम इसी चबूतरे पर था। यहाँ से एक सँकरी पथरीली सड़क नर्मदा के मध्य तक चली गई थी। स्वच्छ पानी भरने के लिए यह सबसे अच्छी जगह थी इसलिए यहाँ पनिहारिनों की भीड़ लगी रहती थी। जल की सतह से जरा से उठे हुए इस जनपथ से आती पनिहारिनें जलपरी सी लग रही थीं। लेकिन ये कोई जलपरियाँ नहीं थीं। ये थीं श्रमबालाएँ, कठोर श्रम करती ग्राम नारियाँ। लेकिन यह श्रम ऐसा था, जो खेल बन गया था। हँसती किलकती,ठिठोली करती स्वस्थ नारियों को अनुभव ही नहीं हो रहा था कि उनके सिर पर भारी बोझ रखा हुआ है, वे नंगे पैर हैं और नीचे ऊबड़-खाबड़ पत्थर हैं। वे ऐसे जा रही हैं, जैसे शहर की लड़कियाँ पिकनिक को जाती हैं।

श्रम का यह कैसा उत्सव है! नित्य उत्सव। सबेरे इस छोटे से गाँव से विदा लेते समय इस पावन दृश्य को मैंने मुड़-मुड़कर देखा।

आगे पड़ा मर्दाना। यह गाँव कुछ बड़ा है, दो-एक दुकानें भी हैं। अनिल और श्यामलाल सौदा लेने लगे, मैं दूर खड़ा था। वहाँ एक वृद्ध बैठे थे।

उन्होंने कहा, " आप खरीद क्यों रहे हैं? मेरे यहाँ सदाव्रत दिया जाता है, चलिए। " तुला-तुलाया सौदा वापस करना पड़ा।।

" यह सदाव्रत कब से चल रहा है?"

' " पचहत्तर साल से। पचहत्तर साल पहले मेरा जन्म हुआ था। इस खुशी में मेरे पिता ने यह शुरू किया था, जो आज तक चला आ रहा है। मैंने अपनी जमीन चारों बेटों में बाँट दी है, लेकिन दो एकड़ जमीन सदाव्रत के लिए अलग रख दी है। मैं नहीं रहूँगा पर सदाव्रत रहेगा। "

जिन्दगी तो कुल एक पीढ़ी भर की होती है, पर नेक काम पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलता रहता है।

शाम को भटियान पहुँचे। नर्मदा के बालुई तट पर बसा छोटा-सा गाँव। नदी किनारे पेड़ों के पास एक पक्की छोटी धमशाला है। इसमें एक दुबले-पतले बाबा रहते हैं। बच्चों-सा सरल स्वभाव। गांव के लोग इन्हेंखूब चाहते हैं। कोई तीस बरस से यहाँ हैं। हमें बड़े प्रेम से अपने साथ ठहराया। बातें होने लगीं तो मैं समझ गया कि इनकी मातृभाषा गुजराती है।फिर तो गुजराती में बातें होने लगीं। मैंने कहा, " इतने वर्षों के बाद भी आप गुजराती भूले नहीं? "

उन्होंने कहा, " मातृभाषा को कोई कैसे भूल सकता है? "

सुबह जब चलने लगे, तो बड़े प्यार से बोले, " आवजो। "

घड़ी भर के लिए वे संन्यासी में से गहस्थ बन गए थे। विदा लेते मेहमान से कह रहे थे, " आवजो। " फिर आना।

अगला पड़ाव मर्कटीतीर्थ। निजन एकांत में वेदा और नर्मदा के संगम पर स्थित ऊँचे टीले पर एक मंदिर है. उसी में रहे। मंदिर में एक युवा पुजारी है और है उसकी माँ। पुजारी की माँ ने कहा. " आज से कोई तीन साल पहले अचानक यह लडका घर से चल दिया। बहुत ढूंढा पर नहीं मिला। कोई सालभर बाद अमरकंटक से चिट्ठी आई कि मैं नर्मदा परिक्रमा पर निकल गया हूँ, मेरी बाट मत जोहना। लेकिन माँ का दिल तो है। सोचती थी, परिक्रमा पूरी करने के बाद मेरा बेटा लौट आएगा। लेकिन परिक्रमा करते-करते इसने तो जोग ही धारण कर लिया। "

एक ठंडी साँस लेकर उसने कहा," कोई पंद्रह साल की उस में हमने इसकी सगाई की थी। लड़की के पिता ने सात साल तक इंतजार किया। जब हमने उसके घर लौटने की उम्मीद पूरी तरह छोड़ दी. तब पिछले साल ही उन्होंने अपनी बेटी की शादी दूसरी जगह की। उस लड़की से मुझे कितनी ममता हो गई थी। "

चूल्हे की आग को ठीक करते हुए उसने अपना कहना जारी रखा,' 'बड़ा एकांत है यहाँ। पास में कोई गाँव नहीं। मैं और मेरा बेटा, बस हम दोही हैं यहाँ। वह तो दिन भर पूजापाठ में लगा रहता है, मेरा समय काटे नहीं

कटता। यहाँ रहती हूँ तो घर की याद आती है, घर जाती हूँ तो इसकी चिन्ता सताती है। कल रात को ही यहाँ दो मुँह वाला साँप निकला था। मैं बेहद डर गई। बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। "

बेचारी माँ! उसके मन के दो टुकड़े हो गए हैं। एक हिस्सा यहाँ है,दूसरा घर रह गया है।

बाहर खुले में सोए। आकाश साफ था और रात सुहानी थी। तारे इतने पास लग रहे थे कि हाथ बढाओ और छू लो।

सुबह चल दिए। दोपहर तक नावडाटोडी पहुँच गए। सामने तट पर है महेश्वर- रानी अहिल्याबाई का नगर। अहिल्याबाई अत्यंत कुशल प्रशासकथीं और नर्मदा की परम भक्त थी। महेश्वर में उनके बनवाए घाट इस तट से बड़े ही सुंदर लग रहे थे।

यहाँ एक सज्जन रहते हैं। पहले सरकारी अफसर थे। अच्छी पेन्शन मिलती है। अपनी सारी पेन्शन कुत्तों पर खर्च करते हैं। इस गाँव के तो क्या,आसपास के लोग भी इन्हें खूब चाहते हैं। मिलने पर बोले, " चाय की इस दुकान की यह बैंच ही मेरा घर है और इस झोले में मेरी सारी गृहस्थी है। गाँव के कुत्ते मेरे स्वजन हैं। " फिर धीर-से बोले, " आदमी से कुत्ते अच्छे। "जीवन के किन कटु अनुभवों ने उनके मन में मनुष्य के प्रति ऐसी कटुता उत्पन्न की होगी।

' 'देवी-देवता में मेरा कोई विश्वास नहीं। साधु-संतों पर भी नहीं। बाहर से धर्मात्मा होने का ढोंग रचते लोगों को ऊपर से नीचे तक गंदगी में डूबा हुआ देख चुका हूँ। बस, एक नर्मदा को मानता हूँ। मुझे वह हर घड़ी दिखनी चाहिए। बरसात में बाढ़ का पानी जब तक इस बैंच को छूता नहीं,तब तक यहाँ से नहीं जाता। नर्मदा के बिना मैं नहीं रह सकता। "

फिर हँसकर बोले, ' 'यहाँ के लोगों ने मुझे खूब प्यार दिया। जब मरूँगा, तब मेरी ऐसी शव-यात्रा निकलेगी कि किसी नेता की क्या निकलेगी। दुख यही है कि उसे देखने मैं जिन्दा नहीं रहूँगा। "

सुबह मन में सहस्रधारा देखने की उत्कंठा लेकर चले। मंडला की सहस्रधारा कई बार देख चुका हूँ, महेश्वर के पास की इस बड़ी सहस्रधारा को पहली बार देखूँगा।

थोड़ी देर में शोर सुनाई पड़ने लगा तो चाल तेज हो गई। देखते-देखते सहस्रधारा आ गए। नर्मदा यहाँ खूब फैल गई है, हजारों धाराओं में बंट गईहै। इन धाराओं में छोटे-छोटे अनगिनत प्रपात फड़फड़ा रहे हैं। चारों ओर धाराओं का जाल-सा फैला है। इन आड़ी-टेढ़ी, आंकी-बांकी जलधाराओं से नर्मदा ने यहाँ मानो झीनी-झीनी बीनी रे चदरिया!

पानी की चादर, जलधाराओं के ताने-बाने, चट्टानों का करघा! ऐसी चादर तो बस नर्मदा ही चुन सकती है और ऐसी चादर तो बस धरती ही ओढ़ सकती है!

और यह धारा शब्द नर्मदा के साथ खूब जुड़ा हुआ है। अमरकंटक से. निकलते ही कपिलधारा और दूधधारा। मंडला की सहस्रधारा. बरमानघाटकी सतधारा, ओंकारेश्वर के पास धाराक्षेरु और महेश्वर के पास पुन : सहस्रधारा! कैसी धाराप्रवाह नदी है यह!

जहाँ-जहाँ धारा शब्द आया है. वहाँ प्रपात जरूर है। चाहे कपिलधारा जैसा ऊँचा प्रपात हो। चाहे सहस्रधारा के इन तितलियों जैसे छोटे-छोटे प्रपात हों। जबलपुर के धुआँधार में धारा शब्द आते आते रह गया। वैसे धार, धारा का ही तो अनुज है!

पर अब चलना चाहिए। धूप तेज हो रही है। आगे का मार्ग कठिन है। थोड़ी देर के लिए किनारा छोड़ना होगा। चलते चलते एक टीले पर आ गए। इस ऊँचे झरोखे से सहस्रधारा के नन्हे ..मुन्ने प्रपात एक साथ दिखाई दे रहे थे। नन्हे-मुन्ने क्या, एकदम दुधमुंहे। इनके मुँह से दूध अभी छूटा ही कहाँ। ढालखेड़ा में राघवानंद जी के आश्रम में रहे। यहां किसी ने बताया कि नर्मदा में वह जो टापू दिखाई दे रहा है. एक फ्रेंच मुगल उसमें छह महीने तक रहा। बरसात में उस तट पर चला गया। कुछ समय पहले फ्रांस लौट गया।

ऐसी कौन-सी डोर होगी, जो सात समंदर पार के फ्रेंच नौजवान पति-पत्नी को नर्मदा के इस सुनसान टापू में खींच लाई होगी- सौंदर्यपिपासु मन, एकांत साधना की चाह, या पश्चिम को आपाधापी से विलग होकर पूर्व की शांति में डुबकी लगाने की प्रबल इच्छा?

रात को बाहर खुले में सोए। इस बार की यात्रा में नर्मदा में इतने टापू देखे हैं कि रात को आकाश-गंगा में भी मुझे अनेक टापू दिखाई दिए। सुबह चल दिए। आज दीवाली है। दोपहर तक साटक-संगम पहुँच जाएंगे। वहाँ नर्मदा का प्रसिद्ध खलघाट पुल है। वहीं इस बार की यात्रा समाप्त करेंगे।

थोड़ी देर में साटक-संगम पहुँच गए। साटक एक छोटा-सा झरना है,लेकिन इसे पार करने में एक नाटक हुआ। साटक में एक नन्हा प्रपात था। उसे देखते हुए मैं पानी में उतरा। उतरते ही काई लगे पत्थर पर से फिसलकर गिरा। किसी तरह उठा कि दुबारा गिरा। साटक ने अपने अंक में मुझे दो बारलिया, इसलिए यह नाटक एकांकी न रहकर द्विअंकी हो गया!

पास ही एक मंदिर है। मंदिर की देखभाल एक महाराष्ट्रियन महिला करती है। माता के स्नेह से हमें मंदिर में ठहराया। मैंने कहा, " हमारी इस बार की यात्रा यहाँ समाप्त हो रही है। कल सुबह घर लौट जाएँगे। अगले साल फिर यहाँ आएंगे और दशहरे से आगे बढेंगे। "

" आगे शूलपाण की झाड़ी पड़ेगी। उसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। "

सुना क्यों नहीं! कितने ही परकम्मावासियों से कितनी ही बातें सुनी हैं। झाड़ी में तीर- धनुष लेकर भील आते हैं और सब कुछ लूट लेते हैं। अंत में परकम्मावासी के पास बच रहती है केवल लँगोटी और तूँबी। लेकिन इन्हीं बातों ने हमारे अंदर झाड़ी के प्रति विशेष आकर्षण जगा दिया है। राजघाट (बड़वानी) से झाड़ी शुरू होगी। आपके पास यह वो सामान है न, इसमें से कुछ न बचेगा। कपड़े और चश्मा तक उतार लेंगे। "

लँगोटी लगाकर रह लूंगा, लेकिन मेरी स्केच-बुक ले ली, चश्मा ले लिया, तो समझिए मेरे कवच-कुंडल ही उतार लिए। नंगे बदन ठंड कैसे बर्दाश्त होगी।

मुझे कुछ सोच में देखकर उसने कहा. " एक काम करो। झाडी में से मत जाओ, बाहर-बाहर से निकल जाओ। "

' नहीं, हरगिज नहीं! झाड़ी में से ही जाएँगे, चाहे जो हो। हाँ, एक काम कर सकते हैं। दीवाली की छुट्टी के बजाय गरमी की छुट्टी में चलें। गरमी में नंग- धडंग रह लेंगे, ठंड बर्दाश्त न होगी।

रात का अंधेरा जल में उतर आया था और काजल-सा काला हो चला था। बिस्तर में पड़ा-पड़ा तारों को निहारता मैं गुनगुना रहा था-

मध्य प्रदेश लोक नृत्य और लोक गीत

लोक नृत्य

भारत के किसी अन्य हिस्से की तरह मध्यप्रदेश भी देवी देवताओं के समक्ष किए जानेवाले और विभिन्न-अनुष्ठानों से संबंधित लोक नृत्योंद्वारा अपनी संस्कृती का एक परिपूर्ण दृश्य प्रदान करता है। लंबे समय से सभी पारंपरिक नृत्य , आस्था की एक पवित्र अभिव्यक्ति रहे है। मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग और मध्यप्रदेश की आदिवासी लोक कला अकादमी द्वारा खजुराहो में आयोजित 'लोकरंजन ' - एक वार्षिक नृत्य महोत्सव है, जो मध्यप्रदेश और भारत के अन्य भागों के लोकप्रिय लोक नृत्य और आदिवासी नृत्यों को पेश करने के लिए एक बेहतरीन मंच है।

जब बुंदेलखंड क्षेत्र का प्राकृतिक और सहज नृत्य मंच पर आता है , तब पूरा माहौल लहरा जाता है और देखने वाले मध्यप्रदेश की लय में बहने लगते है। मृदंग वादक ढोलक पर थापों की गति बढाना शुरू करता है और नृत्य में भी गति आ जाती है। गद्य या काव्य संवादों से भरा यह नृत्य प्रदर्शन , 'स्वांग' के नाम से मशहूर है। संगीत साधनों के साथ माधुर्य और संगीत से भरे नर्तक के सुंदर लोकनृत्य का यह अद्वितीय संकलन है। बढ़ती धड़कन के साथ गति बढ़ती जाती है और नर्तकों के लहराते शरीर , दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। यह नृत्य विशेष रूप से किसी मौसम या अवसर के लिए नहीं है , लेकिन इसे आनंद और मनोरंजन की एक कला माना जाता है।

बाघेलखंड का 'रे' नृत्य, ढोलक और नगारे जैसे संगीत वाद्ययंत्र की संगत के साथ महिला के वेश में पुरूष पेश करते है। वैश्य समुदाय में , विशेष रूप से बच्चे के जन्म के अवसर पर , बाघेलखंड के अहीर समुदाय की महिलाएं यह नृत्य करती है। इस नृत्य में अपने पारंपरिक पोशाक और गहनों को पहने नर्तकियां शुभ अवसर की भावना व्यक्त करती है।

मटकी

'मटकी' मालवा का एक समुदाय नृत्य है , जिसे महिलाएं विभिन्न अवसरों पर पेश करती है। इस नृत्य में नर्तकियां ढोल की ताल पर नृत्य करती है , इस ढोल को स्थानीय स्तर पर 'मटकी' कहा जाता है। स्थानीय स्तर पर झेला कहलाने वाली अकेली महिला, इसे शुरू करती है, जिसमे अन्य नर्तकियां अपने पारंपरिक मालवी कपड़े पहने और चेहरे पर घूंघट ओढे शामिल हो जाती है। उनके हाथो के सुंदर आंदोलन और झुमते कदम, एक आश्चर्यजनक प्रभाव पैदा कर देते हैं।

गणगौर

यह नृत्य मुख्य रूप से गणगौर त्योहार के नौ दिनों के दौरान किया जाता है। इस त्योहार के अनुष्ठानों के साथ कई नृत्य और गीत जुडे हुए है। यह नृत्य , निमाड़ क्षेत्र में गणगौर के अवसर पर उनके देवता राणुबाई और धनियार सूर्यदेव के सम्मान में की जानेवाली भक्ति का एक रूप है।

बधाईं

बुंदेलखंड क्षेत्र में जन्म, विवाह और त्योहारों के अवसरों पर 'बधाईं' लोकप्रिय है। इसमें संगीत वाद्ययंत्र की धुनों पर पुरुष और महिलाएं सभी , ज़ोर शोर से नृत्य करते हैं। नर्तकों की कोमल और कलाबाज़-हरकतें और उनके रंगीन पोशाक दर्शकों को चकित कर देते है।

बरेडी

दिवाली के त्योहार से पूर्णिमा के दिन तक की अवधि के दौरान बरेडी नृत्य किया जाता है। मध्यप्रदेश के इस सबसे आश्चर्यजनक नृत्य प्रदर्शन में , एक पुरुष कलाकार की प्रमुखता में , रंगीन कपड़े पहने 8-10 युवा पुरुषों का एक समूह नृत्य करता हैं। आमतौर पर, 'दीवारी' नामक दो पंक्तियों की भक्ति कविता से इस नृत्य प्रदर्शन की शुरूवात होती है।

नौराता

मध्यप्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में अविवाहित लड़कियों के लिए इस नृत्य का विशेष महत्त्व है। नौराता नृत्य के जरीये, बिनब्याही लडकियां एक अच्छा पति और वैवाहिक आनंद की मांग करते हुए भगवान का आह्वान करती है। नवरात्रि उत्सव के दौरान नौ दिन , घर के बाहर चूने और विभिन्न रंगों से नौराता की रंगोली बनाई जाती है।

अहिराई

भरम, सेटम, सैला और अहिराई , मध्यप्रदेश की 'भारीयां' जनजाति के प्रमुख पारंपरिक नृत्य हैं। भारीयां जनजाति का सबसे लोकप्रिय नृत्य , विवाह के अवसर पर किया जाता है। इस समूह नृत्य प्रदर्शन के लिए ढोल और टिमकी इन दो संगीत उपकरणों का (पीतल धातु की थाली की एक जोड़ी) इस्तेमाल किया जाता हैं। ढोल और टिमकी बजाते हुए वादक गोलाकार में घुमते है, ढोल और टिमकी की बढती ध्वनी के साथ नर्तकों के हाथ और कदम भी तेजी से घुमते है और बढती चढती धून के सा-थ यह समूह एक चरमोत्कर्ष तक पहुँचता है। संक्षिप्त विराम के बाद , कलाकार दुबारा मनोरंजन जारी रखते है और रात भर नृत्य चलता रहता है।

भगोरियां

विलक्षण लय वाले दशहरा और डांडरियां नृत्य के माध्यम से मध्यप्रदेश की बैगा आदिवासी जनजाति की सांस्कृतिक पहचान होती है। बैगा के पारंपरिक लोक गीतों और नृत्य के साथ दशहरा त्योहार की उल्लासभरी शुरुआत होती है। दशहरा त्योहार के अवसर पर बैगा समुदाय के विवाहयोग्य पुरुष एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं, जहां दूसरे गांव की युवा लड़कियां अपने गायन और डांडरीयां नृत्य के साथ उनका परंपरागत तरीके से स्वागत करती है। यह एक दिलचस्प रिवाज है , जिससे बैगा लड़की अपनी पसंद के युवा पुरुष का चयन कर उससे शादी की अनुमति देती है। इसमें शामिल गीत और नृत्य , इस रिवाज द्वारा प्रेरित होते हैं। माहौल खिल उठता है और सारी परेशानियों से दूर , अपने ही ताल में बह जाता है।

परधौनी, बैगा समुदाय का एक और लोकप्रिय नृत्य है। यह नृत्य मुख्य रूप से दूल्हे की पार्टी का स्वागत और मनोरंजन करने के लिए करते हैं। इसके द्वारा खुशी और शुभ अवसर की भावना व्यक्त होती है।

कर्मा और सैली (गोंड), भगोरियां (भिल), लेहंगी और थाप् (सहारियां)ती यह कुछ अन्य (कोरकू) जानेमाने आदिवासी नृत्य है।

लोक गीत

किसी भी देश का इतिहास , वहां के लोकप्रिय गीतों के द्वारा बताया जाता है। पारंपरिक संगीत के चाहने वालों के लिए मध्यप्रदेश बेहतरीन दावते प्रदान करता है। यह लोक गीत , गायन की विशिष्ट शैली के द्वारा बलिदान , प्यार, कर्तव्य और वीरता की कहानियां सुनाते हैं। मूल रूप से राजस्थान के 'ढोला मारू' लोकगीत, मालवा, निमाड़ और बुंदेलखंड क्षेत्र में लोकप्रिय है और इन क्षेत्रों के लोग अपनी विशिष्ट लोक शैली में प्यार, जुदाई और पुनर्मिलन के ढोला मारू गीत गाते है।

मध्यप्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में हर अवसर पर , यहां तक कि मौत पर भी महिलाओं को लोक गीत गाते देखना, कोई आशचर्य वाली बात नही है।

लोक गायन का एक रूप 'कलगीतुर्रा', मंडला, मालवा, बुंदेलखंड और निमाड़ क्षेत्रों में लोकप्रिय है, जो चांग और डफ की धून के साथ प्रतियोगिता की भावना में जोश भरता है। इसमे महाभारत और पुराणों से लेकर वर्तमान मामलों पर आधारित गाने शामिल होते हैं और एक दूसरे को चतुराई से मात देने की कोशिशे रात भर चलती है। इस पारंपरिक गायकी का मूल , चंदेरी राजा शिशुपाल के शासनकाल मे पाया गया है। निमाड़ क्षेत्र में 'निर्गुनी' शैली के नाम से लोकप्रिय इस गायकी में सिंगजी, कबीर, मीरा, दादू जैसे संतों द्वारा रचित गीत गाये जाते हैं। इस गायन में आम तौर पर इकतारा और खरताल इन साजों का साथ होता है। निमाड़ में (लकडी से जुडे छोटे धातु पटल वाला एक संगीत उपकरण) लोकगायन का एक अन्य बहुत लोकप्रिय रूप है 'फाग', जो होली के त्योहार के दौरान डफ और चांग के साथ गाया जाता है। यह गीत प्रेमपूर्ण उत्साह से भरपूर होते है।

निमाड़ में नवरात्रि का त्योहार , लोकप्रिय लोक नृत्य गरबा के साथ मनाया जाता है। गरबा गीत के-साथ गरबा नृत्य, देवी शक्ति को समर्पित होता है। पारंपरिक रूप से गरबा पुरुषों द्वारा किया जाता है और यह निमाड़ी लोक का (ढोल एक रूप) नृत्य और नाटक का एक अभिन्न हिस्सा है। गायन को मृदंग-साथ होता है। रासलीला के दौरान यह गौलन गीत गाए जाते हैं। मालवा क्षेत्र के नाथ समुदाय के बीच कथा के-भर्तृहरी लोकप्रवचन सबसे लोकप्रिय गायन फार्म है। चिंकारा नामक सारंगी का एक रूप), जो घोड़े के बाल से बने तारों वाला वाद्य होता है, मुख्य शरीर बांस से बना होता है और नारियल खोल से धनुष बनाया जाता हैं स्थानीय साज के साथ महान राजा भर्तृहरी और कबीर (, मीरा, गोरख और गोपीचंद जैसे संतों द्वारा रचित भजन गाए जाते है। इससे एक अद्वितीय ध्वनि निकलती है।

मालवा क्षेत्र में युवा लड़कियों के समूह द्वारा गाये जाने वाले गीत, लोक संगीत का एक पारंपरिक मधुर और लुभावना फॉर्म है। समृद्धि और खुशी का आह्वान करने हेतु लड़कियां गाय के गोबर से संजा की मूरत बनाती है और उसे पत्ती और फूलों के साथ सजाती है तथा शाम के दौरान संजा की पूजा करती है। 18 दिन बाद, अपने साथी संजा को विदाई देते हुए यह उत्सव समाप्त होता है। मानसून की बारिश प्यासी पृथ्वी की प्यास बुझाती है , है, पेड़ो पर झुले सजते हैं और ऐसे में मालवा क्षेत्र के गीत सुनना मन को बेहद भाता है। हिड गायन में कलाकार पूर्ण गले की आवाज के साथ और शास्त्रीय शैली में आलाप लेकर गाते हैं। मालवा क्षेत्र में मानसून के मौसम के दौरान 'बरसाती बरता' नामक गायन आमतौर पर होता है। बुंदेलखंड क्षेत्र योद्धाओं की भूमि है। अपने योद्धाओं को प्रेरित करने हेतु बुंदेलखंड के अलहैत समुदाय ने अल्लाह उदुल के वीर कर्मो से भरे गीतों की रचना की। 52 युद्ध लड़नेवाले अल्लाह उदुल की बहादुरी, सम्मान, वीरता और शौर्य के किस्से, इस क्षेत्र के लोग बरसात के मौसम के दौरान परंपरागत रूप से प्रदर्शित करते हैं। इसे ढोलक छोटा ढोल), जिसे दोनो तरफ से हाथ के साथ बजाया जाता है लोहा) और नगारे (, तांबा जैसे धातु के दो ढोल , खोखले बर्तन के खुले चेहरे पर तानकर फैली भैंस की त्वचा जो पारंपरिक तरिके से लकड़िया से पीटा जाता हैके साथ गाया जाता है। (

होली, ठाकुर, इसुरी और राय फाग उत्सव से संबंधित गाने भी होते हैं। दिवाली के त्योहार के अवसर पर ढोलक, नगारा और बांसुरी की धुन के साथ देवरी गीत गाए जाते हैं। शिवरात्री , बसंत पंचमी और मकर संक्रांति के त्योहार के मौकों पर बुंबुलिया गीत गाए जाते हैं। बाघेलखंड क्षेत्र के लोक गीतों की-गायन शैली मध्यप्रदेश के अन्य क्षेत्रों से अलग है। इसमे पुरुष और महिला, दोनों की आवाज मजबूत और शक्तिशाली होती हैं। इन गानों में समृद्धि और विविधता होती है , जो इस क्षेत्र की संस्कृति और विरासत को दर्शाते है। गीतों के विषय में काफी विविधता होती है और उनमे विभिन्न विषय शामिल होते है।

बासदेव, बाघेलखंड क्षेत्र के गायकों का पारंपरिक समुदाय है , जो सारंगी और चुटकी पैंजन के साथ , पौराणिक बेटे श्रवण कुमार से जुडे गीत गाता है। पीले वस्त्र और सिर पर भगवान कृष्ण की मूर्ति से उनकी पहचान होती हैं। गायकों की जोड़ी यह गीत गाती है। रामायण तथा कर्ण , मोरध्वज, गोपचंद, भर्तृहरी, भोलेबाबा की कहानियां, बासदेव के गीतों के अन्य विषय है। गायकों की मनोवस्था दर्शाती , बिरहा और बिदेसीयां, बाघेलखंड की गायकी की दो अन्य महत्वपूर्ण शैलियां है। बिदेसीयां गीत प्यार , जुदाई और प्रेमी के साथ पुनर्मिलन के विषय से संबंधित होते है। बिदेसीयां गीत , प्यार करनेवाले से जल्दी लौटने की गुज़ारिश करता है। होली के त्योहार पर गाए जानेवाले 'फाग' गीत, बसंत मौसम और व्यक्तिगत संबंधों की अभिव्यक्ति करते हैं। नगारा जोर शोर से बजता है और गाने वाले उस धून पर-सवार हो जाते हैं।

मध्यप्रदेश की प्रमुख लोकचित्र कला

1. निमाड़ की लोक चित्रकला

निमाड़ अंचल में लोक चित्रकला की परंपरा सदियों से चली आ रही है घर की दीवारों पर कुछ ना कुछ रेखांकन अवश्य मिलते हैं यही लोग चित्र जो परंपरा से बनते मिटते चले आ रहे हैं पूरे वर्ष पर्व तिथि त्योहारों से संबंधित क्षेत्रों से संबंधित भित्ति चित्रों का रेखांकन पूजा प्रतिष्ठान चर्चा एवं से संबंधित लोकगीत कथाएं वार्ता जल्दी ही रहती है

हरियाली अमावस्या की जिरोती, नागपंचमी को नाग भित्तिचित्र, कुवार मास में संजाफुली, नवरात्रि में नवरात्र,दशहरे के दिन दशहरा का चित्र शैली, सप्तमी पर हाथ (थापा) दीपावली पर पड़वा गोवर्धन, दिवाली दूज पर भाई दूज का भित्ति चित्र,दीवाली पर ही व्यापारियों द्वारा शुभ मुहूर्त लक्ष्मी पूजा में गणपति और सरस्वती का हल्दी कुमकुम से रेखांकन ,देव प्रबोधिनी ग्यारस पर खोपड़ी पूजन, विवाह में कुल देवी का भित्तिचितत्र ,दरवाजे पर सती मुख्य द्वार पर गणपति पाना दूल्हा दुल्हन के हाथों में मेहंदी मांडना ,दूल्हा दुल्हन के मस्तक पर कंकाली भरना, पहले सुसु जानवर पर पगलिया का शुभ संदेश रेखांकन शांतिया और चौक कलश आदि मेला बाजारों में भिन्न-भिन्न गुना आकृतियों का रेखांकन निर्माण की अजस्त्र लोकचित्र परंपरा है !

भूमि अलंकरण के रूप में मांड्णा सर्वथा एक स्वतंत्र रूप पूर्णकला विधा है दीपावली पर तो मांड्णा घर आंगन लक्ष्मी पूजा की जगह विशेष रूप से बनाए जाते हैं मांड्णा की कलाकार घर की महिलाएं होती मांड्णा के दो मूल मिट्टी मांड्णा के दो मूल मिट्टी रंग आदिम से प्रचलित है

एक गैरू तथा दूसरा खड़िया गैरों की लाल मुंडा लहरी रेखाओं के आसपास जब खड़िया की सफेद रेखा कलात्मक कल्पनाशील जल बूंदी है तब मांड्णा से बनने ज्यामितिक प्रतीकों के सौंदर्य और अर्थ में श्री वृद्धि हो जाती है मांड्णा घर की सुंदरता तो बढ़ती ही है मांगलिक ता के साथ धन-धान्य की भी पूर्ति करते हैं

2. मालवा की लोक चित्रकला

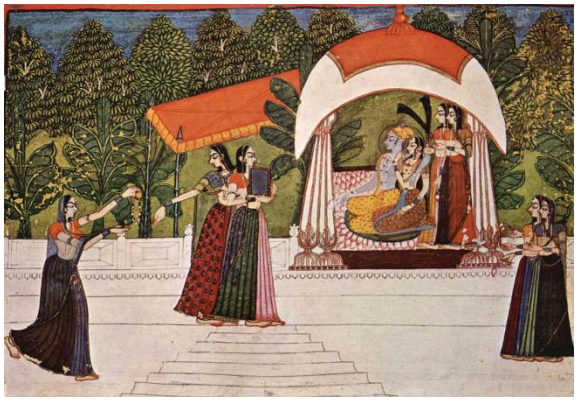

मालवा में दो तरह की लोकचित्र परंपरा है एक वह परंपरा जो पर्व त्योहारों पर घर की महिलाएं व्रत अनुष्ठान के साथ दीवारों पर गेरों खड़िया चावल के आटे को घोलकर बनाती हैं वह दूसरी जिनके बनाने वाले पैसेवर चितेरे होते हैं इस चित्र कला को मालवा में चित्रों व कहते हैं जो घर की बाहरी व्यक्तियों अथवा मंदिरों के अहतों में बनाई जाती है !

पर्व त्योहारों पर बनाई जाने वाली चित्रकला की दो तरह की होती है एक भित्ति चित्र दूसरे में अलंकरण मालवा के भित्ति चित्रों की अजस्त्र अतुल परंपरा है दिवासा नाथ भेरू जी सरवण जन्माष्टमी संजा माई माता दी भक्ति कला के श्रेष्ठ उदाहरण है

इनमें संजय मालवा की किशोरियों का पर्व है जो पूरे श्रद्धा पक्ष में मनाया जाता है इस में किशोरियों प्रतिदिन गोबर फूल पत्ती अथवा चमकीली पत्तियों से 16 दिन संजा के अलग-अलग पारंपरिक आकृतियां बनाती हैं अंतिम दिन सुंदर किला कौण बनाया जाता है लड़कियां प्रतिदिन संध्या की आरती उतारकर समूह में गीत गाती है

चित्र बनाने वाले कलाकारों की एक जाति विशेष होती है जिन्हें विवाह में बाहर दीवार पर विश्रावण के लिए मान सम्मान और नेक के साथ आमंत्रित किया जाता है चित्रावन कलाकार आकृति अलंकरण में बनाई गई आंखों के हिसाब से अपना परिश्रमिक तय करते हैं उनके साथ में एक अलग होता है

चितेरे ,मंगल कलश, मुख्य द्वार सज्जा,कलश ठुलाती महिलाएं भक्ति में दूल्हा दुल्हन हाथी पर दूल्हा-दुल्हन बारात बैंड वाले घुड़सवार पालकी बेल-बूटे बूटे पशु-पक्षी ब्याई ब्याण गणेश शंकर पार्वती देवी देवताओं के रंगीन चित्रों उकेरते हैं मंदिरों में देवी देवताओं के संबंधित चित्र अधिक होते हैं

चित्र वर्णन में मिट्टी के चटकरगों का उपयोग किया जाता है चित्र वर्णन के चितेरे इतने सिद्धहस्त होते हैं कि वह बिना से स्केच के दीवार पर सीधा चित्र बनाते हैं उज्जैन के श्री धूल जी चित्रावण शैली के सबसे वरिष्ठ और शीर्ष चित्रकार हैं उनके चित्र भारत भवन मानव संग्रहालय मध्यप्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद भोपाल हस्तशिल्प दिल्ली तथा विदेशों तक में संकलित है

3. बुंदेलखंड की लोक चित्रकला

बुंदेलखंड में लोक चित्र परंपरा अपनी पृथक पहचान रखती है पर्व त्योहारों पर बुंदेली महिलाएं उनसे संबंधित चित्र रेखांकन बनाकर उनकी पूजा कथा कहती हैं वर्ष पर कोई ना कोई चित्र बनाने की परिपाटी समूचे बुंदेलखंड में मिलती है

- **सुरैती -:** सुरैती बुंदेलखंड का पारंपरिक भित्तिचित्र है दीपावली के आधार पर लक्ष्मी पूजा के समय सुरैती का रेखांकन महिलाओं द्वारा किया जाता है सुरेती जी का जालीनुमा अंकन बुंदेली महिलाओं की कल्पनाशीलता की कलात्मक परिणीति है इस चित्र में देव लक्ष्मी की आकृतियों करी जाती है वही भगवान विष्णु का आलेखन किया जाता है सुरेहती

का रेखांकन गेरू से किया जाता है पूजा के पश्चात लक्ष्मी जी की कथा कही जाती है सुरेती की लोकप्रिय कला की दृष्टि से बुंदेलखंड का सर्वश्रेष्ठ प्रतीकात्मक चित्र है

- **नौरता -:** नवरात्रि में कुंवारी कन्याओं द्वारा बनाया जाने वाला व्यक्ति उदेखड़ का चित्र है जो मिट्टी गेरू से हल्दी छुई आदि से बनाया जाता है लड़कियां सटा संबंधी गीत गाती है !
- **मोरते-:** मोरते विवाह भित्ती लेखांकन है एक दरवाजे के दोनों तरफ की दीवार पर बनाए जाते हैं पुतरी की आकृति प्रमुख होती है इसी जगह दूल्हादुल्हन हल्दी से थाप लगाते हैं-
- **गोधन -:(गोवर्धन)** गोवर्धन गोबर से बनाए जाते हैं दीपावली पड़वा पर इसकी पूजा की जाती है भाईदूज की दिन गोबर से तो पूतलिया बनाई जाती है
- **मोरइला-:** मोरइला का अर्थ मोर के चित्रों से है इसे मोर मुरैला भी कहते हैं इसका संबंध व्यक्ति अलंकरण से है दीवारों को छुई मिट्टी से पूछ कर उस पर पतली गीली मिट्टी से मोरो की जोड़ी की आकृतियां बनाई जाती है सूखने के बाद जिन्हें गेरु खड़ीया आदि रंग कई रंगों से रंगते हैं कोई कोई एक रंग में मोर मुरैना रंग देते हैं

4. नाग भक्ति चित्र-:

नाग पंचमी के दिन बघेली महिलाएं घर की भीतरी दीवार पर गेरू अथवा गोबर के गोल से दूध पीते हुए नाग नागिन के जोड़े का रेखांकन करती हैं पूजा करती हैं भूमि चित्रों में कुंडा रिकॉर्ड सुख है छिपा त्वचा पर भी विभिन्न अवसरों पर भी तो पर लगाए जाते हैं इसी तरह वधू मंडप में बरायन दंहेगर अग्रोहन सजाने की कला भी है

Madhya Pradesh Folk Painting Facts-

1. सुरैती :- बुंदेलखंड
विशेषता :-यह दीपावली में लक्ष्मी पूजा के समय बनाया जाने वाला व्यक्ति चित्र है !

2. नौरता/ नवरत:- बुंदेलखंड, निमाड़
विशेषता:- यह नवरात्रि में मिट्टी गेरू हल्दी से कुंवारी कन्याओं द्वारा बनाए जाने वाला व्यक्ति चित्र है !

3.मामुलिया:- बुंदेलखंड
विशेषता :- यह नवरात्रि में गोबर से कुंवारी कन्याओं द्वारा बनाए जाने वाला भित्ति चित्र है

4. मोरते:- बुंदेलखंड
विशेषता :- यह विवाह के समय मुख्य दरवाजे पर पुतरी का भित्तिचित्र है

5. गोदन गोवर्धन:- संपूर्ण मध्यप्रदेश
विशेषता :- यह दीपावली पड़वा पर गोबर से बनाए जाते हैं और लगभग संपूर्ण मध्यप्रदेश में इस भित्तिचित्र को बनाया जाता है

6. मोजरइला मोर मुरैला:- बुंदेलखंड, बघेलखंड
विशेषता :- यह दीवारों पर विभिन्न रंगों से मोर भित्ति चित्र बनाए जाते हैं

7. नाग भित्ति चित्र:- संपूर्ण मध्यप्रदेश
विशेषता :- यह भक्ति चित्र नाग पंचमी पर दीवारों पर गेरू से नाग नागिन का चित्र बनाकर बनाए जाते हैं

8. बारायन/दहेंगर/अगरोहन:- बुंदेलखंड, बघेलखंड
विशेषता :- वधु मंडप में विवाह के अवसर पर बनाए जाते हैं

9. मांडना:- मालवा-निमाड़
विशेषता :- भूमि अलंकरण के रूप में मांडना को त्योहारों विशेष रूप से दीपावली के समय पर घर आंगन में बनाया जाता है

10. चित्रवर्ण:- मालवा
विशेषता :- विवाह के समय घर के मुख्य द्वार पर बनाए जाने वाला व्यक्ति चित्र है

11. गुदना/ मेहंदी:- संपूर्ण मध्यप्रदेश
विशेषता :- यह हाथ पैर एवं शरीर के विभिन्न यह हाथ पैर एवं शरीर के विभिन्न हिस्सों में गोदना गोदवा ले जाता है

12. कोहबर:- बघेलखंड
विशेषता :- वैवाहिक अनुष्ठानिक भित्ति चित्र है

13. तिलंगा:- बघेलखंड
विशेषता :- कोयले में तिल्ली के तेल को मिलाकर तिलंगा का भित्ति चित्र बनाया जाता है

13. छठी चित्र:- बघेलखंड
विशेषता :- शिशु जन्म के छटवें दिन छठी माता का गेरू से व्यक्ति चित्र बनाया जाता है

14. नेऊरा नमें:- बघेलखंड
विशेषता :- बहादुर वहां की नवमी को सुहागिन महिलाएं पारंपरिक भित्ति चित्र बनाकर पूजा करती हैं

15. जिरोती:- निमाड़
विशेषता :- यह हरियाली अमावस्या को भित्ति चित्र बनाया जाता है

16. सांजाफुली:- संपूर्ण मध्यप्रदेश
विशेषता :- कुंवार महा में कुंवारी लड़कियों द्वारा बनाया गया भित्ति चित्र है

17. थापा:- निमाड़
विशेषता :- यह सैली सप्तमी पर हाथ का थापा लगाया जाता है

18. खोपड़ी पूजन:- निमाड़
विशेषता :- यह देव प्रबोधिनी ग्यारस को खोपड़ी पूजन किया जाता है

19.ईरत:- निर्माण
विशेषता :- विवाह में कुलदेवी का भित्ती चित्र बनाकर पूजा की जाती है

20. पगल्या:- निमाड़
विशेषता :- पहले शिशु के जन्म पर शुभ संदेश का रेखांकन किया जाता है

21. कंचाली भरना:- निमाड़
विशेषता :- विवाह के अवसर पर दूल्हा-दुल्हन के मस्तक पर कंचाली भरी जाती है

हिंदी कहावतें एवं हिंदी मुहावरे -

एक और एक ग्यारह होते हैं: मेल में बड़ी शक्ति होती है.

यदि तुम दोनों भाई मिलकर काम करोगे तो कोई तुम्हारा सामना न कर सकेगा.

एक कहो न दस सुनो : **यदि हम किसी को भला-बुरा न कहेंगे तो दूसरे भी हमें कुछ न कहेंगे.**

एक चुप हजार को हरावे : **जो मनुष्य चुप अर्थात शान्त रहता है उससे हजार बोलने वाले हार मान लेते हैं.**

एक तवे की रोटी क्या पतली क्या मोटी : **एक कुटुम्ब के मनुष्यों में या एक पदार्थ के कभी भागों में बहुत कम अन्तर होता है.**

एक तो करेला (कडुवा) दूसरे नीम चढ़ा : **कटु या कुटिल स्वभाव वाले मनुष्य कुसंगति में पड़कर और बिगड़ जाते हैं.**

एक ही थैले के चट्टे-बट्टे : **एक ही प्रकार के लोग.लो और सुनो, सब एक ही थैले के चट्टे-बट्टे हैं।**

एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है : **यदि किसी घर या समूह में एक व्यक्ति दुष्चरित्र होता है तो सारा घर या समूह बुरा या बदनाम हो जाता है।**

एक लख पूत सवा लख नाती, ता रावण घर दिया न बाती : **किसी अत्यंत ऐश्वर्यशाली व्यक्ति के पूर्ण विनाश हो जाने पर इस लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है।**

ऐरा गैरा नत्थू खैरा : **मामूली आदमी.कोई ऐरा गैरा नत्थू खैरा महल के अंदर नहीं जा सकता था।**

ऐसे बूढ़े बैल को कौन बाँध भुस देय : **बूढ़े और बेकार मनुष्य को कोई भोजन और वस्त्र नहीं देता.कमाते-धमाते तो कुछ हैं नहीं, केवल खाने और बच्चों को डांटने-फटकारने से मतलब है...ऐसे बूढ़े...**

ओछे की प्रीति, बालू की भीति : **बालू की दीवार की भाँति ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है।**

ओखली में सिर दिया तो मूसलों का क्य डर : **कष्ट सहने पर उतारू होने पर कष्ट का डर नहीं रहता.बेचारी मिसेज बेदी ओखली में सिर रख चुकी थी। तब मूसलों से डर कर भी क्या कर लेतीं**

औंधी खोपड़ी उल्टा मत : **मूर्ख का विचार उल्टा ही होता है।**

औसर चूकी डोमनी, गावे ताल बेताल : **जो मनुष्य अवसर से चूक जाता है, उसका काम बिगड़ जाता है और केवल पश्चाताप उसके हाथ आता है।**

कपड़े फटे गरीबी आई : **फटे कपड़े देखने से मालूम होता है कि यह मनुष्य गरीब है।**

कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर : **समय पर एक-दूसरे की सहायता की आवश्यकता पड़ती है।**

कर ले सो काम, भज ले सो राम : **जो कुछ करना हो उसे शीघ्र कर लेना चाहिए, उसमें आलस्य नहीं करना चाहिए।**

करनी खास की, बात लाख की : **जब कोई निकम्मा आदमी बढ़-चढ़कर बातें करता है।**

ओस चाटे से प्यास नहीं बुझती : **किसी को इतनी थोड़ी चीज़ मिलना कि उसकी तृप्ति न हो।**

और बात खोटी सही दाल रोटी : **संसार की सब चीज़ों में भोजन ही मुख्य है।**

घायल की गति घायल जाने : दुखी व्यक्ति की हालत दुखी ही जानता है।

घी खाया बाप ने सूंघो मेरा हाथ : दूसरों की कीर्ति पर डींग मारने वालों पर उक्ति।

घोड़ा घास से यारी करे तो खाय क्या : मेहनताना या किसी चीज का दाम मांगने में संकोच नहीं करना चाहिए

चक्की में कौर डालोगे तो चून पाओगे : पहले कुछ रुपया पैसा खर्च करोगे या पहले कुछ खिलाओगे तभी काम हो सकेगा।

चट मँगनी पट ब्याह : शीघ्रतापूर्वक मंगनी और ब्याह कर देना, जल्दी से अपना काम पूरा कर देने पर उक्ति।

चमड़ी जाय पर दमड़ी न जाय : बहुत अधिक कंजूसी करने पर उचित।

चार दिन की चाँदनी फिर अँधेरी रात : थोड़े दिनों के लिए सुख तथा आमोद-प्रमोद और फिर दु:ख।

चाह है तो राह भी : जब किसी काम के करने की इच्छा होती है तो उसकी युक्ति भी निकल आती है।

इसे भी पढ़ें : हिंदी कहावतें एवं हिंदी मुहावरे - भाग 8 | Famous Hindi Idioms, Phrases And Proverbs-Part 8

चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता : बेशर्म आदमी पर किसी बात का असर नहीं होता।

चिकने मुँह सब चूमते हैं : सभी लोग बड़े और धनी आदमियों की हाँ में हाँ मिलाते हैं।

चित भी मेरी, पट भी मेरी : हर तरह से अपना लाभ चाहने पर उक्ति।

चिराग तले अँधेरा : जहाँ पर विशेष विचार , न्याय या योग्यता आदि की आशा हो वहाँ पर यदि कुविचार, अन्याय या अयोग्यता पाई जाए।

बेवकूफ मर गए औलाद छोड़ गए : जब कोई बहुत मूर्खता का काम करता है तब उसके लिए ऐसा कहते हैं।

चूल्हे में जाय : नष्ट हो जाय। उपेक्षा और तिरस्कारसूचक शाप जिसका प्रयोग स्त्रियाँ करती हैं।

चोर उचक्का चौधरी, कुटनी भई प्रधान : जब नीच और दुष्ट मनुष्यों के हाथ में अधिकार होता है।

चोर की दाढ़ी में तिनका : यदि किसी मनुष्य में कोई बुराई हो और कोई उसके सामने उस बुराई की निंदा करे, तो वह यह समझेगा कि मेरी ही बुराई कर रहा है , वास्तविक अपराधी जरा-जरा-सी बात पर अपने ऊपर संदेह करके दूसरों से उसका प्रतिवाद करता है।

चोर-चोर मौसेरे भाई : एक व्यवसाय या स्वभाव वालों में जल्द मेल-जोल हो जाता है।

चोरी और सीनाजोरी : अपराध करना और जबरदस्ती दिखाना , अपराधी का अपने को निरपराध सिद्ध करना और अपराध को दूसरे के सिर मढ़ना।

चौबे गए छब्बे होने दुबे रह गए : यदि लाभ के लिए कोई काम किया जाय परन्तु उल्टे उसमें हानि हो।

छूछा कोई न पूछा : गरीब आदमी का आदर-सत्कार कोई नहीं करता।

छोटा मुँह बड़ी बात : छोटे मनुष्य का लम्बी-चौड़ी बातें करना।

जंगल में मोर नाचा किसने देखा : जब कोई ऐसे स्थान में अपना गुण दिखावे जहाँ कोई उसका समझने वाला न हो।

जने-जने से मत कहो , कार भेद की बात : अपने रोजगार और भेद की बात हर एक व्यक्ति से नहीं कहनी चाहिए।

जब आया देही का अन्त, जैसा गदहा वैसा सन्त : सज्जन और दुर्जन सभी को मरना पड़ता है।

जब ओखली में सिर दिया तो मूसलों का क्या डर : जब कष्ट सहने के लिए तैयार हुआ हूँ तब चाहे जितने कष्ट आवें, उनसे क्या डरना।

जब तक जीना तब तक सीना : जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उसे कुछ न कुछ करना ही पड़ता है।

जबरा मारे और रोने न दे : जो मनुष्य जबरदस्त होता है उसके अत्याचार को चुपचाप सहना होता है।

जर, जोरू, ज़मीन जोर की , नहीं और की : धन , स्त्री और ज़मीन बलवान् मनुष्य के पास होती है,निर्बल के पास नहीं।
जल की मछली जल ही में भली : जो जहाँ का होता है उसे वहीं अच्छा लगता है।

थोथा चना बाजे घना : दिखावा बहुत करना परन्तु सार न होना।

दूर के ढोल सुहावने : किसी वस्तु से जब तक परिचय न हो तब तक ही अच्छी लगती है।

नदी में रहकर मगरमच्छ से बैर : अपने को आश्रय देने वाले से ही शत्रुता करना।

बाप बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपैया : रुपये वाला ही ऊँचा समझा जाता है।

भेड़ जहाँ जायेगी, वहीं मुँडेगी : सीधे-सादे व्यक्ति को सब लोग बिना हिचक ठगते हैं।

रस्सी जल गई पर बल नहीं गया : बरबाद हो गया, पर घमंड अभी तक नहीं गया।

अपने बेरों को कोई खट्टा नहीं बताता : अपनी वस्तु को कोई बुरी नहीं बताता।

अपने मुँह मियाँ मिट्ठू : अपने मुँह अपनी प्रशंसा करना।

अन्त भले का भला : अच्छे आदमी की अन्त में भलाई होती है।

अन्धे के हाथ बटेर : अयोग्य व्यक्ति को कोई अच्छी वस्तु मिल जाना।

जिसकी बंदरी वही नचावे और नचावे तो काटन धावे : जिसकी जो काम होता है वही उसे कर सकता है।

जिसकी बिल्ली उसी से म्याऊँ करे : जब किसी के द्वारा पाला हुआ व्यक्ति उसी से गुर्राता है।

****

UNIT-2

जनसंचार

जनसंचार शब्द अंग्रेजी भाषा के Mass Communication का हिन्दी पर्यायवाची है। इसका अभिप्राय बहुल मात्रा में या भारी मात्रा में या भारी आकार में बिखरे लोगो या अधिक मात्रा में लोगों : तक संचार माध्यम से सूचना या सन्देश पहुंचाना है। जनसंचार में जन शब्द जनसमूह , भीड व जनता को बताता है। परन्तु वास्तविकता में इन तीनों के विभिन्न अर्थ हैं। जनसमूह तो समान हित, मूल्यों की पूर्ति के लिए संगठित होता है। भीड़ किसी स्थान विशेष पर आकस्मिक रूप से जमा होती है। जैसे किसी घटना घटित होने पर भावुक या तमाशमीन भीड़ तथा जनता का आकार विशाल होता है। इसका सामाजिक जीवन होता है तथा जनता अपने मत , रूचि, राजनीति के विषय में स्वतंत्र पहचान रखती है।

इसके अतिरिक्त जनसंचार में 'संचार' शब्द अंग्रेजी भाषा के Communication का पर्यायवाची है। यह शब्द लेटिन भाषा के Communis से लिया गया है जिसका अर्थ है to make common, to share, to impart, to transit अर्थात् सामान्यीकरण, सामान्य भागीदारी, मुक्त सूचना व सम्प्रेषण। किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अथवा किसी एक व्यक्ति से कई व्यक्तियों को कुछ सार्थक चिन्हों , संकेतों या प्रतीकों के सम्प्रेषण से सूचना , जानकारी, ज्ञान या मनोभाव का आदान प्रदान करना संचार है। कुछ संचार विशेषज्ञों का कहना है कि संचार , अर्थ का संप्रेषण है , सामाजिक मान्यताओं का संचारण है , या अनुभव का बांटना है।

संचार एक गतिशील प्रक्रिया है जो संबंधों पर आधारित है यह संबंध जोड़ने का एक बड़ा हथियार है - एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से एक समूह को दूसरे समूह से और एक देश को दूसरे देश से जोड़ना संचार संचार सामाजिक पारस्परिक क्रिया की प्रक्रिया है संचार का सामान्य अर्थ लोगों का :का काम है। अत आपस में विचार, आचार, ज्ञान तथा भावनाओं का संकेतों द्वारा आदान प्रदान है। इस प्रकार कहा जा- सकता है कि'संचार ही विकास है ' ।

सूचना, विचारों और अभिवृत्तियों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सम्प्रेषित करने की कला का नाम संचार है। जो पत्राकार एवं जनसम्पर्ककर्मी इस संचार कला को नहीं जानते वह कितने भी सशक्त जनसंचार माध्यम से क्यों न जुड़े हों उन्हें सफल नहीं कहा जा सकता ;

इस प्रकार जनसंचार से अभिप्राय जनसंचार :एक बड़े मिश्रित जनसमूह को एक साथ सन्देश पहुंचाना है। अत : एक विशेष प्रकार का संचार है जो यंत्रचालित है और सन्देश कोदुगुना तिगुना कर दूर दूर तक भेजता है।- जनसंचार का प्रवाह असीमित एवं अति व्यापक है।

जनसंचार के माध्यम

1. रेडियो,
2. सिनेमा,
3. समाचारपत्र,
4. किताबें

जनसंचार की परिभाषाएं

1. **एशले मौंटुग तथा फलोएड मैटसन-** वह असंख्य ढंग जिनसे मानवता से सम्बन्ध रखा जा सकता है। केवल शब्दों या संगीत, चित्रों या मुद्रण द्वारा इशारों या अंगप्रदर्शन-, शारीरिक मुद्रा या पक्षियों के परों से - सभी की आँखों तथा कानों तक संदेश पहुंचाना ही जनसंचार है।'
2. **डेविड ह्यूम -** जनसंचार का अर्थ सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना है। जनसंचार ही बताता है कि राजसत्ता या शासन की व्यवस्था का आधार क्या हो? सरकार का रूप कैसा हो, स्वेच्छाचारी राजा या सैनिक अधिकारियों का शासन हो या स्वतंत्र और लोकप्रिय सरकार हो जनसंचार माध्यम से ही यह पता चलता है। -

नये ज्ञान के सम्बन्ध में अधिकाधिक लोगों को मालूम होना प्रसार है। प्रसार फैलने या व्याप्त होने की क्रिया है। सम्प्रेषण में सन्देश भेजने का कार्य सम्मिलित है। किसी तथ्य, सूचना, ज्ञान, विचार और मनोरंजन को व्यापक ढंग से जन सामान्य तक पहुॅंचाने की प्रक्रिया जनसंचार है। समान लक्ष्य की प्राप्ति और पारस्परिक मेल-जोल के लिए इसकी अपरिहार्यता स्वयंसिद्ध है। जनसंचार एक सहज प्रवृत्ति है। संचार ही जीवन है। संचार शून्यता मृत्यु है। आधुनिक जनजीवन और- सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था का तानाबाना जनसंचार साधनों द्वारा सुव्यवस्थित है। वे ही जनता-, समाज, राष्ट्र के सजग प्रहरी है। संचार व्यवस्था समाज की प्रगति, सभ्यता और संस्कृति के विकास का माध्यम है। असभ्य को सभ्य, संकीर्ण को उदार तथा नर को नारायण बनाने की अभूतपूर्व शक्ति संचार में निहित है। इसके बिना मानव गरिमा- की कल्पना नहीं हो सकती। संचार ही तथ्यों और विचारधाराओं के विनिमय का विस्तृत क्षेत्र है।

जनसंचार की प्रकृति

संचारक की प्रकृति

जनसंचार एक संगठित संचार है। जनसंचार प्रक्रिया में एक सन्देश का निर्माण करने वाला एक अकेला लेखक व कलाकार नहीं होता है बल्कि एक बड़ा संगठन होता है जो कि भारी खर्च व व्यापक श्रम विभाजन से कार्य करता है। जनसंचारक पर जनमाध्यमों की जटिलता भी प्रभाव डालती है। जनसंचार में एक अकेला व्यक्ति स्वतन्त्र रूप से काम नहीं कर सकता क्योंकि यंत्रचालित संचार माध्यम में संदेश सामूहिक प्रयास से संप्रेषित होता है। उदाहरण के लिए समाचारपत्र में समाचार देने में संपादक, सहायक संपादक, सहसंपादक-, रिर्पोटर, फोटोग्राफर, प्रिंटर आदि कई लोगों का योगदान होता है और एक समाचारपत्र के पीछे हजारों पेशेवर और तकनीशियन सम्मिलित हैं। यही बात रेडियो, टी किताबों तथा फिल्मों पर भी लागू होती है। इस तरह जन माध्यम में .वी. बहुत सारे संचारक हो सकते हैं।

संदेश की प्रकृति

जनसंचार में संदेश एक बड़े जनसमूह को एक साथ संबोधित करने के लिए होता है। इसलिए इसकी विषय वस्तु का चयन आम प्रापक को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसी कारण संदेश व्यक्तिगत नहीं होता। इसके अलावा जन माध् यमों से जितनी तेजी से सन्देश प्रापक तक पहुंचाया जाता है उतनी ही जल्दी इसकी खपत भी होती है। इस विशेषता के कारण संदेश अस्थायी है यानि प्रापक सन्देश प्राप्त तो कर लेता है पर उसका रिकार्ड नहीं रखता। इसी कारण जनसंचार में सन्देश कम व्यक्तिगत, कम विशेष, ज्यादा शीघ्र और ज्यादा अस्थायी होता है।

प्रापक की प्रकृति

जनसंचार के विभिन्न माध्यमों के कारण इसके प्रापक भी अलग अलग हैं। जनसंचार में प्रापक में माध्यमों के-) अनुसार तीन भागों में बांटा गया है ।a) सुनने वाले)b) देखने वाले)c) पढ़ने वाले

1. प्रापक समरूप न होकर मिश्रित है यानि वे विभिन्न सामाजिक वर्ग के हैं उनकी संस्कृति, भाषा, रूचि आदि भिन्न हैं।
2. प्रापक अपेक्षाकृत गुमनाम है। संचारक सामान्यत विशिष्ट व्यक्ति को जिससे वह संप्रेषण कर रहा है नहीं जानता : हालांकि उसे सामान्य प्रापक की विशेषताओं के बारे में जानकारी होती है।
3. प्रापक की संख्या बहुत बड़ी है जो कि बहुत थोड़े समय के लिए मीडिया के प्रभाव में आता है। फलस्वरूप संचारक सदस्यों से पारस्परिक क्रिया नहीं कर सकता जैसे कि आमनेसामने ।-
4. अपनी आदत तथा रूचि के अनुसार ही प्रापक मीडिया की रचनाओं को चुनता है और स्वयं को इसके प्रभाव में लाता है। बाकी रचनाएं छोड़ देता है जो व्यर्थ हो जाती हैं।
5. प्रापक शारीरिक तौर पर संचारक से पृथक है। यह दूरी दिक्काल तथा समय के सन्दर्भ में भौतिक है।

फीडबैक

जनसंचार में फीडबैक की अहम् भूमिका है। इसमें फीडबैक धीरे मिलता है या फिर देरी से मिलता है। उदाहरण के लिए टीया रेडियो प्रोग्राम में प् .वी.रस्तुतकर्ता यह नहीं जान पाता है कि प्रापक ने प्रोग्राम को पूरा देखा है या फिर आधा ही छोड़ दिया है। संपादक अपने समाचारपत्र के बारे में लोगों की प्रतिक्रिया नहीं जान पाता, हालांकि कुछ प्रापकों के पत्र उसे मिलते हैं। लेकिन उनकी संख्या प्रापकों की संख्या से बहुत कम होती है। इसके अतिरिक्त जनसंचार में अधिक फीडबैक प्राप्त करने के लिए समय समय पर प्रापक सर्वे होना आवश्यक है जिसकी- मीडिया कार्यकर्त्ता अक्सर कर देते हैं। फलस्वरूप फीडबैक के अभाव में संचार मीडिया बहुत प्रभावशाली नहीं हो पाता।

शोर

जनसंचार में शोर की संभावनाएं अधिक हैं जो माध्यम में ही नहीं जनसंचार प्रक्रिया के किसी भी बिन्दु पर प्रविष्ट हो सकती है। उदाहरण के लिए टीव रेडियो में वायुवैद्युत क्षोभ .वी., बेकार छपा समाचारपत्र, फिल्म का घिसा पिटा प्रिंट, पढ़ते सुनते समय घर या बाहर से शोर आदि का आना। ये सब रूकावटें हैं जिनसे सन्देश प्रदूषित होता है तथा प्रापक तक नहीं पहुंच पाता। यदि संदेश विकृत अवस्था में पहुंच भी जाता है तो प्रापक की समझ में नहीं आता। अतसारा संचार प्रयास विफल हो जाता है। :

जनसंचार प्रक्रिया -

जनसंचार की प्रक्रिया मूल रूप से संचार की प्रक्रिया ही है, लेकिन इसकी कुछ बेजोड़ विशेषताओं के कारण कई मॉडल विकसित हुए जिनमें सबसे लोकप्रिय है हेरॉल्ड लासवैल का क्लासिक मॉडल कौन कहता हैं -,

Also read :जनसंचार के माध्यम

क्या कहता हैं, किस माध्यम में, किसको और क्या प्रभाव पड़ता है । यह मॉडल कुछ सीमित है । इसमें कई खास तत्वों को जो जनसंचार प्रक्रिया को समझने के लिए जरूरी है, जैसे फीडबैक, शोर आदि को छोड़ दिया गया है ।

एक दूसरा मॉडल है मेल्विन डी फ्लूयर)Melvin De Fleur) का जो सम्पूर्ण जनसंचार प्रक्रिया की रूपरेखा प्रस्तुत करता है । यह मॉडल इस प्रकार है इस मॉडल में स्त्रोत तथा ट्रांसमीटर को जनसंचार कार्य की भिन्न -- अवस्थाओं के रूप में देखा गया है जो स्त्रोत द्वारा क्रियान्वित हुआ है । माध्यम जन माध्यम है जिससे सूचना व जानकारी भेजी जाती है । रिसीवर जानकारी प्राप्त कर मतलब)Decode) निकालता है तथा उसे संदेश का रूप देता है । गन्तव्य)Destination) में बदलता है, व्याख्या करता है । दिमाग की भी यही क्रिया है। फीडबैक स्त्रोत के प्रति गन्तव्य की प्रतिक्रिया है । यह मॉडल इस बात की पुष्टि करता है कि 'शोर' जनसंचार प्रक्रिया में किसी भी बिन्दु पर दखल दे सकता है और यह सिर्फ माध्यम से ही संबंधित नहीं है जैसा कि संचार के मॉडलों में दिखाया गया है ।

जनसंचार का एक और महत्वपूर्ण मॉडल ब्रुस वेस्ले तथा मैल्कम मैक्लीन)Bruce Wesley and Malcom Maclean) ने विकसित किया जिससे जनसंचार में 'गेटकीपर' (Gatekeeper) यानी चौकीदार की भूमिका को महत्व दिया । यह इस प्रकार दर्शाया गया है -:

ऊपर दिए गए मॉडल में उन रास्तों की कल्पना की गई है जिनमें मीडिया व्यवस्था में व्यक्ति तथा संगठन यह तय करते हैं कि क्या संदेश संप्रेषित किया जाएगा तथा क्या विषय वस्तु रूपांतरित की जाएगी या निकाली जाएगी । 'गेटकीपर' इस ऊपर के चित्र में प्रापक ब के एजेंट का काम करता है जो सूचना को चुनता है तथा उसे स्त्रोत से प्रापक तक पहुंचाता है । संचारक का संदेश प्रापक तक पहुंचाने से पहले 'गेटकीपर' संदेश का विस्तार करता है या उसमें दखल दे सकता है। उसे इतना अधिकार है कि वह संदेश की विषयवस्तु में हेर फेर कर सकता है । इस- तरह मीडिया में कई स्तर पर'गेटकीपर' होते हैं । वे कई तरह के कार्य करते हैं और तरह तरह की भूमिकाएं- निभाते हैं । वे सहज में ही संदेश को रोक सकते हैं । 'गेटकीपर' कुछ अंश को काटकर संदेश में रद्दोबदल कर सकते हैं । उदाहरण के लिए समाचार संपादक रिपोर्टर के संदेश में अपनी तरफ से तथा अन्य स्त्रोत से आई जानकारी जोड़कर समाचार को नया रूप दे सकता है । पत्रिका का लेआउट संपादक अधिक चित्र डालकर कहानी या फीचर का प्रभाव बढ़ा सकता है । इसी तरह फिल्मों में प्रोडयूसर और सीन जोड़ने के लिए प्रिंट को संपादक के पास भेज सकता है ।

जनसंचार का एक और महत्वपूर्ण मॉडल है, द्वीचरणीय सूचना प्रवाह)Twostep flow of information or communication) । यह धारणा लेजरफेल्ड)Lazerfeld) तथा उनके सहयोगियों द्वारा अमरीका में हुए राष्ट्रपति अध्यक्षीय चुनाव)1949) के एक क्लासिक अध्ययन)The Peoples Choice 1949) से उत्पन्न हुआ । परिणामों से पता चला कि एक भी मतदाता जनमाध्यम से सीधा प्रभावित नहीं हुआ बल्कि परिणाम यह बताता है कि विचारों का महत्व अक्सर रेडियो या प्रिंट से ओपनियन लीडरो)Opinion Leaders) तक सीमित है और वहां से फिर कम सक्रिय रूप में जनता तक पहुंचता है । यानी मीडिया से सूचना व जानकारी, जो वास्तव में जन समूह के लिए है, पहले ओपिनियन लीडर के पास पहुंचती है, जिसे वह आगे प्रसारित करते हैं । होता यूॅं है कि 'ओपिनियन लीडर' सूचना पहले प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये आम लोगों की तुलना में ज्यादा पढ़ेलिखे-, प्रभावशाली तथा सम्पन्न होते हैं तथा सूचना को अपनाकर फिर से व्याख्या करते हैं और फिर दूसरों को बताते हैं । अध् ययन के अनुसार ज्यादातर लोग जानकारी इसी प्रकार प्राप्त करते हैं। यह धारणा आगे चलकर रूपांतरित तथा फिर से संकलित होकर बहु) चरणीय संचार प्रवाह-Multistep Flow) में बदली, जिसमें एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक कई रिले बिन्दु हैं । जैसा कि पहले समझा गया था उससे यह कहीं अधिक जटिल जनसंचार प्रक्रिया है । यानी मीडिया सूचना व जानकारी 'ओनिनियन लीडर' से सीधी नहीं, बल्कि कई माध्यमों से होती हुई आम लोगों तक पहुंचती है ।

जनसंचार की विशेषताएं -

एक साथ एक बहुत बड़े मिश्रित जनसमूह को सन्देश पहुंचाना जनसंचार कहलाता है। जनसंचार की विभिन्न विशेषताएं जो इस प्रकार है-:

1. जनसंचार में सन्देश का निर्माण करने वाला एक व्यक्ति न होकर एक समूह व संगठन होता है। जैसे एक समाचार का निर्माण सम्पादक, सहसम्पादक प्रिंटर, फोटोग्राफर आदि मिलकर करते हैं।
2. जनसंचार में सन्देश की विषय वस्तु का चयन व विवेचन आम प्रापक को ध्यान में रखकर किया जाता है।
3. जनसंचार में प्रापक समरूप न होकर मिश्रित है। यानि वे विभिन्न सामाजिक वर्ग के हैं उनकी संस्कृति, भाषा, रूचि आदि भिन्न हैं।
4. जनसंचार में प्रापक अपेक्षाकृत गुमनाम है। संचारक सामान्यतविशिष्ट व्यक्ति को जिससे वह संप्रेषण कर : रहा है नहीं जानता, हालांकि उसे सामान्य प्रापक की विशेषताओं के बारे में जानकारी होती है।
5. प्रापक शारीरिक तौर पर संचारक से पृथक हैं। वह दूरी दिक्काल तथा समय के संदर्भ में भौतिक है।

जनसंचार के विशिष्ट संघटक तत्व

सम्प्रेषक

समाज के उपयोगी सूचना के सम्प्रेषण में सम्प्रेषक की मुख्य भूमिका होती है। सम्प्रेषक के आधार पर एक ही सूचना की प्रस्तुति में अन्तर आ जाता है परन्तु इससे सूचना के प्रभाव में अन्तर क्यों आ जाता है? सूचना को अच्छी प्रकार तैयार करने, प्रेषित करने, अच्छी तरह लेखन करने तथा अच्छी तरह व्यक्त करने के कारणों से ही किसी सूचना के प्रभाव में अन्तर आ जाता है। संचार में तो सम्प्रेषक के व्यक्तित्व का महत्व है जैसे प्राचीनकाल में देवर्षि नारद, भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन में गांधी जी अमेरिका में कैनेडी आदि का चमत्कारिक व्यक्तित्व भी सम्प्रेषण में सहायक था किन्तु यह वैयक्तिक संचार का ही जरूरी तत्व है। जनसंचार में निवैयक्तिक संचार)impersonal communication) होता है। जिसमें संचारगत गुणों का अधिक महत्व है।

चयनित सूचना

व्यक्ति व संस्थाएं विभिन्न सूचनाएं ग्रहण करती हैं। परन्तु ये उनका ही सम्प्रेषण करते हैं जो सूचना श्रोता या समाज के लिए महत्वपूर्ण हो। प्रेषण के लिए केवल उन्हीं सूचनाओं का चयन होता है। सूचना का चयन करते समय सामाजिक महत्त्व, नवीनता, श्रोतासमूह का भी ध्यान रखा जाता है।

संदेश

सूचनाओं के मिश्रण को सन्देश कहा जाता है। इसे संवाद भी कहते हैं। संचार प्रक्रिया व संचार की शुरूवात सन्देश से ही होती है। एक सन्देश में अर्थ, भाषा, सन्दर्भ, स्वरूप आदि महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। छोटी छोटी-सूचनाओं से ही सन्देश का निर्माण होता है। जिसे सम्प्रेषक एक सूत्र से बांध कर सन्देश बनाता है। यह सन्देश सम◌्प्रेषक के मस्तिष्क की उपज होता है और उसी का ही सम्प्रेषण होता है। सन्देश में अर्थ निहित होता है। जनसंचार में प्रत्येक चरण का मूलाधार संदेश है। संचार स्वयं सन्देश पर निर्भर है। अत स्पष्ट है कि जनसंचार : का समूचा अस्तित्व सन्देश में निहित है। सन्देश विभ◌िन्न क्षेत्र सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि से

जुड़ा हो सकता है। किन्तु महत्वपूर्ण यह है कि सन्देश का मुख्य तत्व जनोपयोगी हो।

संचार साधन

संचार साधनों का प्रयोग सन्देश को भेजने व प्राप्त करने के लिए किया जाता है। संचार के प्रमुख संचार साधन रेडियो, टी.वी., समाचारपत्र और पत्रिकाएं आदि हैं। समाचार पत्र व पत्रिकाएं प्रिंट मीडिया में आते हैं व रेडियो व टीवी इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में आते हैं।.

सूचना प्रवाह में एक या अधिक संचार साधनों का प्रयोग किया जाता है। प्राप्तकर्त्ता द्वारा सूचना प्राप्त होने पर वह उसकी प्रतिपुष्टि व अपनी प्रतिक्रिया विभिन्न मार्गों से करता है। विलबर श्रेम के अनुसार हर संचार मार्ग की अपनी प्रवृति होती है जिसे अन्य संचार माध्यमों से सम्पादित नहीं किया जा सकता।

जनसंचार अन्तरव्यक्ति का अन्तर्निहित संभाग है क्योंकि प्रिंट या इलैक्ट्रानिक मीडिया स्त्रोत और श्रोता को जोड़ते हैं। इस तरह संचार मार्ग संचार प्रवाह में पूरक की भूमिका भी निभाते हैं। आज आधुनिक युग में तकनीकी विकास होने के कारण सन्देश मौखिक से प्रिंट, इलैक्ट्रानिक व उपग्रह मार्ग द्वारा विश्व संचार बन गया है।

श्रोतावर्ग

श्रोतावर्ग से अभिप्राय संचार माध्यमों से सूचना प्राप्त करने वाले लोगों से है। जनसंचार माध्यमों के विकास से : श्रोतावर्ग के आकार में अतिशय अभिवृद्धि हुई है।

फीडबैक

फीडबैक व प्रतिपुष्टि वह प्रक्रिया है। जिसके द्वारा सूचना पाने वाला श्रोता अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करता है। अन्तरव्यक्ति संचार में तो आँख, मुस्कराहट, व्यवहार या हाव भाव द्वारा प्रतिपुष्टि व्यक्त की जाती है जबकि जनसंचार माध्यमों फीडबैक एक जटिल प्रक्रिया है। माध्यमों द्वारा प्रेषित सूचना श्रोताओं की प्रतिक्रिया, सूचना प्रेषण में दोष आदि का पता फीडबैक से ही चल पाता है। विभिन्न अनुसंधान सर्वेक्षण की सहायता से प्रतिक्रिया आदि का पता तो चल जाता है पर इसमें अधिक समय लग जाता है। फीडबैक का एक लाभ यह है कि जनसंचार माध् यम अपने कार्यक्रमों में सुधार कर लेते हैं। श्रोताओं से पत्र, साक्षात्कार, परिचर्चा आदि के माध्यम से यह सम्भव है।

शोर

जनसंचार में शोर की संभावनाएं अधिक हैं जो माध्यम में ही नहीं जनसंचार प्रक्रिया के किसी भी बिन्दु पर प्रविष्ट हो सकती है। उदाहरण के लिए टीव रेडियो में वायु विद्युत क्षोभ .वी., बेकार छपा समाचारपत्र, फिल्म का घिसा पिटा प्रिंट, पढ़ते सुनते समय घर या बाहर से शोर आदि का आना। ये सब रूकावटें हैं जिनसे सन्देश प्रदूषित होता है तथा प्रापक तक नहीं पहुंच पाता। यदि संदेश विकृत अवस्था में पहुंच भी जाता है तो प्रापक की समझ में नहीं आता। अतसारा संचार प्रयास विफल हो : जाता है।

जनसंचार माध्यम का कार्य एवं महत्व

सभी जन माध्यम विभिन्न रूप से समाज के लिए काम करते हैं। यह देश के संपूर्ण विकास में एक निश्चित भूमिका अदा करते हैं। इसके कई महत्वपूर्ण कार्य हैं जो इस प्रकार है-:

1. **समाचार तथा सूचना या जानकारी-** जनमाध्यम का उपयोग सामयिक तथा महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रचारित व प्रसारित करने के लिए किया जाता है जिसका हमारे दैनिक जीवन के लिए महत्व हो।
2. **विश्लेषण तथा प्रतिपादन-** मीडिया घटना का मूल्यांकन उचित परिप्रेक्ष्य में रखकर हमें देता है।
3. **शिक्षा -** शैक्षिक क्रिया सम्पन्न करने के लिए मीडिया का उपयोग किया जाता है। जैसे समाजीकरण -, सामान्य-शिक्षा, क्लास रूप प्रशिक्षण आदि। मीडिया पैतृक समाज की सांस्कृतिक परम्परा को सुदृढ़, रूपांतरित तथा प्रतिस्थापित करने का काम करता है।
4. **प्रत्यायन तथा जनसंपर्क-** मीडिया जन प्रत्यायन तथा प्रोपेगैंडा के उपकरण की तरह कार्य करता है। सरकार, व्यवसाय, निगम तथा व्यक्ति जन माध्यम के द्वारा अपने संबंधों को स्थापित या रूपांतरित करने का प्रयत्न करते हैं।
5. **सेल्स तथा जनसंपर्क-** आर्थिक व्यवस्था में मार्केटिंग तथा वितरण प्रक्रिया में मीडिया का उपयोग किया जाता है। विज्ञापन जनता को नए प्रोडक्ट की जानकारी देते हैं, उनके मूल्यों के बारे में विश्वास उत्पन्न करते हैं तथा उनको खरीदने के लिए राजी कराते हैं।
6. **मनोरंजन -** मीडिया लोगों का फुरसत के समय मनोरंजन भी करता है। इस पलायनवादी उपयोग के साथ मीडिया मनोरंजन करते हुए लोगों को सूचना देने, विश्लेषण करने, राजी करने, शिक्षित करने तथा बेचने का काम भी करता है।

संचार माध्यम का महत्व

किसी भी सूचना, विचार या भाव को दूसरों तक पहुँचाना ही मोटे तौर पर संचार या कम्युनिकेशन कहलाता है। एक साथ लाखों करोड़ों लोगों तक एक सूचना को पहुँचाना ही संचार या-जनसंचार या मास कम्युनिकेशन मीडिया कहलाता है। मानव सभ्यवा के विकास में संचार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वैसे तो सभ्यता के विकास के साथ ही मुनष्य किसी न किसी रूप में संचार करता रहा है। जब आज की तरह टेलीफोन, इंटरनेट आदि की सुविधाएं नहीं थी, तब लोग चिट्ठी लिख कर अपना हाल समाचार लोगों तक पहुँचाते और दूसरे का-समाचार जानते थे। आपको यह जान कर हैरानी होगी कि चिट्ठी लिखने का प्रचलन भी बहुत पुराना नही है। जब डाक व्यवस्था नहीं थी तब लोग संदेश भेजने वालों जिन्हें संवदिया कहा जाता था, के माध्यम से एक गांव से दूसरे गांव तक संदेश भेजते या मंगाते थे।

पुराने समय में राजा के हरकारे पैदल या घोड़े की सवारी करते हुए राजा के संदेश राजधानी से दूसरी जगहों पर ले जाते और वहां से ले आते थे। आपने यह भी कई कहानियों में सुना होगा कि लोग कबूतरों के जरिए अपना संदेश भेजा करते थे। यही व्यवस्था बाद में एक सरकारी विभाग डाक बनाकर सबके लिए सुलभ कर दी-विभाग-गई थी। अब हर कोई एक निश्चित शुल्क देकर अपना संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से भेज सकता है। अब तो डाक व्यवस्था में इतने आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जाने लगा है संदेश तार के जरिए पलक झपकते एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा दिया जाता है। क्या आप जानते है। कि तार जिस मशीन से भेजा जाता है उसका ही विकसित रूप टेलीप्रिंटर कहा जाता है। इसके अलावा फैक्स, ई मेल के जरिए पलक-प्रदान किया जा सकता है। इन उपकरणों के आ जाने से-झपकते सूचनाओं का आदानसिर्फ डाक प्रणाली में नहीं बल्कि संचार माध्यमों को सूचनाएं इकट्ठी करने और प्रसारित करने में भी काफी सुविधा हुई है। इन उपकरणों के

बारे में हम पहले पढ़ चुके है।

संचार का अर्थ सिर्फ व्यक्ति का अपना हालसमाचार दूसरों तक पहुंचाने तक सीमित नहीं है। हर व्यक्ति अ-पने या अपने संबंधियों की सूचनाएं जानने के अलावा देश दुनिया की खबरों के बारे में जानने का इच्छुक होता है। उसके-पास क्या हो रहा है-आस, दुनिया में कहों क्या घटना घट रही है, सबकी जानकारी प्राप्त करना चाहता है। सूचनाओं की इसी भूख के चलते संचार माध्यमों का लगातार विकास और विस्तार होता गया। आज अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होता है या ईराक में लड़ाई छिड़ती है तो हर किसी की निगाह उस ओर लगी रहती है कि वहां क्या हो रहा होता है। वह हर पल की खबरें जानना चाहता है। अगर आस्ट्रेलिया में क्रिकेट मैच हो रहा होता है तो आपकी जिज्ञासा लगातार बनी रहती है कि किस टीम की क्या स्थिति चल रही है। इसी तरह तो लोग व्यवसाय या किसी व्यापार से जुड़े हैं या शिक्षा संबंधी जानकारी चाहते है उनके लिए भी हर पल बाजार में वस्तुओं की कीमतों और शेयरों के उतारचढ़ाव की खबरें जानना जरूरी होता है-, दुनिया में शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे प्रयोग के बारे में जानने की जिज्ञासा रहती है। किसानों को मौसम और खेती में इस्तेमाल होने वाली नई तकनीक की जानकारी काफी मद्दगार साबित होती है। जरा सोचिए, अगर, अखबार, रेडियो, दूरदर्शन, मोबाइल जैसे संचार माध्यम न होते तो क्या ये सूचनाएं आप तक पहुंच पाती।

अब संचार की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए तरह-तरह के संचार माध्यमों का विकास कर लिया गया है। जल्दी-जल्दी सूचनाएं पहुंचाने की दुनिया भर में होड़ लगी हुई है। पहले निर्धारित समय पर और एक निश्चित समय-से के लिए समाचारों का प्रसारण हुआ करता था, वह चौबीसों घंटे देश दुनिया की खबरों के प्रसारण लगातार दूरदर्शन के चैनलों में चलते रहते हैं। आप में से बहुत से लोगों को शायद यह जानकारी भी हो कि जल्र्द जल्दी-से-सूचनाएं पहुंचाने के लिए संचार माध्यम क्या उपाय करते हैं, कई लोगों के लिए यह जानना अभी भी काफी रोचक होगा।

संचार माध्यमों के उद्देश्य

विचारों, भावों और सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना ही संचार माध्यम का मुख्य काम होता है। आप यह भी जान चुके है कि संचार माध्यमों में समाचार पत्र, रेडियों, दूरदर्शन आदि का महत्व बहुत अधिक है जिस कारण इन से जुड़ा प्रेस वर्ग यानी पत्रकार वर्ग आज चौथा खंभा के नाम से जाना जाता है। पत्रकारिता की दुनिया को)Fourth Estate) की संज्ञा दी गई है। संचार माध्यमों के मोटे तौर पर तीन उद्देश्य माने जा सकते है-

1. सूचना पहुंचाना
2. मनोरंजन और
3. शिक्षा

हालांकि यह माना जाता है कि संचार माध्यम का मुख्य उद्देश्य सूचनाएं पहुंचाना होता है लेकिन जब आप रेडियों सुनते है या टेलीविजन देखते है तो उसमें कार्यक्रमों का बहुत बड़ा हिस्सा मनोरंजन को ध्यान में रखकर प्रसारित किया जाता है। जरा सोचिए, रेडियों पर अगर चौबीसों घंटे सिर्फ समाचार प्रसारित किए जाएं तो आप उसे कितनी देर सुनेगे। या इसके उलट अगर केवल उस पर गाने प्रसारित किए जांए तो कभी न कभी आपको ऐसा अवश्य लगेगा कि कुछ समाचार प्रसारित किए जाते या देश दुनिया से जुड़ी जानकारियां प्रसारित की जाती तो कितना अच्छा होता। क्योंकि कोई भी व्यक्ति मात्र मनोरंजन, जानकारी या समाचार से संतुष्ट नहीं होता। इन तीनों के प्रति उसमें सहज जिज्ञासा होती है।

आजकल टेलीविजन पर इन तीनों के लिए अलग चैनल शुरू हो गए है। अगर आपको समाचार सुनने हैं तो आप समाचार

का चैनल ट्यून करते हैं, फिल्म देखनी है तो उसके चैनल पर जाते हैं या मनोरंजन चाहिए तो उसके लिए कई दूसरे चैनल हैं। सूचना का अर्थ आमतौर पर समाचार लगाया जाता है। यह काफी हद तक सही भी है, क्योंकि समाचारों का विस्तार आज सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित न होकर समाज के हर क्षेत्र तक हो चुका है। जब आप कोई अखबार पढ़ते है या- समाचार का कोई चैनल देखते हैं तो उसमें राजनीतिक हलचलों के अलावा खेल, शिक्षा, कृषि, बाजार भाव, शेयर, अर्थ, स्वास्थ्य जगत, अपराध, मौसम आदि की जानकारियाँ भी प्रकाशित प्रसारित की जाती है। बल्कि अखबारों में विज्ञापनों के माध्यम से कंपनियां अपने उत्पाद अथवा सेवाओं के बारे में उपभोक्ताओं के विविध प्रकार की सूचनाएं भी देती रहती है। आपको यह सूचना कहां से और किस प्रकार मिली कि नेशनल इस्टीट्यूर ऑफ ओपन स्कूलिंग के जरिए मुक्त शिक्षा माध्यम से आप बारहवी की परीक्षा भी दे सकते है। आपको सामान खरीदना है और वह सामान कई कम्पनियां बनाती हैं आपको ठीक से जानकारी नहीं है कि किस कंपनी का सामान खरीदना आपके लिए ठीक रहेगा। ऐसे में अखबारों में या टेलीविजन पर विज्ञापन के माध्यम से उस वस्तु की जानकारी मिल जाती है और सामान खरीदने में आसानी हो जाती है। इसी तरह नौकरियों के विज्ञापन भी संचार माध्यमों के जरिये आपको मिलते रहते है।

इसके अलावा जनसंख्या नियंत्रण, एड्स के प्रति जागरूकता, बाल विवाह के कुप्रभाव, नशे से समाज और मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव, पर्यावरण, प्रदूषण, जल संचय आदि समस्याओं के प्रति लोगो में जागरूकता लाने और उन्हें इनमें सहभागिता निभाने के लिए प्रेरित करने संबंधी अनेक सूचनाएं संचार माध्यमों के जरिए प्राप्त होनी है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है संचार माध्यम सूचनाओं का एक सशक्त माहध्यम होते है।

कुछ दिनों पहले भारत सरकार ने अंतरिक्ष में एजूसेट नामक उपग्रह स्थापित किया। इस उपग्रह का मकसद दूरस्थ शिक्षा में विद्यार्थियों शिक्षार्थियों को लाभ पहुंचाना है। आप जानते हैं कि मुक्त शिक्षा माध्यम से पढ़ाई- करने वाले विद्यार्थियों को मुद्रित सामग्री अलावा रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन आदि के माध्यम से भी पाठ्यक्रम सहायक सामग्री और शिक्षा से संबंधित जानकारियां उपलब्ध कराई जाती है। अभी तक इस तरह कई जानकारियां दूसरे उपग्रहों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती थीं, लेकिन एजूसेट स्थापित हो जाने के बाद शिक्षा के लिए स्वतंत्र उपग्रह अस्तित्व में आ गया है और शिक्षा संबंधी सामग्री के प्रसारण में काफी सुविधा हो गई है।

आप यह भी जानते है कि अब ज्यादातर रेडियों और टेलीविजन कार्यक्रम उपग्रह के माध्यम से प्रसारित किए जाते है। अब समाचार पत्रों के प्रकाशन और उनकी सूचनाओं का संग्रह भी उपग्रह के माध्यम से होने लगा है।

संचार माध्यम के प्रकार और उनकी उपयोगिता

काफी लोग अखबार पढ़ते है, रेडियो सुनते है और टेलीविजन देखते हैं। ये सभी संचार माध्यम है। इसके अलावा अन्य माध्यमों द्वारा सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। उसके अतिरिक्त विभिन्न कपनियों विभागों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाली प्रचार सामग्री भी संचार का माध्यम साबित हुई है। संचार माध्यमों को तीन मागों में बांटा जा सकता है-

1. मुद्रित माध्यम
2. श्रत्य माध्यम
3. दृश्य श्रव्य माध्यम

मुद्रित माध्यम

अखबार और पत्रिकाएं मुद्रित संचार माध्यम के अंतर्गत आती है। अखबारों में समाचार प्रकाशित होते हैं। शिक्षा से लेकर, खेती बाड़ी, खेलकूद, स्वास्थ्य, सिनेमा, टेलीविज के कार्यक्रम, बाजार भाव, भविष्यफल, विश्व के विभिन्न समाचार प्रकाशित होते हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से प्रतिदिन घटने वाली घटनाओं की जानकारी होती है। समाचार पत्रों में देश विदेश की महत्वपूर्ण खबरे प्रकाशित की जाती है। समाचार पत्र में अलग अलग-अलग पन्ने निर्धारित होते हैं। बीच का पन्ना संपादकीय के लिए निश्चित होता है।-खबरों के लिए अलग

अखबार का महत्व-लोकतंत्र के तीन खंभे होते हैविधायिका -, कार्यपालिका, न्यायापालिका। चौथा खंभा अखबार कहलाता है। विधानपालिका कानून बनाती (खबर पालिका)है कार्यपालिका उसे लागू करती है और न्यायपालिका कानून तोड़ने वालो को दंडित करती है परन्तु इन तीनों में होने वाली गड़बड़ियों को अखबार उजागर करता है। सरकार योजना बनाती है तथा उसमें जो खामिया होती है उसे अखबार लोगों के सामने लाता है। कई बार सरकार को सामाजिक मुद्दों पर अखबार के प्रकाशित करने पर अपने निर्णय बदलने भी पड़ते है। अखबार लोंगो को जागरूक और खबरदार करता है जिससे लोकतंत्र की रक्षा होती है। इसीलिए संविधान में प्रेस को स्वतंत्रता दी जाती है। सरकार उसकी आजादी में बाधा नही डालती। यदि प्रेस नहीं होती तो हम अपने अधिकारों के प्रति इतने सजग नही हो पाते तथा लोकतंत्र की रक्षा नहीं हो पाती। अखबार सरकार की योजनाओं, नीतियों या कामकाज की ओर ही ध्यान आकर्षित नही करती बल्कि समाज के दूसरे विभिन्न मुद्रओं पर भी ध्यान आकर्षित कर लोंगो को जागरूक करता है। सामाजिक मुद्दो जैसेज-नसंख्या वृद्धि, भ्रूण हत्या, लिंग भेद, अन्य सामाजिक बुराइयों को अखबार प्रकाशित कर लोगों को जागरूक बनाने का प्रयास करता है। प्राकृतिक आपदाओं, प्रदूषण, प्राकृतिक संपदा के दोहन से होने वाली हानियों को प्रकाशित कर अखबार लोगों को जानकारी देता है। इस प्रकार अखबार आज के युग में मुद्रित संचार माध्यमों में सर्वश्रेष्ठ स्थान रखता है।

पत्रिकाएँ-पत्रिकाओं का प्रकाशन आज सर्वाधिक हो रहा है। पत्रिकाओं का प्रकाशन अखबारों की तरह प्रतिदिन न होकर साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, द्विमासिक, त्रैमासिक छमाही या वार्षिक आधार पर प्रकाशित होती है। अवधि पर आधारित होने के कारण ताजा खबरों का प्रकाशन पत्रिकाओं में नही हो पाता। ज्यादातर पत्रिकाओं में घटनाओं, समाचारों, कला जगत तथा सामाजिक साहित्यिक हलचलों पर वैचारिक टिप्पणियाँ प्रकाशित की-जाती है। इन्हें पढ़कर यह लाभ होता है कि लोगों को उन परप्रतिक्रियायें जानने उनकी तह में छिपी वास्तविकता को जानने और विस्तार से समझने का अवसर मिलता है। सावधिक होने के कारण ताजा घटनाक्रमों का प्रकाशन संभव नहीं होता। इनके सावधिक होने का लाभ यह होता है कि सूचनाओं का विस्तार से प्रकाशन तथा विवेचन की सुविधा होती है। कई बार पत्रिकाएं खबरों की तह में छिपी घटनाओं को ढूंढ ले आती है। ऐसे उदाहरण हमारे सामने अक्सर आते रहते है।

कुल मिलाकार पत्र पत्रिकाएं सूचनाओं का तेजी से तथा प्रामाणिक तौर पर प्रकाशन कर सरकार की योजनाओं नीतियों के बारे में जानकारी देकर लोगों में जागरूकता पैदा करती है।

श्रव्य माध्यम

श्रव्य माध्यम सूचनाओं के प्रसारण का एक सशक्त माध्यम है जिन्हें सिर्फ सुना जा सकता है। मुद्रित माध्यमों की तरह इनकी सूचनाओं को पढ़ा या देखा नही जा सकता। रेडियों एक श्रव्य माध्यम है जिसमे समाचार, विज्ञापन, सूचनाओं का प्रसारण किया जाता है। मुद्रित माध्यमों का लाभ केवल साक्षर लोग ही उठा पाते हैं परन्तु श्रव्य माध्यमों का लाभ कम पढ़े लिख्ेा या निरक्षर उठा सकते है। मुद्रित माध्यमों की तरह इसका लाभ उठाने के लिए रोज पैसे खर्च नही करने पड़ते। रेडियो सेट एक बार खरीद कर लंबे समय तक सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा इसे कहीं भी किसी भी जगह ले जाया जा सकता है। रेडियों पर आजकल एक चैनल.एम. ज्ञानवाणी के जरिए विद्ययार्थियों के लिए पाठ्यक्रम पर आधारित कार्यक्रम भी प्रसारित होते है। जो विद्ययाथ्र्ाी कक्षा में नहीं जा पाते वे इसका लाभ उठा पाते है। रेडियों में भी लगभग वे सभी समाचार एवं सूचनाएं होती है जो पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती है। अंतर केवल इतना है रेडियों में समाचारों तथा सूचनाओं का प्रसारण समय निश्चित होने के कारण इनके विस्तार की गुंजाइश कम होती है। इनमे विशेष रूप से प्रमुख समाचार ही प्रसारित हो पाते है। जबकि अखबारों में स्थानीय और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचारों के लिए पर्याप्त स्थान बन जाता है। साथ ही इसमें चित्र भी प्रकाशित किए जा सकते है जो कि रेडियों में संभव नही है। रेडियों मे प्रसारित होने वाले समाचारों को यदि ठीक से सुना न जाए तो वे छूट जाते है परन्तु अखबार में ऐसा नही है उन्हें दुबारा पढ़ा जा सकता है।

रेडियो के अलावा श्रव्य माध्यम के रूप में इन दिनों टेपरिकार्ड का भी प्रचलन तेजी से बढ़ा है। इसमें सूचनाओं को रिकार्ड करके रखा जा सकता है, जिसे अपनी मर्जी से सुना जा सकता है। यह विद्यार्थियों के लिए उपयोगी साबित हो रही है। पाठ्यपुस्तों के अलावा दूर शिक्षा प्रणाली के जरिए शिक्षा प्रदान कराने वाले संस्थान आडियों कैसेट भी देते है। जिनमें पाठ्यक्रम के अलावा कई पाठ्यक्रम सहायक सामग्री उपलब्ध होती है। इन कैसेटो को अपनी सुविधानुसार सुन कर लाभ उठा सकते है। चुनावों के समय राजनीतिक पार्टियां अपने प्रचार प्रसार के लिए इसका उपयोग करते है। कई कंपनियां अपने विज्ञापनों का प्रसारण इसके माध्यम से करती है। लाउडस्पीकर भी संचार का एक श्रव्य माध्यम है इसके जरिए कस्बों में सिनेमा का प्रचार करने वाले वाहनों में इनका उपयोग होता है महानगरों में लाल बतियों पर ट्रेरफिक पुलिस का प्रचार प्रसारित होता रहता है।

दृश्यश्रव्य- माध्यम

दृश्य श्रव्य माध्यम के जारिए न सिर्फ कार्यक्रमों को सुना जा सकता है बल्कि घटनाओं को चित्र के रूप में देखे भी-जा सकते है। टेलीविजन दृश्यश्रव्य माध्यम है। इसके कार्यक्रम रेडियों की अपेक्षा अधिक रोचक होते हैं क्योकि -साथ दृश्य सामग्री भी होते हैं-इस पर चित्र भी प्रसारित होते है। टेलीविजन के कार्यक्रमों में श्रव्य के साथ इसलिए ये अधिक समय के लिए मन में अंकित रहते है। जिन बातों को सुनकर यापढ़कर आसानी से समझ नही पाते उन्हें देखकर आसानी से समझ जाते है। टेलीविजन पर समाचारों को बोलकर तो प्रसारित किया ही जाता है। उनसे संबधित चित्रों को दिखाकर और जहां जरूरी हुआ लिखित रूप में भी प्रस्तुत कर अधिक प्रभाव पैदा किया जा सकता है। इसी तरह टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले पाठ्यक्रम विषयक कार्यक्रम की रोचक और प्रभावशाली होते है। आजकल दूरदर्शन एक महत्पूर्ण संचार माध्यम के रूप में विकासित हो चुका है। चौबीसों घंटे इसका प्रसारण होने के कारण समाज के विविध पक्षों को दिखाने, हर पल की घटनाओं को प्रसारित करने में आसानी होती है। यह एक अत्याधुनिक उपकरण होने के कारण इसके माध्यम से सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना आसान हो गया है तथा घटना स्थल से भी सीधे आंखों देखा हाल प्रसारित किया जा सकता

है। टेलीविजन पर किसी भी घटना के तत्काल समाचार हमारे सामने होते हैं। किसी दूसरे देश में बैठे व्यक्ति से टिप्पणी ली और प्रसारित की जा सकती है। विभिन्न कंपनियां अपने उत्पादों का विज्ञापन टेलीविजन पर प्रसारित कराते हैं।

टेलीविजन के ज्ञानदर्शन चैनल द्वारा पाठ्य सामग्री या पाठ्यक्रम सहायक सामग्री का प्रसारण भी काफी-महत्वपूर्ण संचारमाध्यम के रूप में उभर कर सामने आया है। पाठ्यक्रमों के प्रसारण के लिए अब एक अलग से एजूसेट नामक उपग्रह भी अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है जिससे विद्यार्थियों, शोधार्थियों यहाँ तक कि अध्यापको के लिए शिक्षा संबंधी सूचनाएं प्राप्त करने दुनिया मे चल रहे शिक्षा संबंधी प्रयोगो केा बारे में जानने में आसानी हो जाती है। इस चैनल के माध्यम से राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान भी अपने विद्यार्थियों के लिए कार्यक्रम का प्रसारण करता है। कभी कभी टेली क्रान्फेंसिग कर विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान की-किया जाता है।

नए संचार माध्यम

कम्प्यूटर कम्प्यूटर से अब कोई व्यक्ति अपरिचित नहीं है। आज यह संचार का एक महत्वपूर्ण एवं सशक्त माध्यम - है। यह ऐसा उपकरण है जिसके कारण संचार के क्षेत्र में क्रांति आ गई है। आज संसार भर में ऐसा केाई क्षेत्र नही है जहाँ कम्प्यूटर की पहुंच नही है। इस पर अखबारों, रेडियो, टेलीविजन के लिए समाचार लिखे जा सकते है, संपादित किए जाते है तथा प्रकाशित प्रसारित किये जाते है।

इंटरनेट

इंटरनेट का अर्थ होता है कम्प्यूटरों का जाल इंटरनेट हजारों नेटवर्को का एक नेटवर्क है। सारी दुनिया के नेटवर्क-इस व्यवस्था से आपस में जोडे जा सकते हैं या जुड़े हुए है। संसार के किसी भी कोने से कोई भी सूचना देनी या लेनी हो तो वह कुछ ही पलों में भेजी या प्राप्त की जा सकती है। इसके द्वारा व्यवसाय, स्टॉक मार्केट, शिक्षा, चिकित्सा, मौसम, खेलकूद आदि के अतिरिक्त अन्य किसी भी क्षेत्र में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यहां तक कि यदि मन में कोई विचार आता है और हम उससे संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो वह भी हमें इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। इंटरनेट एक तरह से मुद्रित दृश्यश्रव्य माध्यमों का मिला जुला रूप है।-

मोबाइल फोन

यह घर के साधारण फोन से अलग होता है। घर के फोन को एक तार के जरिए जोड़ा जाता है इसलिए इसके उठाकर कही नहीं ले जाया जा सकता जबकि मोबाइल फोन बिना तार के काम करता है जिसे लेकर आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसे जेब में रखकर ले चलने की सुविधा के कारण इनके सेट काफी छोटे छोटे-तैयार किए जाने लगे हैं। यह एक दूसरे से बातचीत करने के अलावा इसका उपयोग संदेश भेजने पाने फोटो खीचने और तुरंत उसे दूसरे व्यक्ति के पास भेजने (.एस.एम.एस), बातचीत रिकार्ड करने और उसे दूसरे व्यक्ति के पास भेजने, फिल्में देखने, गाने सुनने, समाचार सुनने के लिए भी किया जात है।

UNIT-3

पत्रकारिता के विविध आयाम

मुद्रण के आविष्कार के बाद संदेश और विचारों को शक्तिशाली और प्रभावी ढंग से अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना मनुष्य का लक्ष्य बन गया। समाचार पत्र पढ़ते समय पाठक हर समाचार से अलग अलग जानकारी की अपेक्षा रखता है। कुछ घटनाओं के मामले में वह उसका विवरण विस्तार से पढना चाहता है तो कुछ अन्य के संदर्भ में उसकी इच्छा यह जानने की होती है कि घटना के पीछे क्या है? उसकी पृष्ठभूमि क्या है? उस घटना का उसके भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इससे उसका जीवन तथा समाज किस तरह प्रभावित होगा? समय, विषय और घटना के अनुसार पत्रकारिता में लेखन के तरीके बदल जाते हैं। यही बदलाव पत्रकारिता में कई नए आयाम जोड़ता है। दूसरी बात यह भी है कि स्वतंत्र भारत में इंटरनेट और सूचना के आधिकार ने (.आई.टी.आर) आज की पत्रकारिता को बहुआयामी और अनंत बना दिया है। आज कोई भी जानकारी पलक झपकते उपलब्ध कराई जा सकती है। मीडिया आज काफी सशक्त, स्वतंत्र और प्रभावकारी हो गया है। पत्रकारिता की पहुँच हर क्षेत्र में हो चुकी है। लेकिन सामाजिक सरोकार एवं भलाई के नाम पर मिली आभिव्यक्ति की आजादी का कभी कभी दुरपयोग होने लगा है। पत्रकारिता के नए आयाम को निम्न प्रकार से देखा जा सकता है।

सामाजिक सरोकारों की तुलना में व्यवसायिकता- अधिक संचार क्रांति तथा सूचना के आधिकार के अलावा आर्थिक उदारीकरण ने पत्रकारिता के चेहरे को पूरी तरह से बदलकर रख दिया है। विज्ञापनों से होनेवाली अथाह कमाई ने पत्रकारिता को काफी हद्द तक व्यावसायिक बना दिया है। मीडिया का लक्ष्य आज आधिक से आधिक कमाई का हो चला है। मीडिया के इसी व्यावसायिक दृष्टिकोण का नतीजा है कि उसका ध्यान सामाजिक सरोकारों से कहीं भटक गया है। मुद्दों पर आधारित पत्रकारिता के बजाय आज इन्फोटमेट ही मीडिया की सुर्खियों में रहता है।

समाचार माध्यमों का विस्तार- आजादी के बाद देश में मध्यम वर्ग के तेजी से विस्तार के साथ ही मीडिया के दायरे में आने वाले लोगों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। साक्षरता और क्रय शक्ति बढ़ने से भारत में अन्य वस्तुओं के अलावा मीडिया के बाजार का भी विस्तार हो रहा है। इस बाजार की जरूरतो को पूरा करने के लिए हर तरह के मीडिया का फैलाव हो रहा है। रेडियो, टेलीविजन, समाचारपत्र, सेटेलाइट टेलीविजन और इंटरनेट सभी विस्तार के रास्ते पर है। लेकिन बाजार के इस विस्तार के साथ ही मीडिया का व्यापारीकरण भी तेज हो गया है और मुनाफा कमाने को ही मुख्य ध्येय समझने वाली पूंजी ने भी मीडिया के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रवेश किया है।

जहां तक भारत में पत्रकारिता के नए आयाम की बात है इसके अन्तर्गत समाचार पत्र, पत्रिकाओं के साथ

टेलीविजन, रेडियो, सिनेमा, तथा वबे पजे आदि आते हैं। यहां अधिकांश मीडिया निजी हाथों में है और बड़ी बड़ी-कम्पनियों द्वारा नियंत्रित है। भारत में70,000 से अधिक समाचार पत्र हैं, 690 उपग्रह चैनेल हैं जिनमें से 80 समाचार चैनेल हैं। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा समाचार पत्र का बाजार है। प्रतिदिन 10 करोड़ प्रतियाँ बिकतीं हैं।

पत्रकारिता खास से मास की ओर- व्यापारीकरण और बाजार होड़ के कारण हाल के वर्षों में समाचार मीडिया ने अपने 'खास बाजार' (क्लास मार्केट को ('आम बाजार' (मास मार्केट में तबदिल करने की कोशिश की है। (-कारण है कि समाचार मीडिया और मनोरंजन की दुनिया के बीच का अंतर कम होता जा रहा है और कभी कभार तो दोनों में अंतर कर पाना मुश्किल हो जाता है।

समाचार के नाम पर मनोरंजन की बिक्री- समाचार के नाम पर मनोरंजन बेचने के इस रुझान के कारण आज समाचारों में वास्तविक और सरोकारीय सूचनाओ और जानकारियों का अभाव होता जा रहा है। आज निश्चित रूप से यह कहा जा सकता कि समाचार मीडिया लोगों के एक बडे हिस्से को 'जानकार नागरिक' बनने में मदद करने के बदले अधिकांश मौकों पर लोगों को 'गुमराह उपभेक्ता' अधिक बना रहा है। अगर आज समाचार की परंपरागत परिभाषा के आधार पर देश के अनेक समाचार चैनलों का मूल्यांकन करें तो एकआध चैनलो को ही-छोडकर अधिकांश इन्फोटेनमेंट के चैनल बनकर रह गए हैं।

समाचार अब उपभेक्ता वस्तु बनने लगा- आज समाचार मीडिया एक बड़ा हिस्सा एक ऐसा उद्योग बन गया है जिसका मकसद अधिकतम मुनाफा कमाना है और समाचार पेप्सी कोक जैसी उपभेग की वस्तु बन गया है और-पाठको, दर्शकों और श्रोताओं के स्थान पर अपने तक सीमित उपभेक्ता बैठ गया है। उपभोक्ता समाज का वह तबका है जिसके पास अतिरिक्त क्रय शक्ति है और व्यापारीत मीडिया अतिरिक्त क्रय शक्ति वाले सामाजिक तबके में अधिकाधिक पैठ बनाने की होड़ में उतर गया है। इस तरह की बाजार होड़ में उपभोक्ता को लुभाने वाले समाचार उत्पाद पेश किए जाने लगे हैं और उन तमाम वास्तविक समाचारीय घटनाओं की उपेक्षा होने लगी है जो उपभोक्ता के भीतर ही बसने वाले नागरिक की वास्तविक सूचना आवश्यकताएं थी और जिनके बारे में जानना उसके लिए आवश्यक है। इस दौर में समाचार मीडिया बाजार को हड़पने की होड़ में अधिकाधिक लोगों की 'चाहत' पर निर्भर होता जा रहा है और लोगों की 'जरूरत' किनारे की जा रही है।

समाचार पत्रों में विविधता की कमी- यह स्थिति हमारे लोकतंत्र के लिए एक गंभीर राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संकट पैदा कर रही है। आज हर समाचार संगठन सबसे अधिक बिकाऊ बनने की हाडे ़ में एक ही तरह के समाचारों पर टूट पड़ रहा है। इससे विविधता खत्म हो रही है और ऐसी स्थिति पैदा हो रही है जिसमें अनेक अखबार हैं और सब एक जैसे ही हैं। अनेक समाचार चैनल हैं। सिर्फ करते रहिए, बदलते रहिए और एक ही तरह के समाचार का एक ही तरह से प्रस्तुत होना देखते रहिए।

सनसनीखेज या पेज-श्री पत्रकारिता की ओर रूझान खत्म- इसमें कोई संदहे नहीं कि समाचार मीडिया में हमेशा से ही सनसनीखेज या पीत पत्रकारिता और 'पेजश्री-' पत्रकारिता की धाराएं मौजूद रही हैं। इनका हमेशा अपना स्वतंत्र अस्तित्व रहा है, जैसे ब्रिटेन का टेबलायड मीडिया और भारत में भी 'ब्लिज' जैसे कुछ समाचारपत्र रहे हैं।

'पेजथ्री-' भी मुख्यधारा पत्रकारिता में मौजूद रहा है। लेकिन इन पत्रकारीय धाराओं के बीच एक विभाजन रेखा थी जिसे व्यापारीकरण के मौजूदा रुझान ने खत्म कर दिया है।

समाचार माध्यमों का केन्द्रीकरण- समाचार माध्यमों विविधता समाप्त होने के साथ साथ केन्द्रीकरण का-रुझान भी प्रबल हो रहा है। हमारे देश में परंपरागत रूप से कुछ चन्द बड़े, जिन्हें 'राष्ट्रीय' कहा जाता था, अखबार थे। इसके बाद क्षेत्रीय प्रेस था और अंत में जिला तहसील स्तर के छोटे समाचारपत्र थे। नई प्रौद्यौगिकी-आने के बाद पहले तो क्षेत्रीय अखबारों ने जिला और तहसील स्तर के प्रसे को हड़प लिया और अब 'राष्ट्रीय' प्रसे 'क्षेत्रीय' में प्रवेश कर रहा है या 'क्षेत्रीय' प्रेस राष्ट्रीय का रूप अख्तियार कर रहा है। आज चंद समाचारपत्रों के अनेक संस्करण हैं और समाचारों का कवरेज अत्यधिक आत्मकेन्द्रित, स्थानीय और विखंडित हो गया है। समाचार कवरेज में विविधता का अभाव तो है, ही साथ ही समाचारों की पिटी पिटाई अवधारणों के आधार पर-लोगों की रूचियो और प्राथमिकताओं को परिभाषित करने का रुझान भी प्रबल हुआ है। लेकिन समाचार मीडिया के प्रबंधक बहुत समय तक इस तथ्य की उपेक्षा नहीं कर सकते कि साख औरप्रभाव समाचार मीडिया की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। आज समाचार मीडिया की साख में तेजी से ह्रास हो रहा है और इसके साथ ही लोगों की सोच को प्रभावित करने की इसकी क्षमता भी कुन्ठित हो रही है। समाचारों को उनके न्यायोचित और स्वाभाविक स्थान पर बहाल कर ही साख और प्रभाव के ह्रास की प्रक्रिया को रोका जा सकता है। इस तरह देखा जाए तो समय के साथ पत्रकारिता का विस्तार होता जा रहा है।

रेडियो पत्रकारिता

हमने देखा है कि मुद्रण के आविष्कार के बाद संदेश और विचारों को शक्तिशाली और प्रभावी ढंग से अधिक से अधिक लोगों तक पहुचं ाना मनुष्य का लक्ष्य बन गया है। यद्यपि समाचार पत्र जनसंचार के विकास में एक क्रांति ला चके थे लेकिन 1895 में मार्कोनी ने बेतार के तार का पता लगाया और आगे चलकर रेडियो के आविष्कार के जरिए आवाज एक ही समय में असख्ं य लोगों तक उनके घरों को पहुंचने लगी। इस प्रकार श्रव्य माध्यम के रूप में जनसंचार को रेडियो ने नये आयाम दिए। आगे चलकर सिनेमा और टेलीविजन के जरिए कई चुनौतियां मिली लेकिन रेडियो अपनी विशिष्टता के कारण इन चुनौतियो का सामना करता रहा है। भविष्य में भी इसका स्थान सुरक्षित है।

भारत में 1936 से रेडियो का नियमित प्रसारण शुरू हुआ। आज भारत के कोने कोने में देश की लगभग-97 प्रतिशत जनसंख्या रेडियो सुन पा रही है। रेडियो मुख्य रूप से सूचना तथा समाचार, शिक्षा, मनोरंजन और विज्ञापन प्रसारण का कार्य करता है। अब संचार क्रांति ने तो इसे और भी विस्तृत बना दिया है। एफएम चैनलों ने तो इसके स्वरूप ही बदल दिए हैं। साथ ही मोबाइल के आविष्कार ने इसे और भी नए मुकाम तक पहुंचा दिया है। अब रेडियो हर मोबाइल के साथ होने से इसका प्रयागे करने वालों की संख्या भी बढ़ी है क्योंकि रेडियो जनसंचार का एक ऐसा माध्यम है कि एक ही समय में स्थान और दूरी को लाघंकर विश्व के कोने कोने तक पहुंच-जाता है। रेडियो का सबसे बड़ा गुण है कि इसे सुनते हुए दूसरे काम भी किए जा सकते हैं। रेडियो समाचारने जहां दिन प्रतिदिन घटित घटनाओं की तुरंत जानकारी का कार्यभार संभाल रखा है वहीं श्राते ाओं के विभिन्न वर्गों के लिए विविध कार्यक्रमों की मदद से सूचना और शिक्षा दी जाती है। खास बात यह है कि यह हर वर्ग जोड़े रखने में यह एक सशक्त माध्यम के रूप में उभरकर सामने आया है।

इलेक्ट्रानिक मीडिया

मुद्रण के आविष्कार के साथ समाचार पत्र ने जनसंचार के विकास में एक क्रांति ला दिया था। इसके बाद श्रव्य माध्यम के रूप में रेडियो ने एक ही समय में असख्ं य लोगों तक उनके घरों को पहुचं ने का माध्यम बना दिया।

इस प्रकार श्रव्य माध्यम के रूप में जनसंचार को रेडियो ने नये आयाम दिए। इसके बाद टेलीविजन के आविष्कार ने दोनों श्रव्य एवं दृश्य माध्यम को एक और नया आयाम प्रदान किया है।

भारत में आजादी के बाद साक्षरता और लोगों में क्रय शक्ति बढ़ने के साथ ही अन्य वस्तुओं की तरह मीडिया के बाजार की भी मांग बढ़ी है। नतीजा यह हुआ कि बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए हर तरह के मीडिया का फैलाव हो रहा है। इसमें सरकारी टेलीविजन एवं रेडियो के अलावा निजी क्षेत्र में भी निवेश हो रहा है। इसके अलावा सेटेलाईट टेलीविजन और इंटरनेट ने दो कदम और आगे बढ़कर मीडिया को फैलाने में सहयोग किया है। समाचार पत्र में भी पूंजी निवेश के कारण इसका भी विस्तार हो रहा है। इसमें सबसे खास बात यह रही कि चाहे वह शहर हो या ग्रामीण क्षेत्र भारत में इलेक्ट्रोनिक मीडिया पिछले 15-20 वर्षों में घर घर में पहुँच गया है। शहरों और कस्बो में केबिल टीवी से सैकड़ों चैनल दिखाए जाते हैं। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के कम से कम 80 प्रतिशत परिवारों के पास अपने टेलीविजन सेट हैं और मेट्रो शहरों में रहने वाले दो तिहाई लोगों ने अपने घरों में केबिल कनेक्शन लगा रखे हैं। अब तो सेट टाप बाक्स के जरिए बिना केबिल के टीवी चल रहे हैं। इसके साथ ही शहर से दूर डायरेक्ट टु हामे सर्विस का विस्तार हो रहा-दराज के क्षेत्रो में भी लगातार डीटीएच-है। प्रारम्भ में केवल फिल्मी क्षेत्रो से जुड़े गीत, संगीत और नृत्य से जुड़ी प्रतिभाओं के प्रदर्शन का माध्यम बना एवं लंबे समय तक बना रहा, इससे ऐसा लगने लगा कि इलेक्ट्रानिक मीडिया सिर्फ फिल्मी कला क्षेत्रो से जुड़ी प्रतिभाओं के प्रदर्शन के मंच तक ही सिमटकर रह गया है, जिसमे नैसर्गिक और स्वाभाविक प्रतिभा प्रदर्शन की अपेक्षा नकल को ज्यादा तवज्जो दी जाती रही है। कुछ अपवादों को छोड़ इलेक्ट्रानिक मीडिया की यह नई भूमिका अत्यन्त प्रशसंनीय और सराहनीय है, जो देश की प्रतिभाओ को प्रसिद्धि पाने और कला एवं हुनर के प्रदर्शन हेतु उचित मंच और अवसर प्रदान करने का कार्य कर रही है। इसके बावजूद यह माध्यम कभी कभी बहुत नुकसान भी पहुंचाता है।

सोशल मीडिया

संचार क्रांति के तहत इंटरनेट के आविष्कार ने पूरी दुनिया की दूरी मिटा दी है। पलक झपकते ही छोटी से लेकर बड़ी सूचना उपलब्ध हो जा रही है। दरअसल, इंटरनेट एक ऐसा तकनीक के रूप में हमारे सामने आया है, जो उपयोग के लिए सबको उपलब्ध है और सर्वहिताय है। इंटरनेट का सोशल नेटवकिर्ंग साइट्स संचार व सूचना का सशक्त जरिया हैं, जिनके माध्यम से लोग अपनी बात बिना किसी रोक टोक के रख पाते हैं। यहीं से सोशल-मीडिया का स्वरूप विकसित हुआ है। इंटरनेट के सोशल मीडिया व्यक्तियों और समुदायों के साझा, सहभागी बनाने का माध्यम बन गया है। इसका उपयोग सामाजिक संबंध के अलावा उपयोगकर्ता सामग्री के संशोधन के लिए उच्च पारस्परिक मंच बनाने के लिए मोबाइल और वेब आधारित प्रौद्योगिकियों के प्रयोग के रूप में भी देखा जा सकता है।

सोशल मीडिया के प्रकार

इस सोशल मीडिया के कई रूप हैं जिनमें कि इन्टरनेट फोरम, वेबलाग, सामाजिक ब्लाग, माइक्रोब्लागिंग, विकीज, सोशल नेटवर्क, पाडकास्ट, फोटोग्राफ, चित्र, चलचित्र आदि सभी आते हैं। अपनी सेवाओं के अनुसार सोशल मीडिया के लिए कई संचार प्रौद्योगिकी उपलब्ध हैं। जैसेउदाहरण के लिए) सहयोगी परियोजना -, विकिपीडियाउदाहरण के लिए) ब्लाग और माइक्रोब्लाग (, ट्विटर उदाहरण) सोशल खबर नेटवकिर्ंग साइट्स (के लिए याहू न्यूज, गूगल न्यूजउदाहरण के लिए) सामग्री समुदाय (, यूट्यूब और डेली मोशन सामाजिक (उदाहरण के लिए) नेटवकिर्ंग साइट, फेसबुकजैसे) आभासी खेल दुनिया (, वर्ल्ड ऑफ वारक्राफ्ट आभासी ((जैसे सेकंड लाइफ) सामाजिक दुनिया

दो सिविलाइजेशन में बांट रहा है सोशल मीडिया

सोशल मीडिया अन्य पारंपरिक तथा सामाजिक तरीकों से कई प्रकार से एकदम अलग है। इसमें पहुँच, आवृत्ति, प्रयोज्य, ताजगी और स्थायित्व आदि तत्व शामिल हैं। इंटरनेट के प्रयोग से कई प्रकार के प्रभाव देखने को मिला है। एक सर्वे के अनुसार इंटरनेट उपयोगकर्ता अन्य साइट्स की अपेक्षा सोशल मीडिया साइट्स पर ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। इंटरनेट के इस आविष्कार ने जहां संसार को एक गांव बना दिया है वहीं इसका दूसरा पक्ष यह है कि दुनिया में दो तरह की सिविलाइजेशन का दौर शुरू हो चुका है। एक वर्चुअल और दूसरा फिजीकल सिविलाइजेशन। जिस तेजी से यह प्रचलन बढ़ रहा है आने वाले समय में जल्द ही दुनिया की आबादी से एक बहुत बड़ा हिस्सा इंटरनेट पर होगी।

विज्ञापन का सबसे बड़ा माध्यम

जन सामान्य तक इसकी सीधी पहुँच होने के कारण इसका व्यापारिक उपयागे भी बढ़ा है। अब सोशल मीडिया को लोगों तक विज्ञापन पहुँचाने के सबसे अच्छा जरिया समझा जाने लगा है। हाल ही के कुछ एक सालो से देखने में आया है कि फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मस पर उपभोक्ताओ का वर्गीकरण विभिन्न मानकों के अनुसार किया जाने लगा है जैस,े आयु, रूचि, लिगं, गतिविधियों आदि को ध्यान में रखते हुए उसके अनुरूप विज्ञापन दिखाए जाते हैं। इस विज्ञापन के सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त हो रहे हैं साथ ही साथ आलोचना भी की जा रही है।

समाज पर पड़ रहा नकारात्मक प्रभाव

जहाँ इंटरनेट के सोशल मीडिया ने व्यक्तियों और समुदायों के बीच सूचना आदान प्रदान में सहभागी बनाने का माध्यम बनकर समाज पर सकारात्मक प्रभाव ड़ाला है वहीं दूसरी ओर इसका नकारात्मक प्रभाव भी देखने में आया है। अपनी बात बिना किसी रोक टोक के रखने की छूट ने ये साइट्स ऑनलाइन शोषण का साधन भी-बनती जा रही हैं। ऐसे कई केस दर्ज किए गए हैं जिनमें सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स का प्रयोग लोगों को सामाजिक रूप से हानि पहुंचाया है। इसके साथ ही लोगों की खिचाई करने तथा अन्य गलत प्रवृत्तियों के लिए किया गया है। कुछ दिन पहले भद्रक में हुई एक घटना ने सोशल मीडिया के खतरनाक पक्ष को उजागर किया था। वाकया यह हुआ था कि एक किशोर ने फेसबूक पर एक ऐसी तस्वीर अपलोड कर दी जो बेहद आपत्तिजनक थी, इस तस्वीर के अपलोड होते ही कुछ घंटे के भीतर एक समुदाय के सैकडों गुस्साए लोग सडकों पर उतार आए। जबतक प्राशासन समझ पाता कि माजरा क्या है, भद्रक में दंगे के हालात बन गए। प्रशासन ने हालात को बिगडने नहीं दिया और जल्द ही वह फोटो अपलोड करने वाले तक भी पहुँच गया। लोगों का मानना है कि परंपरिक मीडिया के आपत्तिजनक व्यवहार की तुलना में नए सोशल मीडिया के इस युग का आपत्तिजनक व्यवहार कई मायने में अलग है। नए सोशल मीडिया के माध्यम से जहां गडबडी आसानी से फैलाई जा सकती है, वहीं लगभग गुमनाम रहकर भी इस कार्य को अंजाम दिया जा सकता है।

वेब पत्रकारिता

वर्तमान दौर संचार क्रांति का दौर है। संचार क्रांति की इस प्रक्रिया में जनसचं ार माध्यमों के भी आयाम बदले हैं। आज की वैश्विक अवधारणा के अंतर्गत सूचना एक हथियार के रूप में परिवर्तित हो गई है। सूचना जगत गतिमान हो गया है, जिसका व्यापक प्रभाव जनसचांर माध्यमों पर पड़ा है। पारंपरिक संचार माध्यमों समाचार पत्र, रेडियो और टेलीविजन की जगह वेब मीडिया ने ले ली है।

वेब पत्रकारिता आज समाचार पत्रप-त्रिका का एक बेहतर विकल्प बन चुका है। न्यू मीडिया, आनलाइन

मीडिया, साइबर जर्नलिज्म और वेब जर्नलिज्म जैसे कई नामों से वबे पत्रकारिता को जाना जाता है। वबे पत्रकारिता प्रिंट और ब्राडकास्टिंग मीडिया का मिलाजुला रूप है। यह टेक्स्ट-, पिक्चर्स, आडियो और वीडियो के जरिये स्क्रीन पर हमारे सामने है। माउस के सिर्फ एक क्लिक से किसी भी खबर या सूचना को पढ़ा जा सकता है। यह सुविधा 24 घंटे और सातों दिन उपलब्ध होती है जिसके लिए किसी प्रकार का मूल्य नहीं चुकाना पड़ता।

वेब पत्रकारिता का एक स्पष्ट उदाहरण बनकर उभरा है विकीलीक्स। विकीलीक्स ने खोजी पत्रकारिता के क्षेत्र में वेब पत्रकारिता का जमकर उपयोग किया है। खोजी पत्रकारिता अब तक राष्ट्रीय स्तर पर होती थी लेकिन विकीलीक्स ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोग किया व अपनी रिपोर्टों से खुलासे कर पूरी दुनिया में हलचल मचा दी।

भारत में वबे पत्रकारिता को लगभग एक दशक बीत चुका है। हाल ही में आए ताजा आंकड़ों के अनुसार इंटरनेट के उपयोग के मामले में भारत तीसरे पायदान पर आ चुका है। आधुनिक तकनीक के जरिये इंटरनेट की पहुंच घरघर तक हो गई है। युवाओं में इसका प्रभाव अधिक दिखाई देत-ा है। परिवार के साथ बैठकर हिदीं खबरिया चैनलों को देखने की बजाए अब युवा इंटरनेट पर वेब पोर्टल से सूचना या आनलाइन समाचार देखना पसंद करते हैं। समाचार चैनलों पर किसी सूचना या खबर के निकल जाने पर उसके दोबारा आने की कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन वहीं वेब पत्रकारिता के आने से ऐसी कोई समस्या नहीं रह गई है। जब चाहे किसी भी समाचार चैनल की वेबसाइट या वेब पत्रिका खोलकर पढ़ा जा सकता है।

लगभग सभी बड़े छोटे समाचार पत्रों ने अपने ई पेपर यानी इटंरनेट संस्करण निकाले हुए हैं। भारत में-1995 में सबसे पहले चेन्नई से प्रकाशित होने वाले 'हिंदू' ने अपना ई संस्करण निकाला।-1998 तक आते आते लगभग-48 समाचार पत्रों ने भी अपने ई संस्करण निकाल।े आज वबे पत्रकारिता ने पाठकों के सामने ढेरों विकल्प रख दिए हैं। वर्तमान समय में राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों में जागरण, हिन्दुस्तान, भास्कर, नवभारत, डेली एक्सप्रेस, इकोनामिक टाइम्स और टाइम्स आफ इंडिया जैसे सभी पत्रों के ईसंस्करण मौजूद हैं।-

भारत में समाचार सेवा देने के लिए गूगल न्यूज, याहू, एमएसएन, एनडीटीवी, बीबीसी हिंदी, जागरण, भड़ास फार मीडिया, ब्लाग प्रहरी, मीडिया मंच, प्रवक्ता, और प्रभासाक्षी प्रमुख वेबसाइट हैं जो अपनी समाचार सेवा देते हैं।

वेब पत्रकारिता का बढ़ता विस्तार देख यह समझना सहज ही होगा कि इससे कितने लोगों को राजे गार मिल रहा है। मीडिया के विस्तार ने वबे डेवलपरो एवं वेब पत्रकारो की मांग को बढ़ा दिया है। वबे पत्रकारिता किसी अखबार को प्रकाशित करने और किसी चैनल को प्रसारित करने से अधिक सस्ता माध्यम है। चैनल अपनी वेबसाइट बनाकर उन पर बे्रकिंग न्यूज, स्टोरी, आर्टिकल, रिपोर्ट, वीडियो या साक्षात्कार को अपलोड और अपडेट करते रहते हैं। आज सभी प्रमुख चैनलो (आईबीएन, स्टार, आजतक आदि और अखबारों ने (अपनी वेबसाइट बनाई हुईं हैं। इनके लिए पत्रकारों की नियुक्ति भी अलग से की जाती है। सूचनाओं का डाकघर कही जाने वाली संवाद समितियां जैसे पीटीआई, यूएनआई, एएफपी और रायटर आदि अपने समाचार तथा अन्य सभी सेवाएं आनलाइन देती हैं।

कम्प्यूटर या लैपटाप के अलावा एक और ऐसा साधन मोबाइल फोन जुड़ा है जो इस सेवा को विस्तार देने के साथ उभर रहा है। फोन पर ब्राडबैंड सेवा ने आमजन को वेब पत्रकारिता से जोड़ा है। पिछले दिनों मुंबई में हुए सीरियल ब्लास्ट की ताजा तस्वीरें और वीडियो बनाकर आम लोगों ने वबे जगत के साथ साझा की। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेद्रं मोदी द्वारा डिजिटल इंडिया का शुभारंभ किया गया। इसके जरिए गांवों में पंचायतों को ब्राडबैंड सुविधा मुहैया कराई गई है। इससे पता चलता है कि भविष्य में यह सुविधाएं गांव गांव-तक पहुंचेंगी।

वेब पत्रकारिता ने जहां एक ओर मीडिया को एक नया क्षितिज दिया है वहीं दूसरी ओर यह मीडिया का पतन भी कर रहा है। इंटरनेट पर हिंदी में अब तक अधिक काम नहीं किया गया है, वबे पत्रकारिता में भी अंग्रेजी ही हावी है। पर्याप्त सामग्री न होने के कारण हिंदी के पत्रकार अंग्रेजी वबे साइटो से ही खबर लेकर अनुवाद कर अपना काम चलाते हैं। वे घटनास्थल तक भी नहीं जाकर देखना चाहते कि असली खबर है क्या?

यह कहा जा सकता है कि भारत में वेब पत्रकारिता ने एक नई मीडिया संस्'ति को जन्म दिया है। अंग्रेजी के साथसाथ हिंदी पत्रकारिता को भी एक नई गति मिली है युवाओं को नये राजे गार मिल-े हैं। अधिक से अधिक लोगों तक इटंरनेट की पहुंच हो जाने से यह स्पष्ट है कि वेब पत्रकारिता का भविष्य बेहतर है। आने वाले समय में यह पूर्णतरू विकसित हो जाएगी।

विज्ञापन और पत्रकारिता

चूंकि जनसचं ार माध्यम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचता है तो विज्ञापन का प्रयोग इन माध्यमों में प्रचार के लिए किया जाता है। वर्तमान संसार में ग्लोबल विलेज की कल्पना की जा रही है। इस गांव में रहनेवाले एक दूसरे को अपनी वस्तुओं की जानकारी पहुंचाने के लिए विज्ञापनों की आवश्यकता होती है। इसलिए विज्ञापन की आवश्यकता पड़ रही है। दूसरी बात यह कि तकनीक एवं औद्योगिक विकास के साथ ही उत्पादन की अधिकता एवं उसकी बिक्री ने भी विज्ञापन बाजार को बढ़ा दिया है। तीसरी बात यह है कि जैसे जैसे लोगों का आय बढ़ा है लोगों में क्रय करने की शक्ति बढ़ी है। उनकी मांगों को परू ी करने के साथ उत्पादक अपना उत्पाद के बारे में बताने के लिए इसका सहारा ले रहे हैं। उत्पादक कम खर्च पर उसके उत्पादन सामग्री की खुबी बताने अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का सबसे बड़ा माध्यम है जनसचांर माध्यम। इसलिए विज्ञापनों की विकास यात्रा में जनसचं ार माध्यमों के विकास का बहुत बड़ा योगदान है। चौथी बात यह होती है कि जनसंचार माध्यम के खर्च की भरपाई इन्हीं विज्ञापन के जरिए होती है। लेकिन पिछले कुछ सालो ं से बाजारवाद के कारण विज्ञापन जनसचांर माध्यम की कमाई का सबसे बड़ा जरिया बन गया है। माध्यम के आधार पर विज्ञापन के तीन प्रकार होते हैं-„श्य, श्रव्य और दृश्य श्रव्य। विज्ञापनों की भाषा अलग प्रकार की होती है। सरकारी विज्ञापन की भाषा-व्यापारिक विज्ञान की तुलना में जटिल होती है।

प्रमुख पत्र पत्रिकाएँ

भारतीय पत्रकारिता का इतिहासि लगभग दो सौ वर्ष पुराना है। भारतवर्ष में आधुनिक ढंग की पत्रकारिता का जन्म अठारहवीं शताब्दी के चतुर्थ चरण में कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में हुआ। 1780 ई में प्रकाशित हिके का . 'कलकत्ता गजट' कदाचित इस ओर पहला प्रयत्न था। हिंदी के पहले पत्र उदंत मार्तण्ड)1826) के प्रकाशित होने तक इन नगरों की ऐंग्लोइंडियन अंग्रेजी पत्रकारिता काफी विकसित हो गई थी।

आज की स्थिति में भारत के विभिन्न भाषाओं में 70 हजार समाचार पत्रों का प्रकाशन होता है। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा समाचार पत्र का बाजार है। प्रतिदिन 10 करोड़ प्रतियाँ बिकतीं हैं। जहां तक हिंदी समाचार पत्र की बात है 1990 में हुए राष्ट्रीय पाठक सर्वेक्षण की रिपोर्ट बताती थी कि पांच अगुवा अखबारों में हिन्दी का केवल एक समाचार पत्र हुआ करता था। लेकिन पिछले 2016 सर्वे ने साबित कर दिया कि हम कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बार 2016 सबसे अधिक पढ़े जाने वाले पांच अखबारों में शुरू के चार हिदीं के हैं। देश में सबसे अधिक पढ़जे ानेवाले दस समाचार पत्र निम्नलिखित हैं-

1. **दैनिक जागरण-:** कानपुर से 1942 से प्रकाशित दैनिक जागरण हिंदी समाचार पत्र में वर्तमान में सर्वाधिक प्रसारित समाचार पत्रों में शुमार है। इसके 11 राज्यो में दर्जनों संस्कारण हैं। इसकी प्रसार संख्या जून 2016 तक 3,632,383 दर्ज की गई थी।
2. **दैनिक भास्कर-:** भेपाल से 1958 में आरंभ यह समाचार पत्र वर्तमान में 14 राज्यो में 62 संस्करण में प्रकाशित हो रहे हैं। हिदी के साथ इसके अंगे्रजी, मराठी एवं गुजराती भाषा में भी कई सस्ं करण हैं। इसकी प्रसार संख्या जनू 2016 तक 3,812,599 थी।
3. **अमर उजाला-:** आगरा से 1948 से प्रारंभ अमर उजाला के वर्तमान सात राज्यों एवं एक केद्रीं शासित प्रदेश में 19 संस्करण हैं। इसके जनू 2016 तक प्रसार सख्ंया 2,938,173 होने का रिकार्ड किया गया है।
4. **टाइम्स ऑफ इंडिया-:** अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र टाइम्स ऑफ इंडिया 1838 को सबसे पहले प्रकाशित हुआ था। यह देश का चैथा सबसे अधिक प्रसारित समाचार पत्र है। इसके साथ ही यह विश्व का छठा सबसे अधिक प्रसारित दैनिक समाचार पत्र है। दिसंबर 2015 तक इसकी प्रसार संख्या 3,057,678 थी। भारत के अधिकांश राज्य के राजधानी में इसके संस्करण हैं।
5. **हिंदुस्तान-:** दिल्ली से 1936 से प्रकाशित हिदुंस्तान के वर्तमान 5 राज्यों में 19 संस्करण हैं। इसकी प्रसार संख्या जून 2016 तक 2,399,086 थी।
6. **मलयाला मनोरमा-:** मलयालम भाषा में प्रकाशित यह समाचार पत्र 1888 में कोट्टायम से प्रकाशित हुआ। यह केरल का सबसे पुराने समाचार पत्र है। यह केरल के 10 शहरों सहित बैंगलोर, मैंगलोर, चेन्नई, मुंबइ, दिल्ली, दुबई एवं बहरीन से प्रकाशित है। इसकी दिसंबर 2015 तक प्रसार संख्या 2,342,747 थी।
7. **ईनाडु-:** तेलगू भाषा में प्रकाशित ईनाडु समाचार पत्र 1974 में प्रकाशन प्रारंभ हुआ। आंध्रप्रदेश एवं तेलेगं ानामें इसके कई संस्करण हैं। दिसंबर 2015 तक इसकी प्रसार संख्या 1,807,581 थी।
8. **राजस्थान पत्रिका-:** 1956 से दिल्ली में प्रारंभ राजस्थान पत्रिका वर्तमान 6 राज्यो में दर्जनो संस्कारण में प्रकाशित हो रहे हैं। जनू 2016 तक इसकी प्रसार संख्या 1,813,756 थी।
9. **दैनिक थेथीं-:** तमिल भाषा में प्रकाशित दैनिक थेंथी ने सर्वप्रथम 1942 में प्रकाशित हुआ। वर्तमान विदेशों सहित 16 शहरों में इसके संस्करण प्रकाशित हो रहे हैं। जून 2016 तक इसकी प्रसार संख्या 1,714,743 थी।
10. **मातृभूमि मलयालम-:** भाषा में प्रकाशित मातृभाषा का प्रथम प्रकाशन 1923 को हुआ था। करे ल के 10 शहरों सहित चेन्नई, बैंगलोर, मुबंई और नईदिल्ली से प्रकाशित हो रहे हैं। दिसंबर 2015 तक इसकी प्रसार संख्या 1,486,810 थी।

देश में सर्वाधिक प्रसारित दस हिदीं दैनिक में दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, पत्रिका, प्रभात खबर, नवभारत टाइम्स, हरिभूमि, पंजाब केसरी शामिल हैं। अंगे्रजी के दस सर्वाधिक प्रसारित समाचार पत्रों में टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदस्तुन टाइम्स, दि हिंदु, मुंबई मिरर, दि टेलिग्राफ, दि इकोनोमिक्स टाइम्स, मिड डे, दि ट्रिब्यून, डेकान हेरल्ड, डेकान क्रानिकल्स शामिल हैं। क्षेत्रीय भाशाओं के समाचार पत्रों में मलयालयम मनोरमा(मलयालम), दैनिक थेथीं(तमिल), मातृभूमि(मलयालम), लोकमत(मराठी), आनंदबाजार पत्रिका(बंगाली), ईनाडु(तेलगू), गुजरात समाचार(गुजराती), सकल(मराठी), संदेश(गुजराती), साक्षीशामिल हैं। (मराठी)

पत्रिकाओं में दस सर्वाधिक प्रसारित हिंदी पत्रिकाओं में प्रतियोगिता दर्पण, इंडिया टुडे, सरस सलील, सामान्य ज्ञान दर्पण, गृहशोभा, जागरण जोश प्लस, क्रिकेट सम्राट, डायमंड क्रिकेट टुडे, मेरी सहेली एवं सरिता शामिल हैं। अंग्रेजी के सर्वाधिक दस पत्रिकाओं में इंडिया टुडे, प्रतियोगिता दर्पण, जेनेरल नालेज टुडे, दि स्टपोटर्स स्टार, कंपिटिशन सक्सेस रिविवू, आउटलूक, रिडरर्स डायजेस्ट, फिल्मफेयर, डायमंड क्रिकेट टुडे, फेमिना शामिल हैं। दस क्षेत्रीय पत्रिकाओं में थेंथी(मलयालम), मातृभूमि आरोग्य मासिक(मलयालम), मनोरमा तोझीविधि(मलयालम), कुमुद(तमिल), कर्म संगठन(बंगाली), मनोरमा तोझीवर्थ(मलयालम), गृहलक्ष्मी(मलयालयम), मलयालम मनोरमा(मलयालम), कुंगुममशामिल हैं। (बंगाली)एवं कर्मक्षेत्र (तमिल)

देश में सर्वाधिक प्रसारित साप्ताहिक समाचार पत्र में हिंदी के रविवासरीय हिंदुस्तान, अंग्रेजी का दि संडे टाइम्स ऑफ इंडिया, मराठी का रविवार लोकसत्ता, अंग्रेजी का दि स्वीकिंग ट्री, बंगाली का कर्मसंगठन शामिल है। इसके अलावा देश में

अलग अलग भाषाओ में हजारो की संख्या में साप्ताहिक समाचार पत्र प्रकाशित हाते े हैं। इसके अलावा हजारों की संख्या में पत्रिकाएँ प्रकाशित होती है।

हिंदी के प्रमुख पत्रकार

समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं की चर्चा में हमने देखा कि भारत में हिंदी पत्रकारिता का इतिहास लगभग दो सौ वर्ष पुराना है। पहला हिंदी समाचार पत्र होने का श्रेय चूंकि 'उदंत मार्तण्ड' (1826) को जाता है तो इसके संपादक को भी हिंदी के पहले पत्रकार होने का गौरव प्राप्त है, क्योंि क उस समय संपादक ही पत्रकार की भूमिका निर्वाह करते होंगे। इसके बाद इन दो सौ सालो में अनगिनत पत्रकार हुए हैं जिन्होनें अपनी कलम से सामाजिक सरोकारों को पूरी ईमानदारी से निभाया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण भारत का स्वतंत्रता आंदोलन है। स्वतंत्रता आंदोलन को धार देने में पत्रकारिता ही सबसे बड़ा अस्त्र बना था। पत्रकारिता ने अंग्रेजी सत्ता के दमन नीति, लोगों के प्रति किए जा रहे अन्याय, अत्याचार एवं कुशासन के खिलाफ निरंतर विरोध का स्वर उठाया जिसके परिणाम स्वरूप देश में एकजुटता आई। इसका नतीजा यह रहा कि पूरे देश में अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ स्वर उठा और आखिर अंग्रेजो ने भारत को आजाद कर दिया। लोगों में स्वतंत्रता का अलख जगाने की कोशिश में न जाने कितने संपादक-सह-पत्रकार शहीद हुए हैं तो न जाने कितनों की आवाज भी दबा दी गई हो गई फिर भी पत्रकारो ने सामाजिक सरोकारों को नहीं छोड़ा । दूसरा उदाहरण था हिदीं भाषा को स्थापित करना। हिदीं भाषा साहित्य जगत में कुछ एसे े महान साहित्यकार हुए हैं जो संपादक पत्रकार ही थे। उनका-जिक्र किए बगैर हम हिंदी भाषा के किसी भी रूप की चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। उस समय हिंदी साहित्य और पत्रकारिता एवं साहित्कार एवं पत्रकार दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची बने हुए थे। उन्होनें अंग्रेजी भाषा के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था जब अंग्रेजी शासक अंग्रेजी को ही देश की भाषा बनाने चाहता था। इन लेखक पत्रकारों ने अंग्रेजी भाषा के मुकाबले हिंदी किसी भी विधा में कमजोर नहीं है साबित करने के लिए ही-पद्य एवं गद्य विधा के सभी रूपों में लेखनी चलाई है और साबित कर दिया कि हिंदी भाषा में चाहे वह कविता हो या गद्य और गद्य मेंचाहे वह उपन्यास हो, कहानी हो, निबंध हो, आलोचना हो, जीवनी हो या अन्य कोई विधा सभी में लिखा जा सकता है। इस तरह इन लेखक संपादको ने साहित्यिक पत्रकार के-पत्रकार-साहित्यकार-रूप में अंग्रेजी भाषा के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आज भारत आजाद हो चुका है लेकिन आश्चर्य की बातयह है कि हिंदी पत्रकार तथा पत्रकारिता को इस अंग्रेजी भाषा के खिलाफ आज भी लड़ाई जारी है क्योंि क आज भी हिंदी भाषा को देश में वह स्थान एवं सम्मान नहीं मिल पाया है जितना मिलना चाहिए।

आज देश आजाद हो गया लेकिन पत्रकारो की भूमिका कम नहीं हुई। अब लक्ष्य बदल गया। पहले लड़ाई अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ थी जो अब बदलकर देश में जारी अशिक्षा, उपेक्षा, बेरोजगारी, किसान की समस्या, नारी की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, भोजन की समस्या के खिलाफ जंग जारी है। समाज में सबसे नीचे जीनेवाले लोगों को न्याय दिलाने तथा मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना ध्येय बन गया है। दूर संचार क्रांति के बाद तो इलेि क्ट्रानिक्स मीडिया और अब इंटरनेट के आविष्कार के साथ सोशल एवं वेब मीडिया ने तो इसे और धार दे दिया है। आज समय के साथ ऐसा बदलाव आया कि पत्रकारिता को समाज ने पेशा के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। आज की स्थिति में भारत के विभिन्न भाषाओं में 70 हजार समाचार पत्रों का प्रकाशन होता है तो निश्चित रूप से लाखो पत्रकार भी होगें आज स्थिति चाहे जो भी हो जैसा भी हो हमारे से पहले पत्रकारों ने कुछ आदर्श स्थापित किया था जो आज भी यथावत है। शायद उनके कारण ही आज पत्रकार को समाज में सम्मान की नजर से दख्े ाा जाता है। उनमें से कुछ निम्न हैं-

स्वतंत्रता पूर्व हिंदी के प्रमुख पत्रकार

भारतेंदु हरिश्चंद्रकवि वचन सुधा), हरिश्चंद्र मैगजीन(, प्रताप नारायण मिश्रब्राह्मण), हिंदोस्तान(, मदनमोहन मालवीयहिन्दोस्तान), अभ्युदय, महारथी, सनातन धर्म, विश्वबंधु लीडर, हिन्दुस्तान टाइम्स(, महावीर प्रसाद

द्विवेदी(सरस्वती), बालमुकुंद गुप्त(पत्रिका-मथुरा अखबार सहित अनेक पत्र), श्याम सुंदर दासनागरी प्रचारिणी), सरस्वती(, प्रेमचंदमाधुरी), हंस, जागरण(, बाबूराव विष्णु पराड़करहिंदी बगंवासी), हितवार्ता, भारत मित्र, आज(, शिव प्रसाद गुप्तआज), टु डे,), चंद्रधर शर्मा गुलेरीजैनवैद्य), समालोचक, नागरी प्रचारिणी(, बाबू गुलाबराय(संदेश), डाउद्धारक) सत्येद्रं ., आर्यमित्र, साधना, ब्रजभारती, साहित्य संदेश, भारतीय साहित्य, विद्यापीठ, आगरा का त्रैमासिक(

स्वतंत्रता के बाद के पत्रकार

सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेयबिजली), प्रतीक, वाक, थाट, दिनमान, नवभारत टाइम्स(, अरविंद कुमारसरिता), टाइम्स ऑफ इंडिया, माधुरी, सुचित्रा(,कृष्णचंद्र अग्रवाल(विश्वमित्र), बालेश्वर प्रसाद अग्रवालप्रवर्तक), हिंतुस्तान समाचार(, डोरीलाल अग्रवालउजाला), अमर उजाला, दिशा भारती(, राजेद्रं अवस्थीसारिका), नंदन, कादंबिनी, साप्ताहिक हिंतुस्तान(, महावीर अधिकारीविचार साप्ताहिक), हिंस्तुस्तान, नवभारत टाइम्स, करंट(, कमलेश्वर प्रसाद सक्सेनाकामरेड) (कमलेश्वर), सारिका, गंगा, दैनिक जागरण(, कर्पूरचंद कुलिशराष्टकृदूत), राजस्थान पत्रिका(, धर्मवीर गांधीहिंतुस्तान समाचार), साथी, समाचार भारती, देश दुनिया(, पूर्णचंद्र गुप्तस्वतंत्र), दैनिक जागरण, एक्शन, कंचन प्रभा(, मन्मथनाथ गप्ुताबाल भारती), योजना, आजकल(, सत्येद्रं गुप्तआज), ज्ञान मंडल(, जगदीश चतुर्वेदीमधुकर), नवभारत टाइम्स, लोक समाचार समिति, आज(, प्रेमनाथ चतुर्वेदीविश्वमित्र), नवभारत टाइम्स(, बनारसी दास चतुर्वेदीविशाल भारत), मधुकर(, युगल किशोर चतुर्वेदीजागृति), राष्ट्रदूत, लोकशिक्षक(, कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी(नवज्योति), अभय छाजलानी नई) (दुनिया दैनिक, अक्षय कुमार जैनअर्जुन), वीणा, दैनिक सैनिक, नवभारत टाइम्स(, आनंद जैनविश्वमित्र), नवभारत टाइम्स(, यशपाल जैनमिलन), जीवन साहित्य, जीवन सुधा(, मनोहर श्याम जोशीआकाशवाणी), दिनमान, साप्ताहिक हिंदुस्तान(, रतन लाल जोशीभारत दूत), आवाज, नवनीत, सारिका, दैनिक हिंदुस्तान(, शीला झुनझुनबालाधर्मयुग), अंगजा, कादंबिनी, साप्ताहिक हिंदुस्तान(, विश्वनारायण सिंह ठाकुर नवभारत) लोकमान्य, हिंदुस्तान समाचार, युगधर्म, यूएनआई, आलोक, नयन रश्मि(, डाविश्वमित्र)रामचंद्र तिवारी., नवभारत टाइम्स, ग्लोब एजेंसी, दैनिक जनसत्ता, भारतीय रेल पत्रिका(, रामानंद जोशीदैनिक विश्वमित्र), दैनिक हिंदुस्तान, साप्ताहिक हिंदुस्तान, कादंबिनी(, कन्हैयालाल नंदनधर्मयुग), पराग, सारिका, दिनमान(, कुमार नरेंद्रदैनिक वीर अर्जुन),प्रताप जो(, नरेद्रं मोहन(दैनिक जागरण), नारायण दत्तहिंदी स्क्रीन), भारती, नवनीत, पीटीआई(, सतपाल पटाइतराजहंस), ब्राह्मण सर्वस्व, गढ़देश, विकास(, राहुल बारपतेइंदौर समाचार), जयभारत, प्रजा मंडल, नई दुनिया(, बांके बिहारी भटनागरमाधुरी), दैनिक हिंतुस्तान(, यतींद्र भटनागरआपबीती), दैनिक विश्वमित्र, भारत वर्ष, अमर भारत, जनसत्ता, दैनिक हिंदुस्तान(, जय प्रकाश भारतीदैनिक प्रभात), नवभारत टाइम्स, साप्ताहिक हिंदुस्तान, नंदन(, धर्मवीर भारतीअभ्युदय), धर्मयुग(, राजेद्रं माथुरनईदुनिया), नवभारत टाइम्स(, रामगोपाल माहेश्वरीनव राजस्थान), नवभारत(, सुरजन मायारामनवभारत), एमपी क्रानिकल, नई दुनिया, देशबंधु(, द्वारिक प्रसाद मिश्रसारथी), लोकमत, अमृत बाजार(, भवानी प्रसाद मिश्रमहिलाश्रम), गांधी मार्ग(, गणेश मंत्री(धर्मयुग), रघुवीर सहायदैनिक नवजीवन), प्रतीक, आकाशवाणी, कल्पना, जनसत्ता, अर्थात(, रमेशचंद्रजालंधर), दैनिक पंजाब केसरी(, जंगबहादुर सिंह राणाद कामरेड),द नेशन, द ट्रिब्यून, दैनिक नवभारत, टाइम्स ऑफ इंडिया(, मुकुट बिहारी वर्माकर्मवीर), राजस्थान केसरी, प्रणवी, माधुरी, दैनिक आज, स्वदेश, दैनिक हिंदुस्तान(, लक्ष्मीशंकर व्यासआज), विजय, माधुरी, कमला(, भगवतीधर वाजपेयीस्वदेश), दैनिक वीर अर्जुन, युगधर्म(, पुरुषोत्तम विजयअंकुश), साप्ताहिक राजस्थान, नव राजस्थान, दैनिक सैनिक, दैनिक इंदौर(, डादैनिक जागरण)वेद प्रताप वैदिक., अग्रवाही, नई दुनिया, धर्मयुग, दिनमान, नवभारत टाइम्स, पीटीआई, भाषा(, राधेश्याम शर्मादैनिक संचार), इंडियन एक्सप्रेस, युगधर्म, यूएनआई(, भानुप्रताप शुक्लपांचजन्य), तरुण भारत, राष्ट्रधर्म(, क्षेमचंद्र सुमनआर्य), आर्यमित्र, मनस्वी, मिलाप, आलोचना(नवभारत टाइम्स)विद्यानिवास मिश्र (हंस)राजेद्रं यादव (, मृणाल पांडे दैनिक)हिंदुस्तान ।((नई दुनिया) इसके अलवा वर्तमान समय में राहुल बारपुते, कर्पूरचंद्र कुलिश (राजस्थान पत्रिका), अशोक जी (स्वतंत्र भारत), प्रभाष जोशी (जनसत्ता), राजेन्द्र अवस्थी (कादम्बिनी), अरुण पुरी (इण्डिया टुडे), जयप्रकाश

भारती (नन्दन), सुरेन्द्र प्रताप सिंह र)विवार एवं नवभारत टाइम्स(, उदयन शर्मा ।(रविवार एवं सण्डे आब्जर्वर) नंदकिशोर त्रिखा .इसके अलावा डा, दीनानाथ मिश्रा, विष्णु खरे, महावीर अधिकारी, प्रभु चावला, राजवल्लभ ओझा, जगदीशप्रसाद चतुर्वेदी, चंदूलाल चंद्राकर, शिव सिंह सरोज, घनश्याम पंकज, राजनाथ सिंह, विश्ववाथ, बनवारी, राहुल देव, रामबहादुर राय, भानुप्रताप शुक्ल, तरुण विजय, मायाराम सुरजन, रूसी के करंजिया, नंदकिशोर नौटियाल, आलोक मित्र, अवध नारायण मुद्गल, डाहरिकृष्ण देवसरे ., गिरिजाशंकर त्रिवेदी, सूर्यकांत बाली, आलोक मेहता, रहिवंश, राजेन्द्र शर्मा, रामाश्रय उपाध्याय, अच्युतानंद मिश्र, विश्वनाथ सचदेव, गुरुदेव काश्यप, रमेश नैयर, बाबूलाल शर्मा, यशवंत व्यास, नरेन्द्र कुमार सिंह, महेश श्रीवास्तव, जगदीश उपासने, मुजफ्फर हुसैन, अश्विनी कुमार, रामशरण जोशी, दिवाकर मुक्तिबोध, ललित सुरजन, मधुसूदन आनंद, मदनमोहन जोशी, बबन प्रसाद मिश्र, रामकृपाल सिंह आदि का नाम लिया जा सकता है। इसके अलावा और बहुत से पत्रकार हुए हैं जो हिंदी पत्रकारिता को इस मुकाम तक लाने में सहयोग किया।

समाचार एजेंसियाँ

समाचार एजेसीं या संवाद समिति पत्रकारों की ऐसी समाचार संकलन संस्थान है जो अखबारो, पत्रिकाओ, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट साइटो जैसे समाचार माध्यमों को समाचार उपलब्ध कराते हैं। आमतौर पर हर देश की अपनी एक आधिकारिक संवाद समिति होती है। समाचार एजेसं ी में अनेक पत्रकार काम करते हैं जो खबरे अपने मुख्यालय को भेजते हैं जहां से उन्हे संपादित कर जारी किया जाता है। समाचार एजेंि सया सरकारी, स्वतंत्र व निजी हर तरह की होती हैं।

भारत की प्रमुख एजेंिसयो में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया(पीटीआई), इंडो(आईएएनएस)एसियन न्यूज सर्विस-, एसियन न्यूज इंटरनेशनल(एएनआई), जीएनए न्यूज एजेसीं(जीएनए), समाचार भारती, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंिडया(यूएनआइर्), हिदुंस्तान समाचार ये एजेंिसयां पहले सैटेलाइट के जरिए समाचार भेजती थीं तब . टिकर प्रणाली पर काम होता था। अब कंप्यूटर ने चीजे ं आसान कर दी हैं और ईमेल स े काम चल जाता है।

पत्रकारिता की अन्य प्रासंगिताएँ

समाचारपत्र पढ़ते समय पाठक हर समाचार से विभिन्न तरह तरह की जानकारी हासिल करना चाहता है। कुछ घटनाओं के मामले में वह उसका विवरण विस्तार से पढ़ना चाहता है तो कुछ अन्य के संदर्भ में उसकी इच्छा यह जानने की होती है कि घटना के पीछे का रहस्य क्या है? उसकी पृष्ठभूमि क्या है? उस घटना का उसके भविष्य पर क्या प्रभाव पड़गे ा और इससे उसका जीवन तथा समाज किस तरह से प्रभावित होगा?

जहां तक पत्रकारिता की बात है अन्य विषय की तरह पत्रकारिता में भी समय, विषय और घटना के अनुसार लेखन के तरीके में बदलाव देखा गया है। यही बदलाव पत्रकारिता में कई नए आयाम को जोड़ा है। समाचार के अलावा विचार, टिप्पणी, संपादकीय, फोटो और कार्टून पत्रकारिता के अहम हिस्से बन गए हैं। समाचारपत्र में इनका विशेष स्थान और महत्व है। इनके बिना कोई भी समाचारपत्र स्वयं को संपूर्ण नहीं कहला सकता है।

संपादकीय

संपादकीय पृष्ठ को समाचापत्र का सबसे महत्वपूर्ण पन्ना माना जाता है। यह समाचार पत्र का प्राण होता है। संपादकीय में किसी भी समसामयिक विषय को लेकर उसका बबे ाक विश्लेषण करके उसके विषय में संपादक अपनी राय व्यक्त करता है। इसे संपादकीय कहा जाता है। इसमें विषया का गंभीर विवेचन होता है। संपादकीय

पृष्ठ पर अग्रलेख के अलावा लेख भी प्रकाशित होते हैं। ये आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या इसी तरह के किसी विषय पर कुछ विशेषज्ञ विभिन्न मुद्दो पर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। इन लेखो में लेखको का व्यक्तित्व व शैली झलकती हैं। इस तरह के लेख व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक शैली के होते हैं।

संपादक के नाम पत्र

आमतौर पर 'संपादक के नाम पत्र' भी संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित किए जाते हैं। वह घटनाओं पर आम लोगों की टिप्पणी होती है। समाचारपत्र उसे महत्वपूर्ण मानते हैं। यह अन्य सभी स्तंभें से अधिक रुचिकर तथा पठनीय होने के साथ साथ लोकोपयोगी भी हाते हैं। संपादक के नाम पत्र स्तंभ में पाठक अपने सुझाव, शिकवे शिकायत ही नहीं अपितु कभी कभी ऐसे विचार भी प्रकट कर देते हैं कि समाज के लिए प्रश्न चिâ के रूप में खड़े हो जाते हैं और समाज विवश हो जाता है उसका समाधान खोजन के प्रयन्त में।

फोटो पत्रकारिता

छपाई तकनीक के विकास के साथ ही फोटो पत्रकारिता ने समाचार पत्रों में अहम स्थान बना लिया है। कहा जाता है कि जो बात हजार शब्दों में लिखकर नहीं कही जा सकती, वह एक तस्वीर कह देती है। फोटो टिप्पणियों का असर व्यापक और सीधा होता है।

कार्टून कोना

कार्टूनकोना लगभग हर समाचारपत्र में होता है और उनके माध्यम से की गई सटीक टिप्पणियां पाठक को छूती हैं। एक तरह से कार्टून पहले पन्ने पर प्रकाशित होने वाले हस्ताक्षरित संपादकीय हैं। इनकी चुटीली टिप्पणियां कई बार कड़े और धारदार संपादकीय स े भी अधिक प्रभावी होती हैं।

रेखांकन और कार्टोग्राफ

रेखांकन और कार्टोग्राफ समाचारों को न केवल रोचक बनाते हैं बल्कि उन पर टिप्पणी भी करते हैं। क्रिकेट के स्कोर से लेकर सेसेंक्स के आंकड़ो तक ग्राफ से पूरी बात एक नजर में सामने आ जाती है। कार्टोग्राफी-का उपयागे समाचारपत्रों के अलावा टेलीविजन में भी होता है।

मध्य प्रदेश का सांस्कृतिक परिचय

1. लोक संस्कृति

भाषायी और सांस्कृतिक दृष्टि से मालवा में मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, मंदसौर, नीमच, धार का पूर्वी भाग, सीहोर, शाजापुर, विदिशा का पश्चिमी भाग, राजगढ़ जिले के मालवी भाषी क्षेत्र आते हैं। यह भाषायी सीमांकन है। इस सीमांकन का आधार भाषा की समानता के अतिरिक्त खानपान-, जीवन शैली तथा सांस्कृतिक एकरूपता है। मालवांचल की लोक संस्कृति में जल विज्ञान- और प्रकृति को समझने के लिये सम्भवतः यही सबसे अधिक सटीक सीमांकन है, पर उसकी स्पष्ट सीमा रेखा खींचना सम्भव नहीं है।

लोक संस्कृति व्यापक शब्द है। यह बहुसंख्य समाज के स्तर पर अंकुरित हो पनपती है और लगभग पूरे (लोक संस्कृति)) समाज को संस्कारित करती है। नर्मदाप्रसाद गुप्त1995) के अनुसार वह इतिहासकारों द्वारा प्रतिपादित संस्कृति के स्थान पर लोक मूल्यों से संस्कारित संस्कृति में समयानुकूल और-आचरण से पल्लवित होती है। लोक-मानस एवं लोक-परिस्थितिजन्य परिवर्तन होते रहते हैं। ये परिवर्तन, उसकी अनुपयोगी सामाजिक मान्यताओं तथा अवांछित मूल्यों को विलुप्त करते जाते हैं। लोक संस्कृति कलकल करती सदानीरा नदी के निर्मल तथा स्वच्छ जल की तरह है। कुछ लोगों का- संस्कृति का सही स्वरूप-मूल्यों तथा लोक-मानना है कि लोक, दरबारी लेखकों द्वारा लिखे दस्तावेजों के आधार पर लिखी इतिहास की पुस्तकों के स्थान पर, लोक काव्यों तथा लोक साहित्य में मिलता है। वास्तव में, लोक संस्कृति, मानव सभ्यता से जुड़ा बहुसंख्य समाज का इतिहास है। वह बहुसंख्य समाज की ऊर्जा से पल्लवित होता है। वह गरीबी अमीरी और वर्ग भेद- के ऊपर है। लोक संस्कृति का पोषण किसी वर्ग विशेष, सम्राट या बादशाह के द्वारा नहीं होता। वह, बहुसंख्य समाज के संस्कारों, मान्यताओं तथा आचरण का प्रतिनिधित्व करती है। वह समाज के संस्कारों की धरोहर का प्रामाणिक एवं स्वीकार्य दस्तावेज है।

लोक साहित्य में किसी बात को समझाने के लिये व्यवहृत शब्द ही संस्कृति है। रामनारायण उपाध्याय के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी विशेष प्रकार से रहने का अभ्यस्त हो जाता है और लाख कठिनाइयों के बावजूद अपने मार्ग से विचलित नहीं होता तो लोग कहते हैं कि वह नहीं बदलेगा, ये उसके संस्कार हैं। अर्थात व्यक्ति विशेष के कार्य, जहाँ संस्कार कहलाते हैं वहीं वे, जब समष्टिगत स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं तो संस्कृति कहलाते हैं। लोक संस्कृति की अनेक विधाएँ हैं। ये विधाएँ, विविध रूपों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं। वे रहनसहन-, खानपान-, वस्त्राभूषण, आचारविचार-, रीतिरिवाज-, धर्म तथा आस्था, विश्वास और मान्यताओं, उत्सवों, मेलों, गीतों, तमाशों, कथाओं, कहावतों, नृत्य, संगीत, कलाओं, भाषा और बोलियों के माध्यम से अपनी पहचान सुनिश्चित करती हैं तथा अपने अस्तित्व का एहसास कराती हैं। लोक संस्कृति का परिचय भौगोलिक, प्रशासनिक या राजनीतिक सीमाओं द्वारा दिया जाना सम्भव नहीं है।

लोक साहित्य, वास्तव में मनुष्य की अनादिकाल से चली आ रही जीवन यात्रा के अनुभव का अमृत है। इस अमृत की खोज, मनीषियों के लिये शोध और चिन्तन का विषय रहा है। विद्वानों के अनुसार लोक साहित्य को दो भागों में बाँटा जा सकता है। पहला भाग लोक कथाओं, लोक गीतों और कहावतों का समृद्ध संसार है तो दूसरा भाग उस समृद्ध संसार की संकलित सामग्री के सम्पादन, अनुसंधान और अध्ययन का अथाह सागर। रामनारायण उपाध्याय के अनुसार पहला भाग यदि सर्च)Search) है तो दूसरा भाग रिसर्च)Research) है। पहले भाग की जड़ें, ग्रामों में बसती हैं इसलिये उन्हें समझने के लिये लोक साहित्य के विद्यार्थी को लोक या ग्रामीण समाज से जीवन्त सम्पर्क स्थापित करना होता है। यही युक्ति लोक संस्कारों में जल विज्ञान तथा प्रकृति को जानने तथा समझने के लिये आवश्यक है।

लोक साहित्य में लोक विश्वास और मान्यताओं का अनूठा संग्रह मिलता है। मनुष्य की अनादि काल से चली आ रही जीवन यात्रा के खट्टेमीठे अनुभवों का निचोड़ लोक विश्वास है। वह-, समाज को एकजुट रखने तथा भावनात्मक रूप से जोड़ने वाला अदृश्य बंधन है। वह, अपने मूल स्वरूप में विज्ञान सम्मत होता है। यह लोक विश्वास, बहुसंख्य समाज द्वारा व्यवहृत लोकाचारों, रीतिरिवाजों-, लोक कहावतों और मान्यताओं में परिलक्षित होता है। रामनारायण उपाध्याय के अनुसार ये आज्ञाएँ नहीं हैं-ज्ञान के ऐसे सिक्के हैं जो सभी देशों और सभी कालों में समान रूप से चलते आये हैं। ये राज (लोक साहित्य) हृदय से उद्भूत भावनाओं के ऐसे पंछी हैं जो शताब्-वरन मानवदियों के ओर छोर नापते आये हैं। वे विचारों के तिनके हैं- जो डूबते को, उबरने के लिये, सहारा देते हैं। इसी आधार पर लोक साहित्य को संस्कृति एवं सभ्यता के विकास का संकेतक माना जाता है। वह प्रकृति की समझ सृजनशिलता, नवाचार और जीवन को प्रभावित करने वाले विविध पक्षों पर आधारित अनुभवजन्य समझ के सतत विकास का विलक्षण उदाहरण है।

इसी समझ में, विविध रूप में जीवन के हर पक्ष को प्रभावित करने वाला लोक विज्ञान बसता है। वह अनुभव जन्य विज्ञान है जिसे कहावतों, संस्कारों तथा जीवन शैली के कणकण में हर क्षण-, पूरी संजीदगी से अनुभव किया जा सकता है। लोक विज्ञान, प्रकृति से जुड़ा विज्ञान है जो पोषण, शिक्षण, आलोचना और चेतावनी की शैली में मार्गदर्शी भूमिका का निर्वाह

करता है। प्रकृति से शक्ति प्राप्त करने वाला देशज विज्ञान, संस्कार एवं जीवनशैली से जुड़े सभी पक्ष, इसी लोक विज्ञान का-हिस्सा हैं।

मध्य प्रदेश के निमाड़, बघेलखंड, बुन्देलखण्ड और मालवा अंचलों की संस्कृति प्राचीन तथा समृद्ध है। माना जा सकता है कि उपर्युक्त सभी अंचलों की लोक संस्कृति का विकास मुख्यतः स्थानीय स्तर पर हुआ है। लोक संस्कृति की इस विकास यात्रा में अनेक महत्त्वपूर्ण पड़ाव आये होंगे जब समाज ने प्रकृति, पर्यावरण, जल, भूमि और वायु के रहस्यों को समझकर अपनाया होगा। उन्हें जीवनशैली का हितैषी अंग बनाने के लिये जुगत की होगी। कुप्रभावों को त्याज्य बनाने के लिये वर्जनायें विकसित की होंगी। यही समझ लोक विज्ञान बनी। इसी लोक विज्ञान में वे सभी तत्व मौजूद हैं जो स्वीकार्य और अस्वीकार्य घटकों और भिन्नता को उजागर करते हैं। निरगुणे इसे ही लोक विज्ञान कहते हैं।

प्राचीन काल में, मौजूदा मध्य प्रदेश के विभिन्न अंचलों को अलग अलग नामों से जाना जाता था। इन अंचलों का उल्लेख-पौराणिक गाथाओं और प्राचीन इतिहास में मिलता है। आधुनिक मध्य प्रदेश के विभिन्न अंचलों के बारे में ईसा से छह सौ साल पहले से जानकारी मिलती है। यह अच्छी तरह ज्ञात नहीं है कि उन अंचलों की सीमायें कहाँ से कहाँ तक थीं, पर उस कालखंड में बुन्देलखण्ड का इलाका चेदि महाजनपद के अधीन तथा मालवा का इलाका अवन्ति महाजनपद के अधीन तथा अनूप जनपद में निमाड़ का इलाका आता था। प्राचीनकाल में बुन्देलखण्ड क्षेत्र को जैजाकभुक्ति तथा जबलपुर के आस पास-का इलाका डाहल कहलाता था।

सांस्कृतिक सीमांकन

सांस्कृतिक सीमांकन का नियंता बहुसंख्य समाज होता है। उसी के कारण और प्रभाव से किसी क्षेत्र या अंचल के खानपान-, जीवनशैली-, संस्कारों और भाषा में एकरूपता होती है। इस एकरूपता को आसानी से समझा तथा अनुभव किया जा सकता है, पर उसे प्रशासनिक या प्राकृतिक सीमाओं की तरह प्रदर्शित करना सम्भव नहीं होता। इस एकरूपता आधारित क्षेत्र को सांस्कृतिक क्षेत्र कहते हैं। सांस्कृतिक क्षेत्रों की सीमायें हमेशा अस्पष्ट होती हैं। कहा जा सकता है कि एक अंचल की संस्कृति, भाषा तथा विशेषता धीरे धीरे अपनी पहचान खोकर दूसरी भाषायी या सांस्कृतिक इकाई में बदल जाती है। उनके बीच का-अस्पष्ट क्षेत्र, मिश्रित संस्कृति तथा मिश्रित भाषा का क्षेत्र होता है। यह स्वाभाविक स्थिति है। सामान्यतः इस आधार पर सांस्कृतिक सीमाओं को परिभाषित किया जा सकता है।

सांस्कृतिक आधार पर भारत या मध्य प्रदेश का पहला सीमांकन कब हुआ, ज्ञात नहीं; पर जब अंग्रेज भारत आये, तो उनका सामना भारत के विभिन्न अंचलों की सांस्कृतिक एवं भाषायी विविधता से हुआ। सम्भव है, उन्हें इन विविधताओं को समझने की आवश्यकता अनुभव हुई हो। विलियम कैरे ने भाषायी सर्वेक्षण कराया था। सन-1843 के बाद, जार्ज ए ग्रियर्सन . ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों की भाषा पर विचार कर विभिन्न भाषायी क्षेत्रों की सीमाओं का अनुमान लगाया। इस सीमांकन का आधार भाषा की समानता के अतिरिक्त खानपान-, जीवन शैली तथा सांस्कृतिक एकरूपता रहा होगा। माना जाता है-कि मध्य प्रदेश में मोटे तौर पर निमाड़, बघेलखंड, बुन्देलखण्ड और मालवांचल समाहित हैं।

निमाड़ का सांस्कृतिक अंचल

निमाड़ शब्द की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। अनेक विद्वानों ने इसके नाम का आधार खोजने का प्रयास किया है। एक अनुमान के अनुसार यह नाम नर्मदा तट पर बसी उसकी राजधानी के कारण (नेमावर) पड़ा। रामनारायण उपाध्याय के अनुसार अनुमान है कि यह उत्तर और दक्षिण भारत का संधिस्थल होने से आर्य और अनार्यों की मिश्रित भूमि रहा होगा। इस नाते इसका नाम निमार्य पड़ा होगा। निमाड़ी भाषा में नीम का अर्थ (आर्य-नीम) होता है। सम्भव है (हकीम-जैसे नीम) आधा, निमार्य का नाम बदलतेबदलते निमाड़-ु हुआ हो। निमाड़ नाम के पीछे एक

और कारण हो सकता है। यह क्षेत्र मालवा से नीचे की ओर बसा है। मालवा से निमाड़ की ओर जाने में लगातार घाट उतरना या नीचे आना होता है। इस प्रकार निम्नगामी होने से इसका नाम निमानी और बाद में बदलकर निमाड़ हो गया हो। कुछ लोगों के अनुसार यह नाम इस क्षेत्र में प्रचुरता से मिलने वाले नीम के वृक्षों के कारण था। पूर्वी निमाड़ के गजेटियर)1971, पेज 1) के अनुसार मूल रूप से पूर्व में गंजाल नदी तथा पश्चिम में हिरनफाल तक का नर्मदा घाटी का क्षेत्र निमाड़ कहलाता है।

निमाड़ी लोकसंस्कृति-, कला और वाचिक साहित्य के अध्येता वसन्त निरगुणे)2002, पेज 13) के अनुसार वर्तमान मध्य प्रदेश के पश्चिमी अंचल के एक सांस्कृतिक हिस्से का नाम निमाड़ है। अंग्रेजों के शासन काल में निमाड़ को पूर्वी निमाड़ और पश्चिमी निमाड़ में विभाजित किया गया था पर रीतिरिवाज-, रहनसहन-, आबोहवा, भाव भाषा और संस्कृति की दृष्टि से- दोनों ही भाग, एक और अभिन्न हैं। अनूप देश कहलाने वाले प्राचीन जनपद एवं उपर्युक्त सीमाओं से घिरे क्षेत्र की पहचान निमाड़ के रूप में है।

बघेलखंड का सांस्कृतिक अंचल

बघेलखंड का शाब्दिक अर्थ बघेलों का देश है। मूल रूप से पूर्व में उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद तथा पश्चिम में कटनी तक का क्षेत्र बघेलखंड कहलाता है। सन 1947 के पहले इस क्षेत्र पर बघेलों की सत्ता रही है इसलिये इस क्षेत्र के नाम का उद्भव बघेल राजपूतों से माना जाता है। यह शब्द सत्रहवीं या अठारहवीं सदी में प्रचलन में आया तथा क्षेत्र की पहचान बना। बघेलखंड के समूचे इलाके को विंध्याचल पर्वतमाला की कैमूर पर्वत श्रृंखला ने, मोटे तौर पर, दो भागों में विभाजित किया है। बघेलखंड के उत्तर में इलाहाबाद, दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत, पूर्व में छत्तीसगढ़ राज्य के जिले तथा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले का कुछ भाग एवं पश्चिम में मध्य प्रदेश के नवगठित कटनी जिले के कुछ भूभाग, मिलकर इसकी सांस्कृतिक सीमायें बनाते हैं। ये सीमायें, इस इलाके में रहने वाले लोगों के लोक जीवन की एक सूत्र में पिरोई अंतरंगता को प्रदर्शित करती हैं। बघेलखंड की लोक संस्कृति में जल विज्ञान और प्रकृति को समझने के लिये यह सबसे अधिक सटीक सीमांकन है।

बुन्देलखण्ड का सांस्कृतिक अंचल

बुन्देलखण्ड का शाब्दिक अर्थ बुंदेलों का देश है। बुंदेला शब्द की उत्पत्ति बूँद से मानी जाती है। कहा जाता है कि बुंदेलों के पूर्वज गहरवार थे जिन्होंने मिर्जापुर स्थित विंध्यवासिनी देवी के मन्दिर में अपनी बलि चढ़ाने का प्रयास किया था। वेदी पर गिरे रक्त की बूँद से जो पुत्र उत्पन्न हुआ, वह बुंदेला कहलाया। यह बुंदेला राजपूतों की उत्पत्ति की लोककथा है। उल्लेखनीय है कि पन्द्रहवीं सदी के मध्यकाल से अठारहवीं सदी तक जिस क्षेत्र पर बुंदेलाओं की सत्ता रही वह क्षेत्र बुन्देलखण्ड कहलाता है।

बुन्देलखण्ड की पहचान चन्देल और बुंदेला राजाओं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, महाराजा छत्रसाल, आल्हाऊदल-, लोक कवि ईसुरी, खजुराहो के विश्वप्रसिद्ध मन्दिरों, पन्ना अभ्यारण्य, दतिया की पीताम्बर पीठ, ओरछा के रामराजा मन्दिर और पन्ना क्षेत्र में सदियों से मिलने वाले प्राकृतिक हीरों के कारण भी है।

बुन्देलखण्ड भाषायी क्षेत्र उत्तर में चम्बल नदी के उस पार उत्तर प्रदेश के आगरा, इटावा तथा मैनपुरी जिलों के दक्षिणी भागों तक; पश्चिम में चम्बल नदी के स्थान पर पूर्वी ग्वालियर तक; दक्षिण में सागर तथा दमोह के अतिरिक्त भोपाल के पूर्वी भागों; नर्मदा के दक्षिण में नरसिंहपुर तथा होशंगाबाद; सिवनी, बालाघाट और छिंदवाड़ा जिलों के उत्तरी भागों और पूर्व में बाँदा के पश्चिमी भाग तक फैला हुआ है। इस सीमांकन का आधार भाषा की समानता के अतिरिक्त खानपान-, जीवन शैली- तथा सांस्कृतिक एकरूपता है। बुन्देलखण्ड अंचल की लोक संस्कृति में जल विज्ञान और प्रकृति को समझने के लिये यह सबसे अधिक सटीक सीमांकन है।

मालवा का सांस्कृतिक अंचल

वर्तमान मध्य प्रदेश के पश्चिम में मालवा अंचल स्थित है। मालवा के पूर्व में बुन्देलखण्ड, दक्षिण में निमाड़, उत्तर में गुना, शिवपुरी तथा पश्चिम में गुजरात राज्य स्थित हैं। संत कबीर ने मालवा के बारे में कहा है-

देश मालवा, गहन गम्भीर।
डग डग रोटी, पग पग नीर।।

कबीर का दोहा मालवा की गहरी काली मिट्टी, भोजन की सहज उपलब्धता एवं पानी के बारहमासी स्रोतों को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, मालवा की पहचान उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मन्दिर, सान्दीपनी आश्रम, सिंहस्थ मेला, प्रसिद्ध विद्वान कालीदास और आचार्य वराहमिहिर; मंदसौर के पशुपतिनाथ मन्दिर, धारानगरी के महाप्रतापी राजा भोज, महारानी अहिल्याबाई और दर्शनीय स्थल माण्डू के कारण भी है।

भाषायी और सांस्कृतिक दृष्टि से मालवा में मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, मंदसौर, नीमच, धार का पूर्वी भाग, सीहोर, शाजापुर, विदिशा का पश्चिमी भाग, राजगढ़ जिले के मालवी भाषी क्षेत्र आते हैं। यह भाषायी सीमांकन है। इस सीमांकन का आधार भाषा की समानता के अतिरिक्त खानपान-, जीवन शैली तथा सांस्कृतिक एकरूपता है। मालवांचल की-लोक संस्कृति में जल विज्ञान और प्रकृति को समझने के लिये सम्भवतः यही सबसे अधिक सटीक सीमांकन है, पर उसकी स्पष्ट सीमा रेखा खींचना सम्भव नहीं है।

पत्र लेखन)Application In Hindi) :

पत्र का शाब्दिक अर्थ होता है – ऐसा कागज जिस पर कोई बात लिखी या छपी हो। पत्र लेखन के माध्यम से हम अपने भावों और विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों के माध्यम से एक व्यक्ति अपनी बातों को लिखकर दूसरों तक पहुँचा सकता है। पत्र को अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम भी माना जाता है। इससे अपनी बातों को लिखकर बहुत दूर तक पहुंचाया जा सकता है। जिन बातों को लोग कहने में हिचकिचाते हैं उन बातों को पत्रों के माध्यम से आसानी से समझाया या कहा जा सकता है।

पत्र लेखन का प्रयोग बहुत से कामों में किया जाता है। आजकल हमारे पास हाल-चाल पूछने के लिए बहुत से आधुनिक साधन हैं। लकिन बहुत से कार्यों में पत्र लेखन ही करना पड़ता है। पत्र लेखन बहुत ही पुराना साधन है। पहले आधुनिक साधन नहीं थे इसलिए पत्रों के माध्यम से ही एक-दूसरे से बात हुआ करती थी। इसे कला की संज्ञा दी जाती है। पत्रों में आजकल कलात्मक अभिव्यक्तियाँ हो रही हैं।

साहित्य में भी इनका प्रयोग किया जाने लगा है। एक अच्छा पत्र लिखने क लिए कलात्मक सौन्दर्यबोधक भावनाओं का अभिव्यंजन किया जाता है। एक पत्र के द्वारा लेखक की भावनाएं नहीं बल्कि उसका व्यक्तित्व भी उभरता है। पत्र लेखन से हम व्यक्ति के चरित्र , दृष्टिकोन , संस्कार ,

मानसिक , स्थिति , आचरण का पता चलता है। इस तरह की अभिव्यक्ति व्यवसायिक पत्रों की अपेक्षा सामाजिक और साहित्यिक पत्रों में ज्यादा किया जाता है।

1. पत्र को साहित्य की वह विद्या माना जाता है इससे मनुष्य समाज में रहते हुए अपने भावों और विचारों को दूसरों से संप्रेषित करने के लिए पत्रों का प्रयोग किया जाता है। अत: व्यावसायिक , सामाजिक , कार्यालय से संबंधित विचारों को पत्रों के माध्यम से ही व्यक्त किया जाता है।

2. पत्रों के माध्यम से मित्रों और परिजनों के साथ संबंध स्थापित किये जा सकते हैं। इनके माध्यम से मनुष्य प्रेम , सहानुभूति , क्रोध प्रकट किये जा सकते हैं।

3. जब कार्यालय और व्यवसाय मे मुद्रित रूप में पत्रों का विशेष प्रयोग किया जाता है। मुद्रित रूप के पत्रों को सुरक्षित रखा जा सकता है।

4. छात्रों क जीवन में भी पत्रों का बहुत महत्व होता है। छात्र को अवकाश लेने , फ़ीस माफ़ी , स्कूल छोड़ने , स्कोलरशिप पाने , व्यवसाय चुनने , नौकरी पाने के लिए पत्र की जरूरत पडती है।

5. पत्रों के द्वारा सामाजिक संबंधों को मजबूत किया जाता है। पत्र को भविष्य का दस्तावेज भी कहा जा सकता है।

पत्र लेखन के लिए आवश्यक बातें :

(1) जिसके लिए पत्र लिखा जाता है उसके लिए शिष्टाचार पूर्ण शब्दों का प्रयोग करने चाहिए।
(2) पत्र में ह्रदय के भाव स्पष्ट दिखाई देने चाहिए।
(3) पत्र की भाषा आसान और स्पष्ट होनी चाहिए।
(4) पत्र में बेकार बातें नहीं लिखनी चाहिए उसमे मुख्य विषय के बारे में ही बातें लिखी जाती हैं।
(5) पत्र में आशय स्पष्ट करने के लिए छोटे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए।
(6) पत्र लिखने के बाद उससे दुबारा जरुर पढना चाहिए।
(7) पत्र प्राप्तकर्ता की आयु , संबंध और योग्यता को ध्यान में रखकर भाषा का प्रयोग करना होता है।
(8) अनावश्क विस्तार से हमेशा बचना चाहिए।
(9) पत्र में लिखा हुआ लेख साफ व स्वच्छ होना चाहिए।
(10) भेजने वाले और प्राप्त करने वाले का पता साफ लिखा होना चाहिए।

पत्रों के प्रकार)Types of letters In Hindi) :

(1) निजी पत्र – Personal Letter
(2) प्रार्थना पत्र – Request Letter

(3) व्यवसायिक पत्र – Business Letter
(4) सरकारी पत्र – Official Letter

पत्र लेखन के आवश्यक तत्व

पत्र लिखना आसान काम है लेकिन एक अच्छा पत्र लिखना बहुत ही मुश्किल काम है ! साइंस के न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपको कई चीजों का ध्यान रखना होता है , उसी प्रकार, पत्र लेखन में भी उसके आवश्यक तत्वों पर ध्यान देना जरूरी है -

उद्देश्य

पत्र लेखन में उद्देश्य का होना आवश्यक है, अपने आप से पूछिए कि यह पत्र मैं क्यों लिख रहा हूं ? अपने उद्देश्यों को सटीक शब्दों के जरिए अंत में रखिए !

शैली

पत्र लिखने की शैली में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पत्र लिखने वाले का और जिसके पास पत्र भेजा जा रहा है, इन दोनों के बीच क्या **संबंध** है ?

जिसके पास पत्र भेजा जा रहा है उस व्यक्ति का या संस्था का गौरव एवं गरिमा का सदैव ध्यान रखना चाहिए ! व्यक्तिगत पत्र लेखन में **सरलता** के साथ साथ बातचीत के ढंग पर होने चाहिए जबकि व्यापारिक पत्र लेखन में **संक्षिप्ता** एवं प्रार्थना पत्र में **गंभीरता** होना आवश्यक है !

सहजता

पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए जो बात आप पत्र में लिख रहे हैं , पढ़ने वाले को सही ढंग से समझ में आना चाहिए ! जिस उद्देश्य के लिए आप पत्र लिख रहे हैं, वह उद्देश्य पढ़ने वाले को पूरी तरह समझ में आना चाहिए !

शिष्टाचार

आपके पत्र लेखन में शिष्टाचार अवश्य होना चाहिए चाहे आप स्कूल के प्रधानाध्यापक को लिख रहे हो या फिर अपने छोटे भाई को लिख रहे हो !

व्याकरण

भाषा की शुद्धता का भी ध्यान जरूरी है , अगर व्याकरण से संबंधित अशुद्धियां है तो ऐसे पत्र को कभी अच्छा नहीं माना जाता है !

पत्र के भाग

जिस पत्र में सुलेख के नियमों का ध्यान रखा जाता है उस पत्र को प्रभाव अधिक होता है ! हिंदी पत्र लेखन को तीन भागों में बांटा जाता है -

- आरंभ
- मध्य
- अंत

आरंभ

पत्र के आरंभ में संबोधन , अभिवादन, आशीर्वाद, स्थान और दिनांक आदि का उल्लेख किया जाता है ! औपचारिक पत्र लेखन में विषय का भी होना आवश्यक है !

मध्य

पत्र के मध्य भाग में जिस उद्देश्य के लिए पत्र लिखा जाता है उस उद्देश्य को पूर्ण रूप से लिखा जाता है !

अंत में

औपचारिक पत्रों में निवेदन लिखना आवश्यक होता है ! पत्र लिखने वाले को अपना नाम के साथ जिसको पत्र लिख रहे हैं उसके साथ संबंध स्थापित करने के लिए जैसे तुम्हारा , तुम्हारा ही, तुम्हारा अपना या आपका आज्ञाकारी आदि शब्दों का प्रयोग करना चाहिए !

पत्र के प्रकार

पत्र दो प्रकार के होते हैं

- अनौपचारिक पत्राचार -Informal
- औपचारिक पत्राचार -Formal

अनौपचारिक पत्र, उसे लिखा जाता है जिससे हमारा व्यक्तिगत संबंध को जैसे परिवार के लोग, मित्र एवं निकट संबंधी !

औपचारिक पत्र उसे लिखा जाता है जिससे हमारा व्यक्तिगत संबंध नहीं हो जैसे प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र, व्यावसायिक पत्र और सरकारी पत्र आदि !

प्रार्थना पत्र(औपचारिक पत्र) आवेदन पत्र/

किसी अधिकारी को लिखा जाने वाला पत्र 'आवेदन-पत्र' कहलाता हैं। आवेदन-पत्र में अपनी स्थिति से अधिकारी को अवगत कराते हुए अपेक्षित सहायता अथवा अनुकूल कार्यवाही हेतु प्रार्थना की जाती हैं। आवेदन-पत्र पूरी तरह से औपचारिक होता हैं अतः इसे लिखते समय कुछ मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे- आवेदन-पत्र लिखते समय सबसे पहले ध्यान देने वाली जो बात हैं, वह यह हैं कि इसमें विनम्रता एवं अधिकारी के सम्मान का निर्वाह आवश्यक होता हैं। इसके अतिरिक्त इसकी शब्द-योजना एवं वाक्य-रचना सरल तथा बोधगम्य होनी चाहिए।

चूँकि एक अधिकारी के पास इतना समय नहीं होता कि वह आपके आवेदन-पत्र के सभी विवरण को पढ़ सके, अतः आपको पत्र के द्वारा जो कुछ कहना हो, उसे संक्षेप में कहें। साथ ही जो बात आप कह रहे हैं, वह विश्वसनीय और प्रमाण पुष्ट भी होनी चाहिए।

आवेदनपत्र के मुख्य भाग-

आवेदन-पत्र को व्यवस्थित रूप से लिखने के लिए इसे निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया हैं-

(1) प्रेषक का पता-आवेदन पत्र लिखते समय सबसे ऊपर बायीं ओर पत्र भेजने वाले का पता लिखा जाता हैं।

(2) तिथि/दिनांक- प्रेषक के पते ठीक नीचे बायीं ओर जिस दिन पत्र लिखा जा रहा हैं उस दिन की दिनांक लिखी जाती हैं।

(3) पत्र प्राप्त करने वाले का पता-दिनांक अंकित करने के पश्चात् 'सेवा में' लिखकर जिसे पत्र भेजा जा रहा हैं उस अधिकारी का पद, कार्यालय का नाम, विभाग तथा स्थान लिखा जाता हैं।

(4) विषय- पता लिखने के पश्चात् विषय लिखकर इसके अन्तर्गत पत्र के मूल विषय को संक्षिप्त में लिखा जाता हैं।

(5) सम्बोधन- विषय के बाद में महोदय, आदरणीय, मान्यवर, माननीय आदि सम्बोधन का प्रयोग किया जाता हैं।

(6) विषय-वस्तु- सम्बोधन के बाद 'सविनय निवेदन यह हैं कि..... अथवा 'सादर निवेदन हैं कि .....' जैसे वाक्य से पत्र प्रारम्भ किया जाता। पत्र के इस मूल भाग में यदि कई बातों का उल्लेख किया जाता हैं, तो उसे अलग-अलग अनुच्छेद में लिखना चाहिए। मूल भाग अथवा विषय वस्तु का अन्त आभार सूचक वाक्य से किया जाता हैं; जैसे- 'मैं सदा आपका आभारी रहूँगा' आदि।

(7) अभिवादन के साथ समाप्ति-पत्र के मूल-विषय को लिखने के पश्चात् धन्यवाद लिखकर पत्र को समाप्त किया जाता हैं।

(8) अभिनिवेदन- आवेदन-पत्र के अन्त में बायीं ओर भवदीय, प्रार्थी, आपका आज्ञाकारी जैसे शिष्टतासूचक शब्द लिखकर तथा अपना नाम आदि लिखकर पत्र की समाप्ति की जाती हैं।

आवेदनपत्र के प्रकार-

आवेदन-पत्रों में किसी विषय अथवा समस्या को लेकर प्रार्थना की गई होती हैं। यह प्रार्थना; अवकाश प्राप्त करने से लेकर, मोहल्ले आदि की सफाई को लेकर स्वास्थ्य अधिकारी, क्षेत्र डाक-व्यवस्था सुधारने के लिए डाकपाल तक से की जा सकती हैं। अतः प्रार्थना सम्बन्धी आवेदन-पत्र लिखते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इसमें किसी भी प्रकार की असत्य बातों का उल्लेख न हों। आवेदन-पत्र कई प्रकार के हो सकते हैं, किन्तु जो पत्र-व्यवहार में लाए जाते हैं, वे मुख्यतः चार प्रकार के हैं-

(1) विद्यार्थियों के प्रार्थना सम्बन्धी आवेदन-पत्र-सामान्यतः स्कूल एवं कॉलेज के छात्र-छात्राओं द्वारा अपने अधिकारियों को लिखे जाने वाले पत्र इसी श्रेणी में आते हैं। छात्र-छात्राएँ अपने महाविद्यालय के प्राचार्य, विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव, परीक्षा नियन्त्रक, शिक्षा सचिव, शिक्षा मन्त्री को पत्र के माध्यम से अपनी सामूहिक समस्याओं से अवगत कराते हैं।

इसी प्रकार छात्र-छात्राएँ विषय-परिवर्तन, समय-सारणी में परिवर्तन, चरित्र प्रमाण-पत्र, पहचान प्रमाण-पत्र प्राप्त करने, किसी प्रकार के दण्ड से मुक्ति के लिए, विकलांग होने पर लिपिक की व्यवस्था के लिए, मूल प्रमाण- पत्र खो जाने पर नए अथवा डुप्लीकेट प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को आवेदन-पत्र लिखते हैं।

(2) कर्मचारियों के आवेदन-पत्र-आवेदन-पत्र से तात्पर्य ऐसे आवेदन-पत्रों से हैं जिन्हें एक कर्मचारी अपने अवकाश की स्वीकृति के लिए, स्थानान्तरण के लिए, किसी राशि का भुगतान करने के लिए, क्षमा-याचना के लिए, वेतन-वृद्धि के लिए, अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए अथवा आवास सुविधा के लिए सम्बन्धित अधिकारी को लिखता हैं।

(3) नौकरी के लिए आवेदन-पत्र-नौकरी सम्बन्धी आवेदन-पत्र किसी विज्ञापन के सन्दर्भ में या ऐसे संस्थान अथवा कार्यालय जिनका आवेदन-प्रारूप पूर्व निर्धारित नहीं होता, उनमें आवेदन के लिए लिखे जाते हैं। इस लैटर अथवा पत्र में यह बताते हुए, कि मुझे ज्ञात हुआ हैं कि आपके संस्थान में ..... का पद रिक्त हैं, अथवा आपके द्वारा दिए हुए विज्ञापन के सन्दर्भ में मैं .....के पद

हेतु आवेदन कर रहा हूँ। मेरी शैक्षिक योग्यता एवं कार्यानुभवों का विवरण इस पत्र के साथ संलग्न मेरे जीवन-वृत्त में उल्लिखित हैं।

(4) जन-साधारण के आवेदन-पत्र-जन-साधारण को सामन्य जीवन में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता हैं। इन समस्याओं का सम्बन्ध पृथक्-पृथक् विभागों या कार्यालयों से हो सकता हैं। ऐसी समस्याओं के निवारण अथवा निराकरण के लिए सम्बन्धित अधिकारी को आवेदन-पत्र के माध्यम से प्रार्थना की जाती हैं। ऐसे पत्रों का सम्बन्ध व्यक्तिगत समस्या से भी हो सकता हैं एवं सार्वजनिक समस्या से भी। अतः हम कह सकते हैं कि ऐसे आवेदन-पत्रों की विषय-सीमा व्यापक होती हैं। बिजली, फोन, पानी, डाक-तार, स्वास्थ्य, बीमा आदि अनेक विषय ऐसे पत्रों का आधार हो सकते हैं।

विद्यार्थियों के प्रार्थना सम्बन्धी आवेदन-पत्र

विद्यार्थियों के प्रार्थना सम्बन्धी आवेदन-पत्र मुख्य रूप से अवकाश प्राप्त करने से लेकर, समय-सारणी में परिवर्तन, विषय-परिवर्तन, चरित्र प्रमाण-पत्र, दण्ड से मुक्ति आदि के लिए लिखे जाते हैं। प्रार्थना-पत्र लिखते समय विद्यार्थी को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इसमें किसी प्रकार की असत्य बातों का उल्लेख न हो। यदि ऐसा हो जाता हैं, तो सम्बन्धित अधिकारी का आप पर से विश्वास तो उठता ही हैं, भविष्य में आप को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता हैं।

प्रार्थनापत्र का प्रारूप-

अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए, जिसमें बीमारी के कारण अवकाश लेने के लिए प्रार्थना की गई हो।

243, प्रताप नगर, ...**(पत्र भेजने वाले का पता)**
दिल्ली।

दिनांक 25 मई, 20XX.....**(दिनांक)**

सेवा में,
श्रीमान प्रधानाचार्य जी,
सर्वोदय विद्यालय,
सी.सी.कालोनी,
दिल्ली।..... **(पत्र प्राप्त करने वाले का पता)**

विषय बीमारी के कारण छुट्टी के लिए प्रार्थना-पत्र।..... **(विषय)**

महोदय,..... **(सम्बोधन)**

सविनय निवेदन यह हैं कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा दसवीं 'ब' का छात्र हूँ। मुझे कल रात से बहुत तेज ज्वर हैं। डॉक्टर ने मुझे दो दिन आराम करने की सलाह दी हैं। इस कारण मैं आज विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता। कृपया, मुझे दो दिन (25 मई से 26 मई 20XX) का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें।.....**(विषय वस्तु)**

धन्यवाद। .....**(अभिवादन की समाप्ति)**

आपका आज्ञाकारी शिष्य
नरेश कुमार
कक्षा-दसवीं 'ब'
अनुक्रमांक-15..... **(अभिनिवेदन)**

(1) अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को विषय परिवर्तन के लिए प्रार्थना-पत्र लिखिए।

457, शालीमार बाग,
दिल्ली।

दिनांक 8 जून, 20XX

सेवा में,
श्रीमान प्रधानाचार्य जी,
राजकीय इण्टर कॉलिज,
मोदीनगर,
गाजियाबाद।

विषय- विषय परिवर्तन हेतु।

महोदय,
सादर निवेदन यह हैं कि मैं आपके विद्यालय की ग्यारहवीं कक्षा का छात्र हूँ। मैंने इसी विद्यालय से दसवीं कक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की हैं। परीक्षा पास करने के बाद मैं असमंजसता की स्थिति में यह निर्णय नहीं कर पाया था कि मेरे लिए कला, विज्ञान अथवा गणित वर्ग में से कौन-सा वर्ग ठीक रहेगा। मैंने अपने साथियों के आग्रह और अनुकरण से कला वर्ग चुन लिया हैं।

लेकिन पिछले सप्ताह से मुझे यह अनुभव हो रहा हैं कि मैंने अपनी योग्यता के अनुकूल विषय का चयन नहीं किया हैं। मुझे गणित विषय में 98 अंक प्राप्त हुए हैं। अतः गणित वर्ग विषय होना मेरी प्रतिभा के विकास के लिए अधिक उपयुक्त रहेगा।

आशा हैं आप मेरी कला संकाय से गणित संकाय में स्थानान्तरण की प्रार्थना स्वीकार करेंगे। मैं इसके लिए सदा आपका आभारी रहूँगा।

धन्यवाद।

आपका आज्ञाकारी शिष्य
उमाशंकर
कक्षा- ग्यारहवीं 'अ'
अनुक्रमांक-26

(2) अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति प्राप्त कराने का आग्रह करते हुए प्रार्थना-पत्र लिखिए।

424, शालीमार बाग,
दिल्ली।

दिनांक 18 जुलाई, 20XX

सेवा में,
श्रीमान प्रधानाचार्य,
आदर्श माध्यमिक विद्यालय,
सिद्धार्थ नगर,
आगरा।

विषय- छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना-पत्र।

मान्यवर,
सविनय निवेदन यह हैं कि मैं दसवीं कक्षा का छात्र हूँ। मैं सदा विद्यालय में अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण होता हूँ। पिछले कई वर्षों से मैं लगातार प्रथम आ रहा हूँ। इसके अतिरिक्त मैं भाषण-प्रतियोगिताओं, वाद-विवाद प्रतियोगिताओं में कई बार विद्यालय के लिए जोनल एवं राष्ट्रीय स्तर पर इनाम जीत कर लाया हूँ। खेल-कूद में भी मेरी गहन रुचि हैं। मैं स्कूल की क्रिकेट टीम का कप्तान भी हूँ। सभी अध्यापक मेरी प्रशंसा करते हैं।

मुझे अत्यन्त दुःख के साथ आपको बताना पड़ रहा हैं कि मेरे पिताजी को एक असाध्य रोग ने आ घेरा हैं जिसके कारण घर की आर्थिक दशा डगमगा गई हैं। पिताजी स्कूल से मेरा नाम कटवाना चाहते हैं। वे मेरा मासिक-शुल्क देने में असमर्थ हैं। मैंने अपनी पाठ्य-पुस्तकें तो जैसे-तैसे खरीद ली हैं, लेकिन शेष व्यय के लिए आपसे नम्र निवेदन हैं कि मुझे तीन सौ रुपये मासिक की छात्रवृत्ति देने की कृपा करें, ताकि मैं अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से चला सकूँ। यह छात्रवृत्ति आपकी मेरे प्रति विशेष कृपा होगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं खूब मेहनत से पढ़ूँगा और इस स्कूल का नाम रोशन करूँगा।

धन्यवाद।

आपका आज्ञाकारी शिष्य
विशाल
कक्षा-दसवीं
अनुक्रमांक-15

(3) अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए, जिसमें कम्प्यूटर शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए प्रार्थना की गई हो।

642, मुखर्जी नगर,
दिल्ली।

दिनांक 21 जुलाई, 20XX

सेवा में,
श्रीमान प्रधानाचार्य,
रा.उ.मा. बाल विद्यालय,
गणेशपुर,
रुड़की।

विषय- कम्प्यूटर शिक्षा की व्यवस्था हेतु प्रार्थना-पत्र।

महोदय,
सविनय निवेदन हैं कि हम दसवीं कक्षा के छात्र यह अनुभव करते हैं कि आज के कम्प्यूटर युग में प्रत्येक व्यक्ति को कम्प्यूटर की जानकारी होनी चाहिए। हम देख भी रहे हैं कि दिनोंदिन कम्प्यूटर शिक्षा की माँग बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में हमारे उज्ज्वल भविष्य के लिए भी कम्प्यूटर का ज्ञान होना अपरिहार्य हैं।

अतः आपसे प्रार्थना हैं कि कृपा करके हमारे विद्यालय में कम्प्यूटर शिक्षा आरम्भ करें। हम आपके प्रति कृतज्ञ होंगे। आशा हैं, आप हमारे अनुरोध को स्वीकार करेंगे।

धन्यवाद।

प्रार्थी
क.ख.ग.
कक्षा- दसवीं 'अ'

(4) अपने विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य को चरित्र प्रमाण-पत्र लेने के लिए आवेदन-पत्र लिखिए।

424, कीर्ति नगर
दिल्ली।

दिनांक 26 अप्रैल, 20XX

सेवा में,
श्रीमान प्रधानाचार्य,
रामजस कॉलेज,
दिल्ली विश्वविद्यालय,
नई दिल्ली।

विषय- चरित्र प्रमाण-पत्र लेने हेतु आवेदन-पत्र।

महोदय,
सविनय निवेदन हैं कि मैंने आपके विश्वविद्यालय से वर्ष 20XX में बी.ए.हिन्दी (ऑनर्स) की परीक्षा उत्तीर्ण की हैं। अब मैं महर्षि

दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक, हरियाणा से बी.एड. करने जा रहा हूँ। चूँकि मेरी काउन्सलिंग हो गई हैं, मुझे मेरे पसन्दीदा कॉलेज में प्रवेश के लिए पंजीकरण पर्ची भी दे दी गई हैं। मैंने सम्बन्धित कॉलेज से सम्पर्क किया, तो पता चला कि मुझे यहाँ स्नातक तक के प्रमाण-पत्रों सहित चरित्र-प्रमाण-पत्र भी जमा कराना होगा।

अतः आप से निवेदन हैं कि आप मुझे जल्द से जल्द मेरा चरित्र प्रमाण-पत्र प्रदान करने की कृपा करें, ताकि मैं समय रहते बी.एड में प्रवेश ले सकूँ।

धन्यवाद।

भवदीय
हस्ताक्षर.....
भवेश कुमार

उत्तर के रूप में प्राप्त चरित्र प्रमाणपत्र-

.....दिनांक 28 अप्रैल, 20XX

रामजस कॉलेज

दिल्ली विश्वविद्यालय

प्रमाणित किया जाता हैं कि श्री सुनील कुमार सुपुत्र श्री विवेकानन्द, जो कि वर्ष 20XX से इस विश्वविद्यालय में बी.ए.हिन्दी (ऑनर्स) में अध्ययनरत् हैं, का अपने अध्यापकों, सहपाठियों एवं अन्य के प्रति व्यवहार अच्छा रहा हैं। उनके चरित्र में किसी प्रकार का दोष नहीं हैं।

हम उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं।

हस्ताक्षर.....
डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
(प्रधानाचार्य)

(5) शिष्य द्वारा अपने पुराने अध्यापक को अपनी पदोन्नति के विषय में व उनका कुशल मंगल पूछने के सम्बन्ध में पत्र लिखिए।

129 वजीरपुर,
नई दिल्ली।

दिनांक 5 जुलाई, 20XX

आदरणीय गुरु जी,
सादर प्रणाम।
आपको पत्र लिखकर मैं स्वयं को धन्य मान रहा हूँ। लम्बे समय बाद मैंने आपको पत्र लिखा हैं। इस पत्र के माध्यम से मैं आपको कुछ अच्छी खबर देना चाहता हूँ और आपका आशीर्वाद भी प्राप्त करना चाहता हूँ।

आपको यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता होगी कि मेरी पदोन्नति सेल्स मैनेजर (बिक्री प्रबन्धक) के पद पर हो गई हैं। मैंने अपने जीवन में जो कुछ हासिल किया हैं, उसमें आपका महत्त्वपूर्ण योगदान हैं। विद्यार्थी जीवन में आपके द्वारा प्रदान की गई शिक्षा आज मेरे जीवन में अत्यन्त लाभकारी सिद्ध हो रही हैं। शीघ्र ही किसी विशेष अवसर पर मैं आपसे मिलने व आपका आशीर्वाद पाने के लिए आऊँगा।

आशा हैं आप सकुशल होंगे। क्या आपने अपने मोतियाबिंद का इलाज करवा लिया हैं? अगर मैं आपके लिए कुछ करने योग्य हूँ, तो आप मुझे अवश्य बताएँ।

आदर सहित,
आपका शिष्य,
दिनेश

****

UNIT-4

राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप में हिन्दी

- डा. मीनाक्षी व्यास

अत्यंत प्राचीन काल से हिंदी में साहित्य सृजन एवं शिक्षण की एक सुदीर्घ परंपरा हम सबके सम्मुख रही है। लंबी साहितियक परंपरा के साथ-साथ लोक व्यवहार में भी संपूर्ण भारत के क्षेत्रापफल को समेटती हुई हिंदी 'राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिषिठत है। साथ ही पिछले कई दशकों से 'राजभाषा के रूप में भी हिंदी अपने असितत्व-संघर्ष में प्रयत्नरत है। अत: प्राय: सभी प्रदेशों में प्रचलित रहने के कारण हिंदी संपूर्ण भारत की राष्ट्र और राजवाणी रही है। हालांकि मुगल शासन काल में पफारसी को प्रभुत्त्व मिला था , तथापि हिंदी ही देश की अतिव्यापक भाषा बनी रही। अंग्रेजों के शासनकाल में अंग्रेजी का प्रभुत्व स्थापित हुआ लेकिन भारतीय समाज में हिंदी का अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान बना रहा। स्वतंत्राता प्रापित के बाद संवैधनिक तौर पर हिंदी को राष्ट्रभाषा और राजभाषा का दर्जा दिया गया , क्योंकि यह देश के प्राय: सभी भागों में संपर्क के लिए बोली और समझी जाती है।

भारत में संविधन सभा का गठन सन 1947 में हुआ था। उसी समय यह निर्णय लिया गया था कि सभा के कामकाज की भाषा हिंदुस्तानी या अंग्रेजी होगी। बाद में हिंदुस्तानी के स्थान पर 'हिंदी शब्द रखा गया।

संविधन सभा की 11 से 14 सितंबर 1949 की बैठक में 'देवनागरी में लिखित हिंदी को राजभाषा स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार संविधन में राजभाषा से संबंधित व्यवस्था की गई है।

राजभाषा हिंदी

14 सितम्बर 1949 से लेकर आज तक संवैधनिक प्रावधनों एवं संकल्पों के दृढ़ आधर पर हिंदी राजभाषा के रूप में प्रतिषिठत हैं। संवैधनिक स्तर पर भी हिंदी के अनुप्रयोगात्मक आयामों को सरकारी-गैर सरकारी कार्यालयों आदि में अपनाने पर जोर एवं प्रोत्साहन दिया जाता रहा है। हिंदी को प्रशासनिक , कार्यालयी व व्यावसायिक स्तरों पर प्रयोग में लाने के लिए शब्दावली निर्माण के साथ-साथ हिंदी में कार्य करने के लिए कम्प्यूटर, टेलीप्रिंटर व अन्य यांत्रिक साध्नों की व्यवस्था व सुविधएं प्रदान की जा रही हैं।

भारत के संविधन के अनुच्छेद 120 (1द्ध और 343 से 351 तक भारत संघ की राजभाषा के संबंध् में अलग-अलग प्रावधन हैं। इसका प्रारंभिक उल्लेख-अनुच्छेद 343 (1द्ध में इस प्रकार हुआ है- 'संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी।

उसी अनुच्छेद के खण्ड (2द्ध में यह व्यवस्था की गई है कि इस संविधन के आरंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि तक संघ के प्रशासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता रहेगा।

अनुच्छेद 120 (1द्ध के अनुसार संसद का कार्य हिन्दी अथवा अंग्रेजी में चलाने की व्यवस्था की गई थी। इसके अतिरिक्त सदस्य विशेष को सभापति या अ èयक्ष के आदेश से अपनी मातृभाषा में विचार व्यक्त करने का प्रावधन भी है।

अनुच्छेद 351 संविधन विषयक भाषा नीति का मुख्य अंग है। इसके अनुसार संघ सरकार का कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा के विकास-प्रसार हेतु प्रयत्न करेगी , जिससे वह सारे देश में प्रयुक्त हो सके। साथ ही हिन्दी में अन्य भारतीय भाषाओं के शब्दों को समाहित कर उसके शब्द भंडार को समृ(किया जाए।

सन 1963 में संसद द्वारा राजभाषा अधिनियम जारी किया गया और उसके पश्चात राजभाषा (संशोधित) अधिनियम 1967 द्वारा घोषणा की गई कि 26 जनवरी 1965 से हिंदी राजभाषा के रूप में कार्य करेगी , साथ ही अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी सह राजभाषा के रूप में होता रहेगा।

सन 1976 में राजभाषा अधिनियम का निर्माण किया गया। इसके नियमों के अनुसार तमिलनाडु को छोड़कर पूरा देश अपना कामकाजी हिंदी में कर सकता है। संवैधनिक सिथति के अनुसार विभिन्न मंत्राालयों द्वारा

राजभाषा हिंदी को विभिन्न क्षेत्राों जैसे- Ñषि, चिकित्सा, मानविकी, रेल, सूचना व प्रसारण-विज्ञान , गणित, डाक व तार आदि की तकनीकी पारिभाषिक शब्दावली की दृषिट से विकसित किया जा रहा है। हिंदी टाइपराइटर, टेलीप्रिंटर, कम्प्यूटर आदि की सहायता से भी कार्यालयी स्तर पर राजभाषा हिंदी को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रादेशिक प्रशासन में दिल्ली , हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, मèयप्रदेश, उत्तरप्रदेश तथा बिहार में राजभाषा हिंदी का प्रयोग किया जा रहा है। परंतु वर्तमान सिथति को पूरी तरह संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। हिंदी दिवस मना लेना ही पर्याप्त नहीं है। इसका व्यापक प्रचार व अनुप्रयोग आवश्यक है।

राष्ट्रभाषा हिंदी

राष्ट्रभाषा का संबंध् राष्ट्रवादिता से माना जाता है। जब किसी राष्ट्र की कोई एक भाषा विभिन्न राजनीतिक , धर्मिक, सांस्Ñतिक कारणों से समग्र राष्ट्र के सार्वजनिक प्रयोग में आ जाती है , उसमें देश की संस् Ñति एवं उसमें ब(मूल आदर्शों की अनिवति होती है तथा उसकी प्र Ñति और साहित्य में यह सामथ्र्य होती है कि देश की अन्य भाषाओं को बिना उसकी प्रगति में बाध्क हुए अपने साथ ले चल सके , तब वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। हिंदी ने एक लंबी ऐतिहासिक और प्रा Ñतिक प्रक्रिया से गुजर कर राष्ट्रभाषा का पद प्राप्त किया और क्रमश: बंगाली, मराठी, गुजराती, कन्नड़ जैसे अहिंदी भाषी क्षेत्राों में भी लोकप्रिय होती जा रही है।

वास्तव में विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्Ñतिक और व्यापारिक कारणों से हिंदी प्राचीनकाल से ही अपने विविध् रूपों में भारत के प्राय: सभी प्रदेशों में प्रचलित रही है। बारहवीं-तेरहवीं शताब्दी में यह केवल अपने मूल स्थान दिल्ली, मेरठ के आस-पास की सीमित जनबोली थी।

लगभग छ:-सात सौ वर्षों तक यह बोली के रूप में प्रचलित रही , इसकी अपेक्षा इसके साथ की अन्य बोलियाँ जैसे अवध्ी, ब्रज, आदि अधिक विकसित हुई और 'भाषा के रूप में उच्च साहित्य का मा èयम बनीं। मुगल काल में पफारसी का प्रभुत्त्व रहा तथा अंग्रेजों के शासनकाल में अंग्रेजी का प्रभुत्त्व स्थापित हुआ लेकिन भारतीय समाज में हिंदी का अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान बना रहा। उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्(से ही ऐसी सिथतियां बनती गई, जिनके कारण खड़ी बोली ने अत्यंत तीव्रता से भाषा का दर्जा प्राप्त किया और लगभग एक सौ वर्ष के भीतर ही हिंदी का मानक स्वरूप निर्धरित हो गया। स्वतंत्राता प्रापित के बाद संवैधनिक तौर पर हिंदी को राजभाषा और राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया क्योंकि यह देश के अधिकांश भागों में बोली और समझी जाती है। साथ ही सामाजिक, राजनीतिक, सांस्Ñतिक और साहितियक दृषिट से इसका विशेष महत्त्व है। भारत में ही नहीं , विदेशों में भी इसके प्रयोक्ताओं की संख्या बहुत अधिक है , मारिशस, सूरीनाम, नेपाल, रूस, जर्मनी तथा कई यूरोपीय देशों में भी शिक्षण तथा साहित्य के स्तर पर हिंदी का प्रचार-प्रसार है।

हिंदी के राष्ट्रभाषा रूप की अवधरणा मुख्यत: राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान विकसित हुई। संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्रा में बांध्ने , और अपनी जातीय असिमता को जगाकर स्वतंत्राता प्राप्त करने की प्रेरणा देने के लिए सभी राजनेताओं, विद्वानों व साहित्यकारों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया।

राष्ट्रीय विकास में उस देश की राष्ट्रभाषा के अतिरिक्त वहाँ की राजभाषा का भी विशिष्ट महत्त्व है। दोनों में अंतर यह है कि राष्ट्रभाषा का विकास स्वत: स्पूफर्त और प्रवाहमान होता है जबकि राजभाषा शासन तंत्रा की नीतियों के संयोजन का साध्न। वह प्रशासनिक प्रयोजनों की भाषा होती है। किन्तु किसी भाषा को राष्ट्रभाषा का पद जनमानस के व्यवहार के बिना नहीं मिलता।

किसी भी सभ्य समाज में या राष्ट्र में विचार-विनिमय के लिए एक ऐसी भाषा की जरूरत होती है जो संपूर्ण समाज या राष्ट्र में समान रूप से समझी और बोली जाए। इस व्यापक संप्रेषणीयता और सुग्रा áता की दृषिट से सर्वसाधरण से लेकर शिक्षित वर्ग तक सभी के द्वारा प्रयुक्त होने वाला हिंदी का सर्वमान्य रूप राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीÑत है। इस तरह अपने दोनों रूपों-राष्ट्रभाषा और राजभाषा में हिंदी भाषा अपना दायित्व सहजता से

निभा रही है क्योंकि इनमें अन्त:संबंध् है। 'राष्ट्रभाषा सम्पूर्ण देश में प्रयुक्त होने वाली सर्व-स्वीÑत भाषा होती है जबकि प्रशासनिक कार्यों के व्यवहार में प्रयुक्त होने वाली 'राजभाषा घोषित की जाती है। समृ(देशों में राष्ट्रभाषा, राजभाषा और सम्पर्क भाषा के रूप मेंं एक ही भाषा का प्रयोग होता है , जैसे जापान, अमेरीका, इंग्लैण्ड, प्रफांस, जर्मनी, रूस आदि देश। इस दृषिट से भारतवर्ष भी समृ(देश है जहाँ हिंदी ही अपने तीनों रूपों में प्रयुक्त होती है। हिंदी ही राष्ट्रभाषा भी है और राजभाषा भी तथा सम्पर्क भाषा भी। विश्व के अनेक देशों में हिन्दी का प्रचार-प्रसार हो रहा है। हिंदी की गुणवत्ता का अनुभव सभी राजनीतिज्ञों , शिक्षाविदों, विद्वानों, लेखकों और सâदय सामाजिकों ने किया है। किन्तु हिन्दी के प्रगामी विकास की दिशा में सबसे बड़ी बाध प्रयोग और व्यवहार के स्तर पर उपेक्षा और उदासीनता की है।

राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति

हमारे देश का संविधान 2 वर्ष, 11 माह तथा 18 दिन की अवधि में निर्मित हुआ तथा 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व देश में स्वतंत्रता आंदोलन के साथ-साथ हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा बनाये जाने की सर्वाधिक मांग की जाती रही थी।

संविधान निर्माताओं ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने की मांग को दृष्टिगत रखते हुए संविधान सभा ने 14/9/1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा स्वीकार करते हुए राजभाषा हिंदी के संबंध में प्रावधान किए।

संविधान के भाग 5 एवं 6 के क्रमश: अनुच्छेद 120 तथा 210 में तथा भाग 17 के अनुचछेद 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350 तथा 351 में राजभाषा हिंदी के संबंध में निम्न प्रावधान किये गए हैं। इन प्रावधानों के साथ ही संप्रति भारत की 22 भाषाओं को संविधान की अनुसूची-8 में मान्यता दी गई है। ये भाषाएँ इस प्रकार हैं-

हिंदी, पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, संस्कृत, असमिया, ओड़िया, बांगला, गुजराती, मराठी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, संथाली, मैथिली, बोड़ो ता डोगरी।

सन 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। सन 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, नेपाली तथा मणिपुरी भाषाएँ 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थीं। सन 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा संथाली, मैथिली, बोडो तथा डोगरी भाषाएँ 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थीं।

संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा

संविधान के अनुच्छेद 120 के अंतर्गत संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में प्रावधान किया गया है।

अनुच्छेद 120 के खंड (1) के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि संविधान के भाग- 17 में किसी बात के होते हुए भी किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिंदी में

या अंग्रेजी में किया जायेगा , परंतु यथा स्थिति लोक सभा का अध्यक्ष या राज्य सभा का सभापति अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति सदन में किसी सदस्य को , जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है , तो उसे अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है।

अनुच्छेद 120 के खंड (2) के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, तब तक संविधान के प्रारंभ के समय से पन्द्रह वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद इस प्रकार प्रभावी होगा मानो- या अंग्रेजी में शब्दों का लोप कर दिया गया हो।

विधान मंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा

संविधान के अनुच्छेद 210 के अंतर्गत विधान मंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में प्रावधान किया गया है।

अनुच्छेद 210 के खंड (1) के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि संविधान के भाग- 17 में किसी बात के होते हुए भी किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य के विधान मंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जायेगा , किंतु यथा स्थिति, विधान सभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति सदन में किसी भी सदस्य को, जो अपने राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में से किसी भी भाषा में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, तो उसे अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है।

अनुच्छेद 210 के खंड (2) के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि जब तक राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे , तब तक संविधान के लागू होने के समय से पन्द्रह वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो- या अंग्रेज़ी में शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो।

संघ की राजभाषा

संविधान के भाग-17 के अनुचछेद 343 से 351 तक में राजभाषा संबंधी प्रावधान किये गए हैं।

संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत संघ की राजभाषा के संबंध में प्रावधान किया गया है।

अनुच्छेद 343 के खंड (1) के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी संघ की राजभाषा है। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। तथापि संविधान के इसी अनुच्छेद 343 के खंड (2) के अनुसार किसी बात के होते हुए भी इस संविधान के लागू होने के समय से पन्द्रह वर्ष की अवधि (अर्थात 26 जनवरी, 1965) तक संघ के उन सभी राजकीय प्रयोजनों के लिए वह संविधान के लागू होने के समय से

ठीक वह संविधान के लागू होने के समय से ठीक पहले प्रयोग की जाती थी। (अर्थात् 26 जनवरी, 1965 तक अंग्रेजी उन सभी प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाती रहेगी, जिनके लिए वह संविधान के लागू होने के समय से पूर्व प्रयोग की जाती थी।)

अनुच्छेद 343 के खंड (2) के अंतर्गत यह भी प्रावधान किया गया है कि उक्त पन्द्रह वर्ष की अवधि में भी अर्थात् 26 जनवरी, 1965 से पूर्व भी राष्ट्रपति आदेश द्वारा किसी भी राजकीय प्रयोजन के लिए अंग्रेजी के साथ साथ देवनागरी रूप के प्रयोग की अनुमति दे सकते हैं।

अनुच्छेद 343. संघ की राजभाषा--

(1) संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी , संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।

(2) खंड (1) में किसी बात के होते हुए भी , इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था :

परन्तु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान , आदेश द्वारा, संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा।

(3) इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी , संसद् उक्त पन्द्रह वर्ष की अवधि के पश्चात् , विधि द्वारा

(क) अंग्रेजी भाषा का, या

(ख) अंकों के देवनागरी रूप का,

ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

अनुच्छेद 344. राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति-

(1) राष्ट्रपति, इस संविधान के प्रारंभ से पांच वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात् ऐसे प्रारंभ से दस वर्ष की समाप्ति पर , आदेश द्वारा, एक आयोग गठित करेगा जो एक अध्यक्ष और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करे और आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्चित की जाएगी।

(2) आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को--

(क) संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग,

(ख) संघ के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बंधनों,

(ग) अनुच्छेद 348 में उल्लिखित सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा,

(घ) संघ के किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप,

(ङ) संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच या एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्रादि की भाषा और उनके प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्देशित किए गए किसी अन्य विषय, के बारे में सिफारिश करे।

(3) खंड (2) के अधीन अपनी सिफारिशें करने में, आयोग भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के संबंध में अहिंदी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्यायसंगत दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखेगा।

(4) एक समिति गठित की जाएगी जो तीस सदस्यों से मिलकर बनेगी जिनमें से बीस लोक सभा के सदस्य होंगे और दस राज्य सभा के सदस्य होंगे जो क्रमशः लोक सभा के सदस्यों और राज्य सभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे।

(5) समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह खंड (1)के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करे और राष्ट्रपति को उन पर अपनी राय के बारे में प्रतिवेदन दे।

(6) अनुच्छेद 343 में किसी बात के होते हुए भी , राष्ट्रपति खंड (5) में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् उस संपूर्ण प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निदेश दे सकेगा।

अध्याय 2- प्रादेशिक भाषाएं

अनुच्छेद 345. राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं-

अनुच्छेद 346 और अनुच्छेद 347 के उपबंधों के अधीन रहते हुए , किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगाः

परंतु जब तक राज्य का विधान-मंडल , विधि द्वारा, अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था।

अनुच्छेद 346. एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा--

संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा , एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा होगी :

परंतु यदि दो या अधिक राज्य यह करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्रादि की राजभाषा हिंदी भाषा होगी तो ऐसे पत्रादि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा।

अनुच्छेद 347. किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध--

यदि इस निमित्त मांग किए जाने पर राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए तो वह निदेश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए, जो वह विनिर्दिष्ट करे, शासकीय मान्यता दी जाए।

अध्याय 3 - उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा

अनुच्छेद 348. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों , विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा--

(1) इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी , जब तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक--

(क) उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी,

(ख) (i) संसद् के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन में पुरःस्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों या प्रस्तावित किए जाने वाले उनके संशोधनों के,

(ii) संसद या किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा पारित सभी अधिनियमों के और राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित सभी अध्यादेशों के ,और

(iii) इस संविधान के अधीन अथवा संसद या किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन निकाले गए या बनाए गए सभी आदेशों , नियमों, विनियमों और उपविधियों के, प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे।

(2) खंड(1) के उपखंड (क) में किसी बात के होते हुए भी , किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में , जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, हिन्दी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगाः

परंतु इस खंड की कोई बात ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय , डिक्री या आदेश को लागू नहीं होगी।

(3) खंड (1) के उपखंड (ख) में किसी बात के होते हुए भी , जहां किसी राज्य के विधान-मंडल ने,उस विधान-मंडल में पुरःस्थापित विधेयकों या उसके द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में अथवा उस उपखंड के पैरा (iv) में निर्दिष्ट किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा से भिन्न कोई भाषा विहित की है वहां उस राज्य के राजपत्र में उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद इस अनुच्छेद के अधीन उसका अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

अनुच्छेद 349. भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया--

इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि के दौरान , अनुच्छेद 348 के खंड (1) में उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक या संशोधन संसद के किसी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पुरःस्थापित या प्रस्तावित नहीं किया जाएगा और राष्ट्रपति किसी ऐसे विधेयक को पुरःस्थापित या किसी ऐसे संशोधन को प्रस्तावित किए जाने की मंजूरी अनुच्छेद 344 के खंड (1) के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों पर और उस अनुच्छेद के खंड (4) के अधीन गठित समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् ही देगा, अन्यथा नहीं।

अध्याय 4-- विशेष निदेश

अनुच्छेद 350. व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा-

प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को, यथास्थिति, संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा।

अनुच्छेद 350 क-प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुव .ि◌धाएं--

प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है।

अनुच्छेद 350 ख--वर्गों के लिए विशेष अधिकारी-भाषाई अल्पसंख्यक .

(1) भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा।

(2) विशेष अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे और उन विषयों के संबंध में ऐसे अंतरालों पर जो राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे,

राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे और राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और संबंधित राज्यों की सरकारों को भिजवाएगा।

अनुच्छेद 351. हिंदी भाषा के विकास के लिए निदेश--

संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए , उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्थानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द-भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।

टेलीफ़ोन पर निबंध |

टेलीफ़ोन एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा दूर स्थित वयक्तियों से संवाद किया जा सकता है। पहले लोगों से वार्ता के लिए उनके निकट जाना पड़ता था। आमने-सामने ही बातचीत संभव हो पाती थी। किसी को जरूरी संदेश भेजना हो तो हरकारों तथा घुड़सवारों को रवाना करना पड़ता था। इस प्रक्रिया में दूरी के हिसाब से घंटों , दिनों या सप्ताहों का समय लग जाता था। आधुनिक डाक प्रणाली स्थापित होने पर संदेश भेजने में लगने वाला समय कुछ घटा परंतु पूरी सहूलियत नहीं हो पाई। टेलीफोन के आविष्कार के बाद यह प्रक्रिया बहुत सरल हो गई।

टेलीफोन का आविष्कार अलेक्ज़ेंडर ग्राहम बेल ने किया था। इसे हिन्दी में दूरभाष के नाम से भी जाना जाता है जिसका शाब्दिक अर्थ है-दूर से होनेवाली बातचीत। इस पर किसी से बातचीत करने के लिए खास नंबर डायल करना पड़ता है जिससे दूसरी तरफ घंटी सुनाई देती है। घंटी से पता चलता है कोई बातचीत करना चाह रहा है। दूसरा व्यक्ति तब रिसीवर उठाकर वार्ता करने लगता है। वार्ता संक्षिप्त या लंबी की जा सकती है। जो व्यक्ति बातचीत करना चाहता है उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। सुनने वाले का कुछ भी खर्च नहीं होता है।

यदि बातचीत दूर के किसी स्थान , शहर या विदेश में रह रहे व्यक्ति से करनी हो तो संबंधित व्यक्ति का नंबर डायल करने से पहले एस.टी.डी या आई.एस.डी. कोड का नंबर भी डायल करना पड़ता है। आजकल टेलीफोन सेवा का इतना विस्तार हो चुका है कि देश के छोटे से छोटे गाँवों में रह रहे व्यक्ति से वार्ता की जा सकती है। पलक झपकते ही किसी अनजान देश में अपना संदेश पहुँचाया जा सकता है।

टेलीफोन पर बातचीत तार के माध्यम से होती है। मोबाइल फोन इसी का सुधरा हुआ रूप है। मोबाइल फोन पर बिना तार के वार्ता होती है। इसके माध्यम से बातचीत करना और भी आसान हो गया है। इसे व्यक्ति अपने साथ रख सकता है और अपनी सुविधा के अनुसार कहीं से भी बातचीत कर सकता है। इसीलिए बहुत से लोग मोबाइल फोन का ही अधिक प्रयोग करने लगे हैं। मोबाइल फोन को जेबी टेलीफोन कहा जा सकता है। सचमुच टेलीफोन और मोबाइल फोन एक बड़ा आविष्कार था क्योंकि इसने संचार की दुनिया में क्रांति ला दी।

टेलीफोन के माध्यम से संचार न केवल दुतगामी है अपितु सस्ता भी है। इसके द्वारा कोई खबर मिनट भर में ही दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुँच जाती है। सगे-संबंधी को कोई समाचार देना हो तो टेलीफोन हाजिर है। प्रधानमंत्री को किसी राष्ट्राध्यक्ष से वार्ता करनी हो तो कोई समस्या नहीं। अपने सहयोगी को कोई राजनीतिक संदेश देना हो तो देर किस बात की। अगरतला के व्यापारी मुंबई सर्राफा बाजार का हाल जानना चाहे तो बस नंबर डायल करने की देरी है।

विद्यालय से किसी छात्र ने। कोई खबर देनी हो तो टेलीफोन का प्रयोग कीजिए। अखबार के संपादक को संवाददाता कोई खबर बताना चाहता है तो टेलीफोन से संपर्क कर सकता है। मित्र को अपने जन्मदिन पर आमंत्रित करना हो तो अब निमंत्रण-पत्र छपवाकर भेजने की आवश्यकता नहीं। टेलीफोन की घंटी बजी और खबर पहुँची।

टेलीफोन के आविष्कार के बाद से इसकी सेवाओं में निरंतर सुधार हुआ है। पहले यह सेवा बड़े शहरों तक सीमित थी। अब टेलीफोन के तार गाँवों गाँवों तक पहुँच चुके हैं।- गाँव का मुखिया अबबी से तुरंत संपर्क कर सकता है। टेलीफोन का उपयोग .ओ.डी. इंटरनेट सेवा में भी होता है।

टेलीफोन के चलन के बाद से दुनिया छोटी नजर आने लगी है। अभी लंदन में हैं तो दूसरे पल न्यूयार्क पहुँच गए। वहाँ से निकले तो टोकियो पहुँचने में भी देर नहीं लगी। इस तरह संचार आम जनता की पहुँच में आ गया। अब वह भी बादशाह है, संदेश भेजना और प्राप्त करना उसके लिए हँसी-खेल है। धृतराष्ट्र को महाभारत युद्ध का हाल सुनाने वाला

संजय था तो आज के मनुष्य के पास टेलीफोन और मोबाइल फोन है । जो छोटी-बड़ी सभी प्रकार की खबरों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक शीघ्र पहुँचा देता है ।

अनुवाद

भारत में अनुवाद की परम्परा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। कहते हैं अनुवाद उतना ही प्राचीन जितनी कि भाषा। आज 'अनुवाद' शब्द हमारे लिए कोई नया शब्द नहीं है। विभिन्न भाषायी मंच पर , साहित्यिक पत्रिकाओं में, अखबारों में तथा रोजमर्रा के जीवन में हमें अक्सर 'अनुवाद' शब्द का प्रयोग देखने :सुनने को मिलता है। साधारणत- पाठ में यथावत् व्यक्त करना- पाठ में निहित अर्थ या संदेश को दूसरे भाषा-एक भाषा अर्थात् एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में कहना अनुवाद है। परंतु यह कार्य उतनाआसान नहीं, जितना कहने या सुनने में जान पड़ रहा है। दूसरा , अनुवाद सिद्धांत की चर्चा करना और व्यावहारिक अनुवाद करना दो भिन्न प्रदेशों से गुजरने जैसा है-, फिर भी इसमें कोई दो राय नहीं कि अनुवाद के सिद्धांत हमें अनुवाद कर्म की जटिलताओं से परिचित कराते हैं। फिर , किसी भी भाषा के साहित्य में और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में- जितना महत्त्व मूल लेखन का है, उससे कम महत्त्व अनुवाद का नहीं है। लेकिन सहज और संप्रेषणीय अनुवाद मूल लेखन से भी कठिन काम है। भारत जैसे बहुभाषी देश के लिए अनुवाद की समस्या और भी महत्त्वपूर्ण है। इसकी जटिलता को समझना अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है।

अनुवाद का अर्थ

अनुवाद एक भाषिक क्रिया है। भारत जैसे बहुभाषा भाषी देश में अनुवाद का महत्त्व- जैसे स्थान और समय की दूरियाँ- प्राचीन काल से ही स्वीकृत है। आधुनिक युग में जैसे वैसे- कम होती गईं वैसेद्विभाषिकता की स्थितियों और मात्रा में वृद्धि होती गई और इसके साथ शिक्षण में अनुवाद- साथ अनुवाद का महत्त्व भी बढ़ता गया। अन्यान्य भाषा- विधि का प्रयोग न केवल पश्चिमी देशों में वरन् पूर्वी देशों में भी निरन्तर किया जाता रहा है। बीसवीं शताब्दी में देशों के बीच दूरियाँ कम होने के परिणामस्वरूप विभिन्न वैचारिक धरातलों और आर्थिक, औद्योगिक स्तरों पर पारस्परिक भाषिक विनिमय बढ़ा है और इस विनिमय के साथ साथ अनुवाद का प्रयोग और अधिक किया जाने लगा है।- बहरहाल, अनुवाद की प्रक्रिया, प्रकृति एवं पद्धति को समझने के लिए 'अनुवाद क्या है ?' जानना बहुत ज़रूरी है। चर्चा की शुरुआत 'अनुवाद' के अर्थ एवं परिभाषा ' से करते हैं।

'अनुवाद' का अर्थ : अंग्रेजी में एक कथन है -'Terms are to be identified before we enter into the argument' इसलिए अनुवाद की चर्चा करने से पहले 'अनुवाद' शब्द में निहित अर्थ और मूल अवधारणा से परिचित होना आवश्यक है। 'अनुवाद' शब्द संस्कृत का यौगिक शब्द है जो 'अनु' उपसर्ग तथा 'वाद' के संयोग से बना है। संस्कृत के 'वद्' धातु में 'घञ' प्रत्यय जोड़ देने पर भाववाचक संज्ञा में इसका परिवर्तित रूप है 'वाद'। 'वद्' धातु का अर्थ है 'बोलना या कहना' और 'वाद' का अर्थ हुआ 'कहने की क्रिया' या 'कही हुई बात'। 'अनु' उपसर्ग अनुवर्तिता के अर्थ में व्यवहृत होता है। 'वाद' में यह 'अनु' उपसर्ग्ा जुड़कर बनने वाला शब्द 'अनुवाद' का अर्थ हुआ-'प्राप्त कथन को पुन : कहना'। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि 'पुनकथन :' में अर्थ की पुनरावृत्ति होती है , शब्दों की नहीं। हिन्दी में अनुवाद के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले अन्य शब्द हैं छाया :, टीका, उल्था, भाषान्तर आदि। अन्य भारतीय भाषाओं में 'अनुवाद' के समानान्तर प्रयोग होने वाले शब्द हैं संस्कृत)भाषान्तर :, कन्नड़, मराठी(, तर्जुमा कश्मीरी), सिंधी, उर्दू(, विवर्तन, तज्र्जुमा(मलयालम), मोषिये चण्य्यु(तमिल), अनुवादम्(तेलुगु), अनुवाद संस्कृत), हिन्दी, असमिया, बांग्ला, कन्नड़, ओड़िआ, गुजराती, पंजाबी, सिंधी।(

प्राचीन गुरु शिष्य परम्परा के समय से-'अनुवाद' शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में भारतीय वाड्मय में होता आ रहा है। गुरुकुल शिक्षा पद्धति में गुरु द्वारा उच्चरित मंत्रों को शिष्यों द्वारा दोहराये जाने को 'अनुवचन' या 'अनुवाक्' कहा जाता था, जो 'अनुवाद' के ही पर्याय हैं। महान् वैयाकरण पाणिनी ने अपने 'अष्टाध्यायी' के एक सूत्र में अनुवाद शब्द का प्रयोग किया है :'अनुवादे चरणानाम्'। 'अष्टाध्यायी' को 'सिद्धान्त कौमुदी' के रूप में प्रस्तुत करने वाले भट्टोजि दीक्षित ने पाणिनी के सूत्र में प्रयुक्त 'अनुवाद' शब्द का अर्थ 'अवगतार्थस्य प्रतिपादनम्' अर्थात् 'ज्ञात तथ्य की प्रस्तुति' किया है। 'वात्स्यायन भाष्य' में 'प्रयोजनवान् पुनकथन:' अर्थात् पहले कही गई बात को उद्देश्यपूर्ण ढंग से पुन कहना : ही अनुवाद माना गया है। इस प्रकार भतर्ृहरि ने भी अनुवाद शब्द का प्रयोग दुहराने : या पुनर्कथन के अर्थ में किया है'आवृत्तिरनुवादो वा'। 'शब्दार्थ चिन्तामणि' में अनुवाद शब्द की दो व्युत्पत्तियाँ दी गई हैं :'प्राप्तस्य पुनकथनम् :' व 'ज्ञातार्थस्य प्रतिपादनम्'। प्रथम व्युत्पत्ति के अनुसार 'पहले कहे गये अर्थ ग्रहण कर उसको पुन कहना अनुवाद है :' और द्वितीय व्युत्पत्ति के अनुसार 'किसी के द्वारा कहे गये को भलीभाँति समझ कर उसका विन्यास करना अनुवाद है। दोनों व्युत्पत्तियों को मिलाकर अगर कहा जाए 'ज्ञातार्थस्य पुनकथनम् :', तो स्थिति अधिक स्पष्ट हो जाती है। इस परिभाषा के अनुसार किसी के कथन के अर्थ को भलीभाँति समझ लेने के उपरान्त उसे फिर से प्रस्तुत करने का नाम अनुवाद है।

संस्कृत में 'अनुवाद' शब्द का प्रयोग बहुत प्राचीन होते हुए भी हिन्दी में इसका प्रयोग

बहुत बाद में हुआ। हिन्दी में आज अनुवाद शब्द का अर्थ उपर्युक्त अर्थों से भिन्न होकर केवल मूल भाषा के अवतरण में निहित अर्थ या सन्देश की रक-ृषा करते हुए दूसरी भाषा में प्रतिस्थापन तक सीमित हो गया है। अंग्रेजी विद्वान मोनियर विलियम्स ने सर्वप्रथम अंग्रेजी में 'translation' शब्द का प्रयोग किया था। 'अनुवाद' के पर्याय के रूप में स्वीकृत अंग्रेजी 'translation' शब्द, संस्कृत के 'अनुवाद' शब्द की भाँति , लैटिन के 'trans' तथा 'lation' के संयोग से बना है , जिसका अर्थ है 'पार ले जाना '-यानी एक स्थान बिन्दु से दूसरे स्थान बिन्दु पर ले जाना। यहाँ एक स्थान बिन्दु 'स्रोतभाषा-' या 'Source Language' है तो दूसरा स्थान बिन्दु 'लक्ष्यभाषा-' या 'Target Language' है और ले जाने वाली वस्तु 'मूल या स्रोत भाषा में निहित अर्थ या संदेश होती है।- 'ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ' में 'Translation' का अर्थ दिया गया है -'a written or spoken rendering of the meaning of a word, speech, book, etc. in an another language.' ऐसे ही 'वैब्स्टर डिक्शनरी' का कहना है -'Translation is a rendering from one language or representational system into another. Translation is an art that involves the recreation of work in another language, for readers with different background.'

बहरहाल, अनुवाद का मूल अर्थ होता है पूर्व में कथित बात को दोहराना-, पुनरुक्ति या अनुवचन जो बाद में पूर्वोक्त निर्देश की व्याख्या , टीका टिप्पणी करने के लिए प्रयुक्त- हुआ। परंतु आज'अनुवाद' शब्द का अर्थ विस्तार होकर एक भाषा के (भाषा-स्रोत) पाठ- निहितार्थ, संदेशों, उसके सामाजिक सांस्कृतिक-तत्त्वों को यथावत् दूसरी भाषा -लक्ष्य) -भिन्न भाषाओं की अलग- में अंतरण करने का पर्याय बन चुका है। चूँकि दो भिन्न (भाषा अलग प्रकृति, संरचना, संस्कृति, समाज, रीतिरिवाज-, रहनसहन-, वेशभूषा होती हैं , अत एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में यथावत् रूपांतरित कर :ते समय समतुल्य अभिव्यक्ति खोजने में कभी कभी बहुत कठिनाई होती है। इस दृष्टि से अनुवाद- भाषा-भाषा और स्रोत- एक चुनौती भरा कार्य प्रतीत होता है जिसके लिए न केवल लक्ष्य पर अधिकार होना जरूरी है बल्कि अनुद्य सामग्री के विषय और संदर्भ का गहरा ज्ञान अनुवाद दो भाषाओं के बीच एक सांस्कृतिक सेतु जैसा ही है :भी आवश्यक है। अत, जिस पर चलकर दो भिन्न भाषाओं के मध्य स्थित समय तथा दूरी के अंतराल को पार कर भावात्मक एकता स्थापित की जा सकती है। अनुवाद के इस दोहरी क्रिया को निम्नलिखित आरेख से आसानी से समझा जा सकता है :

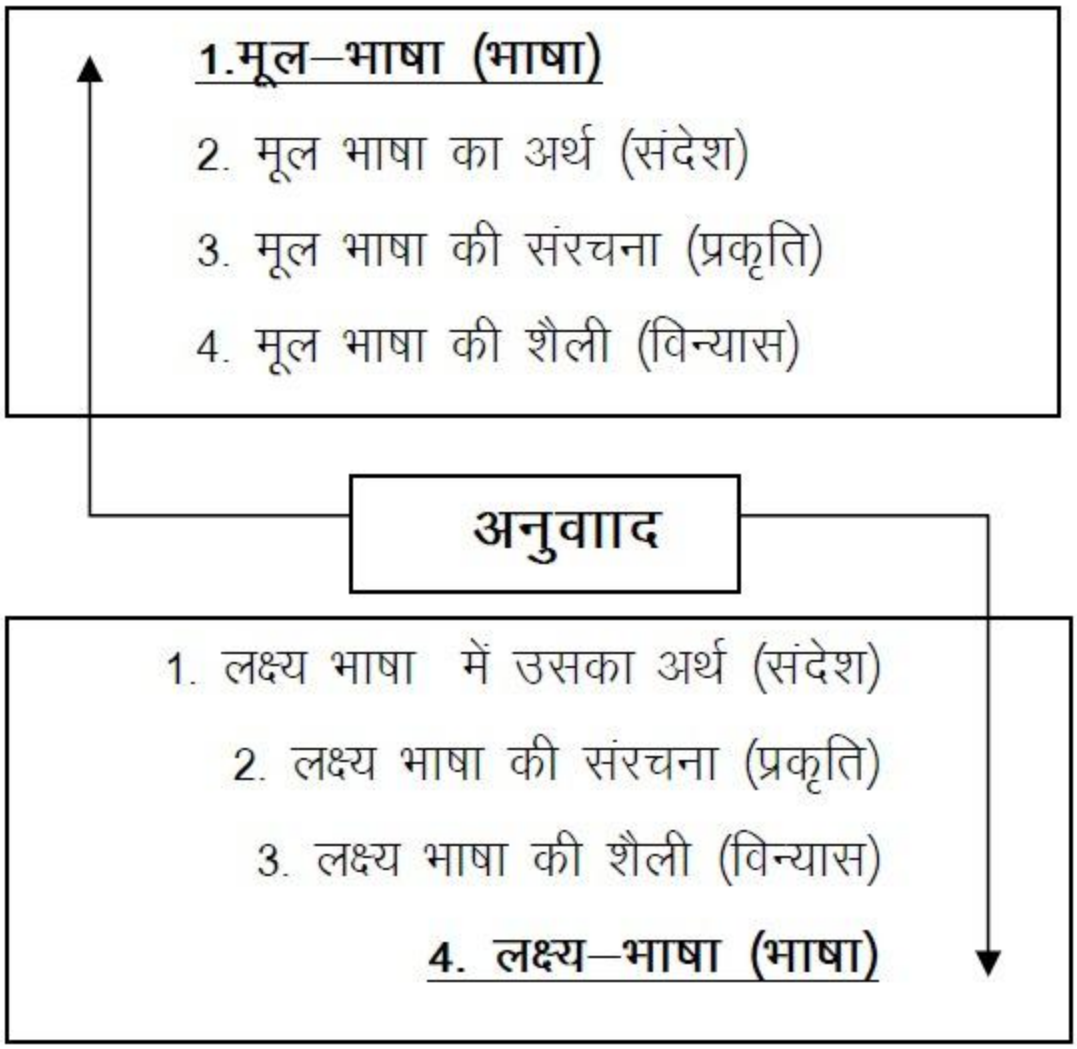

अनुवाद की परिभाषा

साधारणत अनुवाद कर्म में हम एक भाषा में व्यक्त विचारों को दूसरी भाषा में व्यक्त : अलग शब्दों में-करते हैं। अनुवाद कर्म के मर्मज्ञ विभिन्न मनीषियों द्वारा प्रतिपादित अलग परिभाषित किए हैं। अनुवाद के पूर्ण स्वरूप को समझने के लिए यहाँ कुछमहत्त्वपूर्ण परिभाषाओं का उल्लेख किया जा रहा है -:

पाश्चात्य चिन्तन

1. **नाइडा :** 'अनुवाद का तात्पर्य है स्रोत भाषा में- भाषा में व्यक्त सन्देश के लिए लक्ष्य- निकटतम सहज समतुल्य सन्देश को प्रस्तुत करना। यह समतुल्यता पहले तो अर्थ के स्तर पर होती है फिर शैली के स्तर पर।'
2. **जॉन कनिंगटन :** 'लेखक ने जो कुछ कहा है , अनुवादक को उसके अनुवाद का प्रयत्न तो करना ही है, जिस ढंग से कहा, उसके निर्वाह का भी प्रयत्न करना चाहिए।'
3. **कैटफोड :** 'एक भाषा की पाठ्य सामग्री को दूसरी भाषा की समानार्थक पाठ्य सामग्री से प्रतिस्थापना ही अनुवाद है।' 1.मूल (भाषा) भाषा-2. मूल भाषा का अर्थ (संदेश)3. मूल भाषा की संरचना (प्रकृति)
4. **सैमुएल जॉनसन :** 'मूल भाषा की पाठ्य सामग्री के भावों की रक्षा करते हुए उसे दूसरी भाषा में बदल देना अनुवाद है।'
5. **फॉरेस्टन :** 'एक भाषा की पाठ्य सामग्री के तत्त्वों को दूसरी भाषा में स्थानान्तरित कर देना अनुवाद कहलाता है। यह ध्यातव्य है कि हम तत्त्व या कथ्य को संरचना से (रूप) हमेशा अलग नहीं कर सकते हैं।'
6. **हैलिडे :** 'अनुवाद एक सम्बन्ध है जो दो या दो से अधिक पाठों के बीच होता है , ये पाठ समान स्थिति में समान प्रकार्य सम्पादित करते हैं।'
7. **न्यूमार्क :** 'अनुवाद एक शिल्प है , जिसमें एक भाषा में व्यक्त सन्देश के स्थान पर दूसरी भाषा के उसी सन्देश को प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है।'

इस प्रकार नाइडा ने अनुवाद में अर्थ पक्ष तथा शैली पक्ष , दोनों को महत्त्व देने के साथ साथ- दोनों की समतुल्यतापर भी बल दिया है। जहाँ नाइडा ने अनुवाद में मूल पाठ के शिल्प की- तुलना में अर्थ पक्ष के अनुवाद को अधिक महत्त्व दिया है, वहीं कैटफोड अर्थ की तुलना में शिल्प सम्बन्धी तत्त्वों को अधिक महत्त्व देते हैं। सैमुएल जॉनसन ने अनुवाद में भावों की रक्षा की बात कही है, तो न्यूमार्क ने अनुवाद कर्म को शिल्प मानते हुए निहित सन्देश को प्रतिस्थापित करने की बात कही है। कैटफोड ने अनुवाद को पाठ सामग्री के प्रतिस्थापन के रूप में परिभाषित किया है। उनके अनुसार यह प्रतिस्थापन भाषा के विभिन्न स्तरों स्वन), स्वनिम, लेखिम(, भाषा की वर्ण सम्बन्धी इकाइयों लिपि), वर्णमाला आदि(, शब्द तथा संरचना के सभी स्तरों पर होना चाहिए। नाइडा, कैटफोड, न्यूमार्क तथा सैमुएल जॉनसन की उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है कि अनुवाद एक भाषा पाठ में व्यक्त सन्देश को दूसरी भाषा पाठ में प्रस्तुत (निहित) करने की प्रक्रिया का परिणाम है। हैलिडे अनुवाद को प्रक्रिया या उसके परिणाम के रूप में न देख कर उसे दो भाषा पाठों के बीच ऐसे सम्बन्ध के रूप में परिभाषित करते हैं-, जो दो भाषाओं के पाठों के मध्य होता है ।

भारतीय चिन्तन

1. **देवेन्द्रनाथ शर्मा :** 'विचारों को एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपान्तरित करना अनुवाद है।'
2. **भोलानाथ :** 'किसी भाषा में प्राप्त सामग्री को दूसरी भाषा में भाषान्तरण करना अनुवाद है, दूसरे शब्दों में एक भाषा में व्यक्त विचारों को यथा सम्भव और सहज अभिव्यक्ति द्वारा दूसरी भाषा में व्यक्त करने का प्रयास ही अनुवाद है।'
3. **पट्टनायक :** 'अनुवाद वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सार्थक अनुभव अर्थपूर्ण सन्देश या) समुदाय में सम्प्रेषित किया जाता-समुदाय से दूसरी भाषा-को एक भाषा (सन्देश का अर्थ है।'
4. **विनोद गोदरे :** 'अनुवाद, स्रोत भाषा में अभिव्यक्त विचार अथवा व्यक्त अथवा रचना- अथवासूचना साहित्य को यथासम्भव मूल भावना के समानान्तर बोध एवं संप्रेषण के धरातल पर लक्ष्यभाषा में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया है।-'
5. **रीतारानी पालीवाल :** 'स्रोत भाषा की सहज- भाषा में व्यक्त प्रतीक व्यवस्था को लक्ष्य- प्रतीक व्यवस्था में रूपान्तरित करने का कार्य अनुवाद है।'
6. **दंगल झाल्टे :** 'स्रोत भाषा के परिनिष्ठित पाठ के रूप-भाषा के मूल पाठ के अर्थ को लक्ष्य- में रूपान्तरण करना अनुवाद है।'
7. **बालेन्दु शेखर :** अनुवाद एक भाषा समुदाय के विचार और अनुभव सामग्री को दूसरी भाषा समुदाय की शब्दावली में लगभग यथावत् सम्प्रेषित करने की सोद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है।'

उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि अनुवाद की परिकल्पना में स्रोत-भाषा की सामग्री लक्ष्य-भाषा में उसी रूप में, सम्पूर्णता में प्रकट होती है। सामग्री के साथ प्रस्तुति के ढंग में भी समानता हो। मूल-भाषा से लक्ष्य-भाषा में रूपान्तरित करने में स्वाभाविकता का निर्वाह अनिवार्यत: हो। और लक्ष्य-भाषा में व्यक्त विचारों में ऐसी सहजता हो कि वह मूल-भाषा पर आधारित न होकर स्वयं मूल-भाषा होने का एहसास पैदा करे। हम यह भी लक्ष्य करते हैं कि लगभग सभी परिभाषाओं में अनुवाद-प्रक्रिया को शामिल किया गया है। इन सभी परिभाषाओं के आधार पर 'अनुवाद' को परिभाषित किया जा सकता है : -

अनुवाद, मूल व शैली (या सन्देश) भाषा में निहित अर्थ-भाषा या स्रोत-को यथा सम्भव सहज समतुल्य रूप में लक्ष्य भाषा की प्रकृति व शैली के अनुसार परिवर्तित करने की-सोद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है।'

अनुवाद और अनुवादक

साधारणत: एक भाषा-पाठ मे निहित अर्थ या सन्देश को दूसरी भाषा-पाठ में यथावत व्यक्त करना अर्थात् एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में कहना 'अनुवाद' है। परन्तु यह कार्य उतना आसान नहीं, जितना कहने या सुनने में जान पड़ रहा है। चूँकि दो भिन्न भाषाओं की अलग-अलग प्रकृति, संरचना, संस्कृति, समाज, रीति-रिवाज़, रहन-सहन, वेश-भूषा होती है, अत: एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में यथावत् रूपान्तरित करते समय समतुल्य अभिव्यक्ति खोजने में कभी-कभी बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस दृष्टि से अनुवाद एक चुनौती भरा कार्य प्रतीत होता है , जिसके लिए न केवल लक्ष्य-भाषा और स्रोत-भाषा पर अधिकार होना ज़रूरी है बल्कि अनुद्य सामग्री के विषय और सन्दर्भ का गहरा ज्ञान भी आवश्यक है। अत: अनुवाद दो भाषाओं के बीच एक सांस्कृतिक सेतु जैसा ही है , जिस पर चलकर दो भिन्न भाषाओं के मध्य स्थित समय तथा दूरी के अन्तराल को पार कर भावात्मक एकता स्थापित की जा सकती है।

अनुवाद मूल लेखन से भी अधिक कठिन कार्य है। इसकी सबसे पहली और अनिवार्य अपेक्षा स्रोत भाषा का अच्छा ज्ञान है। हर भाषा विशिष्ट परिवेश में- भाषा एवं लक्ष्य- पनपती है, अत उसकी ध्वन्यात्मक :, शाब्दिक, वाक्यात्मक, मुहावरे और लोकोक्ति विषयक निजी विशेषताएँ होती हैं जो अन्य भाषाओं से काफ़ी भिन्न होती हैं। जिससे स्रोत भाषा में कर पाना सर्वदा सम्भव नहीं- समान अभिव्यक्ति लक्ष्य : भाषा की पूर्णत- भाषा की अभिव्यक्ति में जो अर्थ व्यक्त होता है उ- होता है। स्रोतसकी तुलना में लक्ष्य - भाषा में व्यक्त किया गया अर्थ या तो विस्तृत या संकुचित या कुछ भिन्न होता है। चूँकि समतुल्य अभिव्यक्तियाँ नहीं मिलतीं : भाषा में पूर्णत- भाषा और लक्ष्य-स्रोत, अत : कभी उनमें समानता लाने के मोह में ऐसे प्रयोग कर देता है जो लक्ष्-अनुवादक कभीय- - भिन्न भाषाओं में अनुवाद करते समय भिन्न- भाषा की प्रकृति में सहज नहीं होते। भिन्न भिन्न समस्याएँ सामने आती हैं। जैसे चीनी, जापानी आदि भाषाएँ ध्वन्यात्मक न होने के कारण उनमें तकनीकी शब्दों को अनूदित करना श्रम साध्य होता है। अनुवाद करते समय नामों के अनुवाद की समस्या भी सामने आती है। लिप्यन्तरण करने पर उनके उच्चारण में बहुत अन्तर आ जाता है। स्थान विशेष भी भाषा को बहुत प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए एस्किमो भाषा में बर्फ के ग्यारह नाम हैं जिसे दूसरी भाषा में अनुवाद करना सम्भव नहीं है।

अनुवादक के लिए मूल-पाठ का सन्दर्भ जानना, काल व परिस्थितियों से अवगत होना भी बहुत आवश्यक है अनुवाद की तुलना परकाया प्रवेश से की गई है। भाषा जीवन्त और निरन्तर परिवर्तनशील है। भाषा की इस प्रकृति के कारण अनुवाद का कार्य दुगुना कठिन हो जाता है। अत: अनुवादक द्वारा एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में व्यक्त करने की चेष्टा मात्र की जा सकती है। अनुवादक के लिए उन मानसिक संवेदनाओं और अनुभूतियों तक पैठ पाना कठिन होता है जिनमें मूल लेखक अपनी कृति का सर्जन करते हैं।

अनुवाद और अनुवादक

'अनुवाद, अनुवाद न लगे'-यही अनुवाद की सुन्दरता है। और अनुवाद, अनुवाद न लगने के लिए विद्वानों ने अनुवादक के गुण, अनुवादक के दायित्व, अनुवादक से अपेक्षाएँ, अनुवाद की विशेषताओं के सन्दर्भ में जिन बातों का उल्लेख किया है, उनका सार इस प्रकार है :

क: अनुवादक के गुण-

1. गहरी सामाजिक प्रतिबद्धता,
2. सर्जनात्मक प्रतिभा,
3. स्रोतभाषा की सम्यक् जानकारी-भाषा एवं लक्ष्य-,
4. जीवन का व्यापक और गहरा अनुभव,
5. विभिन्न विषयों का ज्ञान।

ख: अनुवादक के दायित्व-

1. मूलनिष्ठता का निर्वाह,
2. बोधगम्यता एवं सम्प्रेषणीयता,
3. निष्ठा एवं अभ्यास की निरन्तरता,
4. विषय का सम्यक् ज्ञान तथा उसमें अभिरुचि।

ग: अनुवादक से अपेक्षाएँ-

1. अभिव्यक्ति पर पूर्ण नियंत्रण,
2. विषय के अनुरूप भाषा विधान,
3. स्रोतभाषा के साहित्य एवं समय के प्रति अभिरुचि का विकास।-

घ: सफल अनुवाद की पहचान-

1. अनुवाद मूलनिष्ठ हो,
2. उसकी भाषा शुद्ध व सुवाच्य होने के साथसाथ प्रवाहमयी भी हो-,
3. अनुवाद की गंध से यथा सम्भव मुक्त हो।

अनुवाद के क्षेत्र

आज की दुनिया में अनुवाद का क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है। शायद ही कोई क्षेत्र बचा हो जिसमें अनुवाद की उपादेयता को सिद्ध न किया जा सके। इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि आधुनिक युग के जितने भी क्षेत्र हैं सबके सब अनुवाद के भी क्षेत्र हैं, चाहे न्यायालय हो या कार्यालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हो या शिक्षा, संचार हो या पत्रकारिता, साहित्य का हो या सांस्कृतिक सम्बन्ध। इन सभी क्षेत्रों में अनुवाद की महत्ता एवं उपादेयता को सहज ही देखा परखा जा सकता है।-चर्चा की शुरुआत न्यायालय क्षेत्र से करते हैं।

1. **न्यायालय :** अदालतों की भाषा प्राय अंग्रेजी में होती है। इनमें मुकद्दमों के लिए : आवश्यक कागजात अक्सर प्रादेशिक भाषा में होते हैं, किन्तु पैरवी अंग्रेजी में ही होती है। इस वातावरण में अंग्रेजी और प्रादेशिक भाषा का बारी बारी से परस्पर अनुवाद किया-जाता है।
2. **सरकारी कार्यालय :** आज़ादी से पूर्व हमारे सरकारी कार्यालयों की भाषा अंग्रेजी थी। हिन्दी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिलने के साथ ही सरकारी कार्यालयों के अंग्रेजी दस्तावेजों का हिन्दी अनुवाद ज़रूरी हो गया। इसी के मद्देनज़र सरकारी कार्यालयों में राजभाषा प्रकोष्ठ की स्थापना कर अंगे्रजी दस्तावेज़ों का अनुवाद तेजी से हो रहा है।
3. **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी :** देश विदेश में हो रहे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के गहन-कार्य उन्हीं की अपनी भाषा- अनुसंधान के क्षेत्र में तो सारा लेखनमें किया जा रहा है। इस अनुसंधान को विश्व पटल पर रखने के लिए अनुवाद ही एक मात्र साधन है। इसके माध्यम से नई खोजों को आसानी से सबों तक पहुँचाया जा सकता है। इस दृष्टि से शोध एवं अनुसंधान के क्षेत्र में अनुवाद बहुत ही महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
4. **शिक्षा :** भारत जैसे बहुभाषा क्षेत्र में अनुवाद की भूमिका को कौन- भाषी देश के शिक्षा-नकार सकता है। कहना अतिशयोक्ति न होगी कि शिक्षा का क्षेत्र अनुवाद के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। देश की प्रगति के लिए परिचयात्मक साहित्य, ज्ञानात्मक साहित्य एवं वैज्ञानिक साहित्य का अनुवाद बहुत ज़रूरी है। आधुनिक युग में विज्ञान , समाजविज्ञान-, अर्थशास्त्र, भौतिकी, गणित आदि विषय की पाठ्य सामग्री अधिकतर-अंग्रेजी में लिखी जाती है। हिन्दी प्रदेशों के विद्यार्थियों की सुविधा के लिए इन सब

ज्ञानात्मक अंग्रेजी पुस्तकों का हिन्दी अनुवाद तोहो ही रहा है, अन्य प्रादेशिक भाषाओं में भी इस ज्ञानसम्पदा को रूपान्तरित किया जा रहा है।-

5. **जनसंचार :** जनसंचार के क्षेत्र में अनुवाद का प्रयोग अनिवार्य होता है। इनमें मुख्य हैं समाचारपत्र-, रेडियो, दूरदर्शन। ये अत्यन्त लोकप्रिय हैं और हर भाषा प्रदेश में इनका-प्रचार बढ़ रहा है। आकाशवाणी एवं दूरदर्शन में भारत की सभी प्रमुख भाषाओं में समाचार प्रसारित होते हैं। इनमें प्रतिदिन22 भाषाओं में खबरें प्रसारित होती हैं। इनकी तैयारी अनुवादकों द्वारा की जाती है।
6. **साहित्य :** साहित्य के क्षेत्र में अनुवाद वरदान साबित हो चुका है। प्राचीन और आधुनिक साहित्य का परिचय दूरदराज के पाठक अनुवाद के माध्यम से पाते हैं। 'भारतीय साहित्य' की परिकल्पना अनुवाद के माध्यम से ही संभव हुई है। विश्व साहित्य का-परिचय भी हम अनुवाद के माध्यम से ही पाते हैं। साहित्य के क्षेत्र में अनुवाद के कार्य ने साहित्यों के तुलनात्मक अध्ययन को सुगम बना दिया है। विश्व की समृद्ध भाषाओं के साहित्यों का अनुवाद आज हमारे लिए कितना ज़रूरी है कहने या समझाने की आवश्यकता नहीं।
7. **अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध :** अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध अनुवाद का सबसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है। विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों का संवाद मौखिक अनुवादक की सहायता से ही होता है। प्राय : सभी देशों में एक दूसरे देशों के राजदूत रहते हैं और उनके कार्यालय भी होते हैं। राजदूतों को कई भाषाएँ बोलने का अभ्यासकराया जाता है। फिर भी देशों के प्रमुख प्रतिनिधि अपने विचार अपनी ही भाषा में प्रस्तुत करते हैं। उनके अनुवाद की व्यवस्था होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय मैत्री एवं शान्ति को बरकरार रखने की दृष्टि से अनुवाद की भूमिका बहुत ही महत्त्वपूर्ण है।
8. संस्कृति : अनुवाद को 'सांस्कृतिक सेतु' कहा गया है। मानव मानव को एक दूसरे के-निकट लाने में, मानव जीवन को अधिक सुखी और सम्पन्न बनाने में अनुवाद की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। 'भाषाओं की अनेकता ' मनुष्य को एक दूसरे से अलग ही नहीं करती, उसे कमजोर , ज्ञान की दृष्टि से निर्धन और संवेदन शून्य भी बनाती है। 'विश्वबंधुत्व की स्थापना' एवं 'राष्ट्रीय एकता' को बरकरार रखने की दृष्टि से अनुवाद एक तरह से सांस्कृतिक सेतु की तरह महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है।

UNIT-5

हिन्दू धर्म की विशेषताएँ

विश्व का सबसे प्राचीन धर्म, जिसका प्राचीन ग्रन्थ ऋग्वेद 1200- 1000 ई.पू.का है। प्राचीन मिश्र, यूनान, बेबीलोन और रोम के धर्म नष्ट हो गए किन्तु हिन्दू धर्म अनादिकाल से आज भी विद्यमान है इसलिए इसे सनातन धर्म कहते है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं-

1. हिन्दू धर्म का उद्भभव या निर्माण ही ज्ञान से हुआ है। अतः यह ज्ञान स्वरुप है। वेदों के रूप में इसमें परम ब्रह्म सदैव विद्यमान रहता है। विश्व का एकमात्र धर्म जिसका निर्माण ज्ञान व वर्षों के अध्ययन व साधना से हुआ है।
2. धर्म श्रेय और साधन दोनों है। श्रेय रूप में वह वेद है, ब्रह्म है। साधन रूप में वह धर्म प्राप्ति का मार्ग है।
3. जीव चौरासी लाख योनियों में भ्रमण करता है। उसे मनुष्य योनि बड़े पुण्य से मिलती है। इस जन्म के बाद उसका पुनर्जन्म होता है जन्म मरण के इस चक्र को संसार चक्र कहतें हैं।
4. जीवन के इस संसार चक्र में मनुष्य का एकमात्र साथी धर्म है। धर्म ज्ञान और कर्म दोनों रूप में है। कर्म रूप में वह तीन प्रकार का है- प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण।
5. वर्त्तमान जन्म जिस कर्म के फलस्वरूप मिलता है उसे प्रारब्ध कहतें हैं।
6. प्रारब्ध के अतिरिक्त पूर्वजन्म के जो कर्म हैं वो संचित कहलाते हैं
7. इस जन्म में जो कर्म किये जातें हैं उन्हें क्रियमाण कहतें है जिनका फल अगले जन्म में मिलता हैं।
8. इसलिए हिन्दू धर्म कर्मवाद के सिद्धन्त को मानता है जिससे मनुष्य इस जीवन में अच्छे कर्म करके अपने आने वाले जीवन व अगले जन्म को संवार सके। प्रारब्ध को तो मनुष्य को इसी जन्म में भोगना पड़ता है परन्तु धर्म के द्वारा मनुष्य संचित व क्रियमाण के प्रभाव से बच सकता है।
9. कर्म और उसके फल का संयोग करने वाला हे ईश्वर है जो कण कण में व्याप्त है। कुछ उसे ईश्वर कहतें है तो कुछ अदृष्ट और कुछ अपूर्व। ईश्वर ही सृष्टि करता है, पालता है व प्रलय करता है। ईश्वर मनुष्य को ज्ञान व भक्ति देकर कृतार्थ करता है। ईश्वर के विविध नाम व रूप हैं किन्तु उन सबका ईश्वरत्व एक है अर्थात सभी हिन्दू जिसको ईश्वर मानते वह गुणः और कर्म में एक ही है।
10. ईश्वर प्राप्त करने के मार्ग अनेक है जैसे – कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और योग मार्ग। ऋग्वेद में कहा गया है कि सद एक है और विद्वान लोग उसको अनेक प्रकार से कहतें हैं। इस प्रकार हिन्दू धर्म में उपासना के मार्ग अनेक हैं किन्तु सबकी मंजिल एक ही है।
11. ईश्वर धर्म की रक्षा के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए तथा अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए समय समय पर अवतार लेता है। वह ब्रह्माण्ड का पिता है इसकी रक्षा करना उसी का काम है। उसके अनेक अवतार हैं।

- **हिंदू धर्म के प्रमुख गुण है उदारता, सहिष्णुता व परोपकार जिससे हिन्दू धर्म का सदैव सरंक्षण होता रहा है। कुछ लोग सोचतें हैं कि अन्य धर्मों के प्रति उदारता तथा सहिष्णुता का भाव दिखाना हिन्दू धर्म की कमजोरी है जिसके कारण इस्लाम और मसीही मत के प्रचारकों ने कई हिन्दुओं का धर्म परिवर्तन किया है। किन्तु यहाँ उल्लेखनीय है कि हिन्दुओं के इस्लाम और मसीही मत के अंतर्गत आने से इन धर्मों के मूलस्वरूप में कई परिवर्तन आ गए हैं। हिन्दू धर्म के अनेक आचार- विचार उनमें शामिल हो गए हिन्दुओं की जाति व्यवस्था भी भारतीय इस्लाम और मसीही मत में अच्छी तरह से प्रविष्ट और व्यवस्थित हो गयी।**

- हिन्दू धर्म किसी एक व्यक्ति को समस्त धर्म का प्रवक्ता या पैगम्बर नहीं मानतायधपि वह प्रत्येक धर्म- प्रवक्ता या पैगम्बर की शिक्षा को महत्व देता है । जहाँ अन्य देशों के मतों ने धर्म को किसी एक व्यक्ति और उसकी परम्पराओं से जोड़ा वहीँ हिन्दू धर्म ने धर्म को उस रूप में प्रकट करने का प्रयत्न किया जीवन व परम्पराओं में विद्यमान रहते हुए भी एक सामान्य धर्म है जो व्यक्ति और समाज से निरपेक्ष है। हिन्दू धर्म अन्य धर्मो से अलग धर्म व मत में अंतर करता है। हिन्दू धर्म में भी अनेक मत है जैसे शंकराचार्य मत,रामानुज मत, अभिनवगुप्त मत आदि। इसी कारण हिन्दू धर्म के कई सम्प्रदाय है।

जैन धर्म की विशेषताएँ

१. जैन धर्म एक धार्मिक पुस्तक, शास्त्र पर निर्भर नहीं है। 'विवेक ही धर्म है।'

२. जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति सर्वोपरि है और दर्शन मीमांसा धर्माचरण से पहले आवश्यक है।

३. देश, काल और भाव के अनुसार ज्ञान दर्शन से विवेचन कर उचित —अनुचित, अच्छे—बुरे का निर्णय करना और धर्म का रास्ता तय करना।

४. आत्मा और जीव तथा शरीर अलग—अलग हैं, आत्मा बुरे कर्मों का क्षय कर शुद्ध—बुद्ध परमात्मा स्वरूप बन सकती है।

५. जैन दर्शन में परमात्मा अकर्ता है। प्रत्येक जीव , आत्मा को कर्मफल अच्छे—बुरे स्वतंत्र रूप में भोगने पड़ते हैं। परमात्मा को , कर्मों को क्षय कर तथा आत्म स्वरूप प्राप्त करने के बाद परमात्म पद प्राप्त होता है।

६. जिनवाणी में किसी व्यक्ति की स्तुति नहीं है। बल्कि गुणों को महत्व दिया गया है जैनधर्म गुण उपासक है।

७. हमारे बाहर में कोई शत्रु नहीं है। शत्रु हमारे अंदर है। काम, क्रोध राग—द्वेष आदि शत्रु हैं। हम इन राग और द्वेष को जीत कर वीतरागी बन सकते हैं।

८. ज्ञान और दर्शन के सभी दरवाजे खुले हैं। अनेकान्तवाद के अनुसार दूसरे धर्म पन्थ भी सही हो सकते हैं। उनके साथ अस्तित्व तथा समदृष्टि रखना और समादर देना।

९. अन्य धर्मों की तुलना में जैन धर्म में अपरिग्रह पर अधिक जोर दिया है। आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह और मोह आसक्ति से वर्जित है।

१०. जैन धर्म में नर और नारी को समान स्थान है। श्रावक —श्राविका, श्रमण—श्रमणिका के रूप में बराबर स्थान तथा अधिकार है।

११. जैन दर्शन, जैन धर्म, जैन आचार निवृत्ति पथगामी है। इसमें त्याग और तपस्या, अनासक्ति और अपरिग्रह को धर्म कहा है।

१२. जैन धर्म में रूढ़िवादिता नहीं है , चूँकि किसी एक गुरू, तीर्थंकर, आचार्य संत को ही सर्वोपरि नहीं माना है। समायानुसार विवेकमय बदलाव को मुख्य सिद्धांतों की अवहेलना किये बिना मान्य किया गया है।

१३. किसी तरह के प्रलोभन से जैनमत में धर्म परिवर्तन के कोई नियम नहीं हैं , स्वत: जिन धर्म संयत आचरण करने पर व्यक्ति जिनोपासक बन सकता है।

१४. जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, पृथ्वी आदि ६ प्रकार के जीवों को रक्षा का संकल्प लेना होता है तथा जीवन यापन के लिए आवश्यकता से कम, उपयुक्त साधनों का प्रयोग करना चाहिए और यत्नपूर्वक संरक्षण देना चाहिए।

१५. जैन धर्म में कोई देव भाषा नहीं है। महावीर के अनुसार जन भाषा में धार्मिक क्रियाएँ और ज्ञान प्राप्ति की जानी चाहिए। सामान्य जन भाषा महावीर के समय में प्राकृत और पाली थी, लेकिन आज ये भाषायें जन भाषायें नहीं रही। अत: अपने क्षेत्र की भाषा में चिंतन, मनन और धर्म आराधन होना चाहिए , यही महावीर का उद्घोष है। हिन्दी एवं क्षेत्रिय भाषा प्रयोग में ली जा सकती है।

१६. `थ्न्न थू थ्न्न, 'जियो और जीन दो', 'परस्परोपग्रहो जीवानाम्', दया, जीव रक्षा और उसी के तहत जीवों के जीने में सहयोग करना बताया गया है। अहिंसा का यह व्यावहारिक रूप है।

१७. जैन धर्म के सिद्धांतों की एक के बाद एक वैज्ञानिक प्रामाणिकता है। वनस्पति में जीव और जीवाणु है। पानी , भोजन, हवा में जीव है। ये बातें वैज्ञानिक सिद्ध कर चुके हैं। इससे सिद्ध होता है कि जैनाचार्य और जैनदर्शन द्वारा प्रदत्त ज्ञान सच्चा है।

१८. जैन श्रमण, साधु, साध्वी विहार भ्रमण करते रहते हैं, एक स्थान पर नहीं रहते, मठ नहीं बनाते, आश्रम नहीं बनाते।

१९. जैन धर्म में गृहस्थों के लिए , श्रावक श्राविका, सन्त—साध्वी के लिए अलग —अलग आचार मर्यादायें तय की गई हैं। दिगम्बर श्रमण मुनि की क्रियाएँ सर्वोच्च और कठिन होती हैं।

२०. अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह ये पांच व्रत हैं। शाकाहारी भोजन हो , नशा—मुक्त जीवन हो, शिकार और जुए की मनाही, झूठ और चोरी की मनाही। व्यभिचार मुक्त जीवन जीवें।

२१. मुक्ति का मार्ग अहिंसा , तप, दान और शील के द्वारा बताया गया हैं किसी से बैर न हो। सभी प्राणियों में प्रेम हो। इन मर्यादाओं के पालन के लिए विवेक प्राप्ति हेतु ज्ञान दर्शन और चारित्र की आराधना आवश्यक है।

२२. जैन दर्शन सत्यान्वेषी है। सत्य ही धर्म है। परिस्थिति के अनुसार विवेक से सत्य को ढूंढना और उचित अनुचित , धर्म—अधर्म, पाप—पुण्य का निर्णय करना।

२३. जैन धर्म का मूल आचार है समदृष्टि , समत्वभाव। एकान्तवाद, स्याद्वाद अिंहसा के मूल्यों को आज के युग में राष्ट्रों के अस्तित्व के लिए तथा विवाद निपटाने के लिए अधिकाधिक आवश्यक हो गया है।

बौद्ध धर्म

1. गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म

गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ महावीर के समकालीन थे । परंपरा के आधार पर कहा जाता है कि उनका जन्म 563 ई॰ पू॰ में शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में कपिलवस्तु के निकट नेपाल तराई में अवस्थित लुंबिनी में हुआ था ।

कपिलवस्तु की पहचान बस्ती जिले में पिपरहवा से की गई है । प्रतीत होता है कि गौतम के पिता कपिलवस्तु के निर्वाचित राजा और गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे । उनकी माता कोसल राजवंश की कन्या थी । इस प्रकार महावीर की तरह वह भी उच्च कुल वाले थे । गणराज्य में उत्पन्न होने के कारण उनमें कुछ समतावादी भावना आई थी ।

बचपन से ही गौतम का ध्यान आध्यात्मिक चिंतन की ओर था । शीघ्र ही उनका विवाह करा दिया गया पर दांपत्य-जीवन में उनका मन नहीं रमा । वे लोगों के सांसारिक दु:ख देख-देखकर द्रवित हो जाते और ऐसे दु:खों के निवारण का उपाय सोचने लगते । 29 वर्ष की उम्र

में महावीर की ही तरह वे घर से निकल पड़े। सात वर्षों तक भटकते रहने के बाद 35 वर्ष की उम्र में बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तब से वे बुद्ध अर्थात् प्रज्ञावान कहलाने लगे।

गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रथम प्रवचन वाराणसी के सारनाथ नामक स्थान में किया। उन्होंने लंबी-लंबी यात्रा कर अपना धर्म-संदेश दूर-दूर तक पहुँचाया। वह शरीर से खूब तगड़े थे इसलिए वे एक दिन में 20 से 30 किलोमीटर तक पैदल चल लेते थे।

वे लगातार चालीस साल तक उपदेश देते, चिंतन-मनन करते, घूमते और भटकते रहे; केवल बरसात में ही एक स्थान पर टिके रहते थे। इस लंबी अवधि में उनका ब्राह्मणों सहित बहुत-से प्रतिद्वंद्वी कट्टरपंथियों से मुकाबला हुआ पर वे शास्त्रार्थ में सभी को पराजित करते गए।

उनके धर्मप्रचार के कार्यों में ऊँच-नीच अमीर-गरीब और स्त्री-पुरुष के बीच कोई भेदभाव नहीं रहता था। एक परंपरा के अनुसार गौतम बुद्ध 80 वर्ष की उम्र में 483 ई॰ पू॰ में कुशीनगर नामक स्थान में स्वर्गवासी हुए। इस स्थान की पहचान पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कसिया नामक गाँव से की जाती है।

किंतु पुरातत्व के आधार पर वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध को निश्चित रूप से छठी शताब्दी ईसा-पूर्व में रखना कठिन है। दोनों का संबंध नगरों से है जिनका उदय 500 ई॰ पू॰ तक नहीं हुआ था।

2. बौद्ध धर्म के सिद्धांत

गौतम बुद्ध बड़े व्यावहारिक सुधारक थे। उन्होंने अपने समय की वास्तविकताओं को खुली आँखों से देखा। वे उन निरर्थक वादविवादों में नहीं उलझे जो उनके समय में आत्मा (जीव) और परमात्मा (ब्रह्म) के बारे में जोरों से चल रहे थे। उन्होंने अपने को सांसारिक समस्याओं में लगाया।

उन्होंने कहा कि संसार दु:खमय है और लोग केवल काम (इच्छा लालसा) के कारण दु:ख पाते हैं। यदि काम अर्थात् लालसा पर विजय पाई जाए तो निर्वाण प्राप्त हो जाएगा जिसका अर्थ है कि जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी।

गौतम बुद्ध ने दु:ख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग (अष्टविध साधन) बताया। यह अष्टांगिक मार्ग ईसा-पूर्व तीसरी सदी के आसपास के एक ग्रंथ में बुद्ध का बताया हुआ कहा गया है। ये आठ साधन हैं- सम्यक् दृष्टि, सम्यक् संकल्प,

सम्यक् वाक, सम्यक् कर्मांत, सम्यक् आजीव, सम्यक् व्यायाम, सम्यक् स्मृति और सम्यक् समाधि।

यदि कोई व्यक्ति इन आठ मार्गों का अनुसरण करें तो वह पुरोहितों के फेर में नहीं पड़ेगा और वह अपना लक्ष्य प्राप्त कर लगा। उनकी शिक्षा है कि न अत्यधिक विलास करना चाहिए न अत्यधिक संयम ही। वे मध्यम मार्ग के प्रशंसक थे।

जैन तीर्थंकरों की तरह बुद्ध ने भी अपने अनुयायियों के लिए आचार-नियम (विनय) निर्धारित किए।

इस आचार-संहिता के मुख्य नियम हैं:
(1) पराये धन का लोभ नहीं करना,

(2) हिंसा नहीं करना,

(3) नशे का सेवन न करना,

(4) झूठ नहीं बोलना और

(5) दुराचार से दूर रहना।

सामाजिक आचरण के ये नियम सामान्य रूप से प्रायः सभी धर्मों में निर्धारित हैं।

3. बौद्ध धर्म की विशेषताएँ और इसके प्रसार के कारण

बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता है। इस बात को हम भारत के धर्मों के इतिहास में क्रांति कह सकते हैं। बौद्ध धर्म शुरू में दार्शनिक वाद-विवादों के जंजाल में फँसा नहीं था इसलिए यह सामान्य लोगों को भाया। यह विशेष रूप से निम्न वर्णों का समर्थन पा सका क्योंकि इसमें वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई है।

बौद्ध संघ का दरवाजा हर किसी के लिए खुला रहता था चाहे वह किसी भी जाति का क्यों न हो। संघ में प्रवेश का अधिकार स्त्रियों को भी था जिससे उन्हें पुरुषों की बराबरी प्राप्त होती थी। ब्राह्मण धर्म की तुलना में बौद्ध धर्म अधिक उदार और अधिक जनतांत्रिक था।

बौद्ध धर्म वैदिक क्षेत्र के बाहर के लोगों को अधिक भाया और वे लोग आसानी से इस धर्म में दीक्षित हुए। मगध के निवासी इस धर्म की ओर तुरंत उन्मुख हुए, क्योंकि कट्टर ब्राह्मण उन्हें नीच मानते थे और मगध आर्यों की पुण्य भूमि आर्यावर्त्त अर्थात आधुनिक उत्तर प्रदेश की सीमा के बाहर पड़ता था। अभी भी उत्तर बिहार के लोग गंगा के दक्षिण मगध में मरना पसंद नहीं करते हैं।

बुद्ध के व्यक्तित्व और धर्मोपदेश की प्रणाली दोनों ही बौद्ध धर्म के प्रचार में सहायक हुए। वे भलाई करके बुराई को भगाने तथा प्रेम करके घृणा को भगाने का सयास करते थे। निंदा और गाली से उन्हें क्रोध नहीं आता था।

कठिन स्थितियों में भी वे धीर और शांत बने रहते थे और अपने विरोधियों का सामना चातुर्य और प्रत्युत्पन्नमति से करते थे। कहा जाता है कि एक बार एक अज्ञानी व्यक्ति ने उन्हें गालियाँ दीं। वे चुपचाप सुनते रहे।

उस व्यक्ति का गाली देना बंद हुआ तो उन्होंने पूछा "वत्स, यदि कोई दान को स्वीकार नहीं करे तो उस दान का क्या होगा ?" विरोधी ने उत्तर दिया, "वह देने वाले के पास ही रह जाएगा।" तब बुद्ध ने कहा, "वत्स, में तुम्हारी गालियाँ स्वीकार नहीं करता।"

जनसाधारण की भाषा पालि को अपनाने से भी बौद्ध धर्म के प्रचार में बल मिला। इससे आम जनता बौद्ध धर्म सुगमता से समझ पाई। गौतम बुद्ध ने संघ की स्थापना की जिसमें हर व्यक्ति जाति या लिंग के भेद के बिना प्रवेश कर सकता था।

भिक्षुओं के लिए एक ही शर्त थी कि उन्हें संघ के नियमों का निष्ठापूर्वक पालन करना होगा। बौद्ध संघ में शामिल होने के बाद इसके सदस्यों को इंद्रियनिग्रह अपरिग्रह (धनहीनता) और श्रद्धा का संकल्प लेना पड़ता था।

इस प्रकार बौद्ध धर्म के तीन प्रमुख अंग थे: बुद्ध, संघ और धम्म। संघ के तत्त्वावधान में सुगठित प्रचार की व्यवस्था होने से बुद्ध के जीवनकाल में ही बौद्ध धर्म ने तेजी से प्रगति की। मगध कोसल और कौशांबी के राजाओं अनेक गणराज्यों और उनकी जनता ने बौद्ध धर्म को अपना लिया।

बुद्ध के निर्वाण के दो सौ साल बाद प्रसिद्ध मौर्य सम्राट् अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। यह युग-प्रवर्त्तक घटना सिद्ध हुई। अशोक ने अपने धर्मदूतों के द्वारा इस धर्म को मध्य एशिया पश्चिमी एशिया और श्रीलंका में फैलाया और इसे विश्व धर्म का रूप दिया।

आज भी श्रीलंका बर्मा और तिब्बत में तथा चीन और जापान के कुछ भागों में बौद्ध धर्म प्रचलित है। अपनी जन्मभूमि से तो यह धर्म लुप्त हो गया परंतु दक्षिण एशिया दक्षिण-पूर्व एशिया और पूर्वी एशिया के देशों में जीता-जागता है।

4. बौद्ध धर्म के ह्रास के कारण

ईसा की बारहवीं सदी तक बौद्ध धर्म भारत से लगभग लुप्त हो चुका था। परिवर्तित रूप में यह धर्म बंगाल और बिहार में ग्यारहवीं सदी तक रहा किंतु उसके बाद देश से यह पूर्णतः लुप्त हो गया। ऐसा क्यों हुआ ? हम देखते हैं कि आरंभ में हर धर्म सुधार की भावना से प्रेरित होता है, परंतु कालक्रमेण वह उन्हीं कर्मकांडों और अनुष्ठानों के जाल में फँस जाता है जिनकी वह आरंभ में निंदा करता है।

बौद्ध धर्म में भी स्वरूप-परिवर्तन का ऐसा ही चक्र चला। इसमें भी ब्राह्मण धर्म की वे बुराइयाँ घुस गईं जिनके विरुद्ध इसने आरंभ में लड़ाई छेड़ी थी। बौद्ध धर्म की चुनौती का मुकाबला करने के लिए ब्राह्मणों ने अपने धर्म को सुधारा। उन्होंने गोधन की रक्षा पर बल दिया तथा स्त्रियों और शूद्रों के लिए भी धर्म का मार्ग प्रशस्त किया। दूसरी ओर बौद्ध धर्म में विकृतियाँ आती गईं।

धीरे-धीरे बौद्ध भिक्षु जनजीवन की मुख्य धारा से कटते गए। उन्होंने जनसामान्य की भाषा पालि को छोड़ दिया और संस्कृत को ग्रहण कर लिया जो केवल विद्वानों की भाषा थी। ईसा की पहली सदी से वे बड़ी मात्रा में प्रतिमा-पूजन करने लगे और उपासकों से खूब चढ़ावा लेने लगे। इस चढ़ाव के अतिरिक्त बौद्ध विहारों को राजाओं से भी भारी-भारी संपत्ति के दान मिलने लगे।

इन सभी से बौद्ध भिक्षुओं का जीवन सुख का जीवन बन गया। नालंदा जैसे बौद्ध विहार तो दो-दो सौ गाँवों से कर तहसीलते थे। सातवीं सदी के आते-आते बौद्ध विहार विलासी लोगों के प्रभुत्व में आ गए और कुकर्मों के केंद्र बन गए जिनका गौतम बुद्ध ने कड़ाई से निषेध किया था। बौद्ध धर्म का यह नया रूप वज्रयान नाम से प्रसिद्ध हुआ।

विहारों में अपार संपत्ति और स्त्रियों के प्रवेश होने से उनकी स्थिति और भी बिगड़ी। बौद्ध भिक्षु नारी को भोग की वस्तु समझने लगे। कहा गया है कि एक समय बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा था, "यदि विहारों में स्त्रियों का प्रवेश न हुआ होता तो यह धर्म हजार वर्ष टिकता लेकिन जब स्त्रियों को प्रवेशाधिकार दे दिया गया है तो अब यह धर्म केवल पाँच सौ वर्ष टिकेगा।"

कहा जाता है कि ब्राह्मण शासक पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों को सताया। सताए जाने के कई उदाहरण ईसा की छठी-सातवीं सदियों में मिलते हैं। शैव संप्रदाय के हूण राजा मिहिरकुल ने सैकड़ों बौद्धों को मौत के घाट उतारा। गौड़ देश के शिवभक्त शशांक ने बोधगया में उस बोधिवृक्ष को काट डाला जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था।

हुआन सांग ने लिखा है कि 1600 स्तूप और विहार तोड़ डाले गए और हजारों भिक्षुओं और उपासकों को मार डाला गया। इसमें कुछ-न-कुछ सच्चाई अवश्य होगी। इस पर बौद्धों की प्रतिक्रिया कई देवमालाओं में देखी जा सकती हैं जहाँ बोधिसत्वों को हिंदू देवताओं के ऊपर खड़ा दिखाया गया है।

मध्यकाल के आरंभ में दक्षिण भारत में शैव और वैष्णव दोनों संप्रदायों के लोगों ने जैनों और बौद्धों का कड़ा विरोध किया। ऐसे संघर्षों से बौद्ध धर्म अवश्य कमजोर हुआ होगा। विहारों में अपार संपत्ति को देखकर तुर्की हमलावरों की ललचाई नजर उन पर पड़ी। ये विहार उन लोभी हमलावरों के विशेष लक्ष्य हो गए।

तुर्कों ने विहार में अनेक बौद्ध भिक्षुओं का संहार किया यद्यपि कुछ भिक्षु जान बचाकर नेपाल और तिब्बत भाग गए। बारहवीं सदी तक बौद्ध धर्म अपनी जन्मभूमि से लगभग गायब हो चुका था।

---

5. बौद्ध धर्म का महत्व और प्रभाव

संघबद्ध बौद्ध धर्म अंततः लुप्त हो जाने पर भी भारत के इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ गया। ईसा-पूर्व छठी सदी में पूर्वोत्तर भारत की जनता के सामने जो समस्याएँ खड़ी थीं उनकी ओर बौद्धों ने प्रबल जागरूकता दिखाई।

लोहे के फालवाले हल से चली खेती व्यापार और सिक्कों के प्रचलन से व्यापारियों और अमीरों को धन संचित करने का मौका मिला अस्सी कोटि धन वाले व्यक्ति की भी चर्चा

मिलती है। इन सभी से स्वभावतः सामाजिक और आर्थिक असमानता भारी मात्रा में उत्पन्न हुई।

इसलिए बौद्ध धर्म ने घोषणा की कि धन संचय नहीं करना चाहिए। इस धर्म के अनुसार घृणा क्रूरता और हिंसा से दरिद्रता जन्म लेती है। इन बुराइयों को दूर करने के लिए बुद्ध ने उपदेश दिया कि किसानों को बीज और अन्य सुविधाएँ मिलनी चाहिए, व्यापारियों को धन मिलना चाहिए और श्रमिकों को मजदूरी मिलनी चाहिए।

उन उपायों की अनुशंसा सांसारिक दरिद्रता को दूर करने के लिए की गई। बौद्ध धर्म यह भी उपदेश देता है कि जो दरिद्र व्यक्ति भिक्षुओं को भीख देगा वह अगले जन्म में धनवान होगा। भिक्षुओं के आचरण के लिए बनाई गई नियम संहिता ईसा-पूर्व छठी और पाँचवीं सदी वाले पूर्वोत्तर भारत की भौतिक स्थिति के प्रति हो रही प्रतिक्रिया की झलक देती है।

इसमें भिक्षुओं के भोजन परिधान और यौन संबंध पर अंकुश लगाए गए हैं। भिक्षु सोना और चांदी ग्रहण नहीं कर सकते थे खरीद-बिक्री नहीं कर सकते थे। ये नियम तो बुद्ध की मृत्यु के बाद शिथिल कर दिए गए; परंतु आरंभिक नियम एक प्रकार के आदिम साम्यवाद की ओर लौटने का संकेत देते हैं जो साम्यवाद हमें व्यापार और उन्नत खेती न करने वाले कबायली समाज में लक्षित होता है।

भिक्षुओं के लिए बनाए गए ये आचार-नियम पूर्वोत्तर भारत में ईसा-पूर्व पाँचवीं सदी में विकसित मुद्रा के प्रचलन निजी संपत्ति और विलासपूर्ण जीवन के विरुद्ध आशिक विद्रोह की झलक देते हैं। उन दिनों मुद्रा और संपत्ति विलास की वस्तुएँ मानी जाती थीं।

बौद्ध धर्म में ईसा-पूर्व पाँचवीं सदी के भौतिक जीवन में उत्पन्न बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न किया गया और साथ ही लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में हुए परिवर्तनों को स्थायी बनाने की ओर भी कदम उठाया गया। संघ में कर्जदारों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया।

इससे स्पष्टतः महाजनों और धनवानों को लाभ हुआ क्योंकि कर्जदार अब संघ में शामिल होकर उनके शिकंजे से मुक्त नहीं हो सकते थे। इसी प्रकार संघ ने दासों के प्रवेश-निषेध का नियम बनाया जो दासों के स्वामियों के लिए लाभकर हुआ। इस प्रकार गौतम बुद्ध के उपदेशों और नियमों में भौतिक जीवन में आए परिवर्तनों को ध्यान में रखा गया और सैद्धांतिक रूप से उसे दृढ़ बनाया गया।

यों तो बौद्ध भिक्षु संसार से विरक्त रहते और बार-बार लोभी ब्राह्मणों की निंदा करते थे फिर भी कई मामलों में ब्राह्मणों से उनका साम्य था। दोनों उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते थे और समाज से मिली भीख या दान पर जीते थे। दोनों ही बताते थे कि परिवार का पालन करना निजी संपत्ति की रक्षा करना और राजा का आदर करना अच्छा है।

दोनों वर्गमूलक समाज व्यवस्था के समर्थक थे। भेद इतना ही था कि भिक्षु वर्ण को गुण और कर्म के अनुसार मानते थे पर ब्राह्मण जन्म के आधार पर। निस्संदेह बौद्ध धर्म का लक्ष्य था मानव को मुक्ति या निर्वाण का मार्ग दिखाना। जो लोग पुराने कबायली समाज के विघटन और निजी संपत्ति के प्रचलन से उत्पन्न हुई घोर समाजिक असमानताओं को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे उन्हें बौद्ध धर्म में कुछ राहत मिली।

किंतु ऐसी राहत तो भिक्षुओं के लिए ही संभव था गृहस्थ अनुयायियों के लिए तो छुटकारे का कोई उपाय नहीं था। अतः उन्हें मौजूदा स्थिति से समझौता कर लेने का ही उपदेश दिया गया। बौद्ध धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों के लिए अपना द्वार खोलकर समाज पर गहरा प्रभाव जमाया।

ब्राह्मण धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों को एक ही दर्जे में रखा और उनके लिए न यज्ञोपवीत संस्कार का विधान किया और न वेदाध्ययन का। बौद्ध धर्म ग्रहण करने पर उन्हें इस अधिकारहीनता से मुक्ति मिल गई।

बौद्ध धर्म ने अहिंसा और जीवमात्र के प्रति दया की भावना जगाकर देश में पशुधन की वृद्धि की। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ सुत्तनिपात में गाय को भोजन रूप और सुख देने वाली (अन्नदा वन्नदा सुखदा) कहा गया है और इस कारण उसकी रक्षा करने का उपदेश दिया गया है।

यह उपदेश ऐन मौके पर आया जब आर्येतर लोग माँस के लिए और आर्य लोग धर्म के लिए पशुधन का संहार करते जा रहे थे। ब्राह्मण धर्म में गाय की पूजनीयता और अहिंसा पर जोर पड़ने का कारण स्पष्टतः बौद्ध धर्म के उपदेशों का प्रभाव था।

बौद्ध धर्म ने बौद्धिक और साहित्यिक जगत में भी चेतना जगाई। इसने लोगों को यह सुझाया कि किसी वस्तु को यों ही नहीं बल्कि भली-भांति गुणदोष का विवेचन करके ग्रहण करें। बहुत हद तक अंधविश्वास का स्थान तर्क ने ले लिया। इससे लोगों में बुद्धिवाद पनपा।

अपने नए धर्म के सिद्धांतों का प्रतिपादन करने के लिए बौद्धों ने नए प्रकार से साहित्यसर्जना की। उन्होंने अपने लेखन से पालि को समृद्ध किया। आरंभिक पालि साहित्य तीन कोटियों

में बाँटा जा सकता है। प्रथम कोटि में बुद्ध के वचन और उपदेश हैं दूसरी में संघ के सदस्यों द्वारा पालनीय नियम आते हैं और तीसरी में धम्म का दार्शनिक विवेचन है।

ईसा की प्रथम तीन सदियों में पालि और संस्कृत को मिला कर बौद्धों ने एक नई भाषा चलाई जिसे मिश्रित (hybrid) संस्कृत कहते है। बौद्धों की साहित्यिक गतिविधियाँ मध्ययुग में भी चलती रहीं। पूर्वी भारत की कुछ प्रख्यात अपभ्रंश कृतियाँ बौद्धों की देन हैं।

बौद्ध विहार महान विद्याकेंद्र हो गए, जिन्हें आवासी विश्वविद्यालय की संज्ञा दी जा सकती है। इनमें बिहार में नालंदा और विक्रमशिला तथा गुजरात में वलभी उल्लेखनीय हैं। प्राचीन भारत की कला पर बौद्ध धर्म का स्पष्ट प्रभाव है। भारत में पूजित पहली मानव-प्रतिमाएँ शायद बुद्ध की ही हैं।

श्रद्धालु उपासकों ने बुद्ध के जीवन की अनेक घटनाओं को पत्थरों में उकेरा। बिहार के गया में और मध्य प्रदेश के साँची और भरहुत में जो चित्रफलक (पैनल) मिले हैं वे बौद्ध कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। ईसा की पहली सदी से गौतम बुद्ध की फलक-प्रतिमाएँ बनने लगीं।

भारत के पश्चिमोत्तर सीमांत में यूनान और भारत के मूर्तिकारों ने मिलकर एक नई प्रकार की कला को जिसे गांधार कला कहते हैं जन्म दिया। इस प्रदेश में बनी प्रतिमाओं में देशी और विदेशी दोनों प्रभाव स्पष्ट हैं।

भिक्षुओं के निवास के लिए चट्टानों को काटकर कमरे बनाए जाने लगे और इस प्रकार गया की बराबर पहाड़ियों में और पश्चिम भारत में नासिक के आसपास की पहाड़ियों में गुहास्थापत्य की शुरुआत हुई। बौद्ध कला दक्षिण में कृष्णा डेल्टा में और उत्तर में मथुरा में फूली-फली।

सिख धर्म की विषेषताऐं :

एक वह ही सारी दुनिया का रचनाकार है. पालनहार तथा नाश करने वाला है. सिख्ख Sikh में धर्म एवं सदाचार साथ-साथ चलते है. आत्मीक प्रफुल्लता के लिए इखलाखी गुण एवं शुभ ग्रहण करने तथा उनको नित्य के जीवन में ढालना अति अनिवार्य है.

सच्चाई, दया , विशाल हृदय, संतोष, नम्रता आदि गुणों को जीवन में धारण करने के लिए विशेष प्रयासों एंव साधनो की आवश्यकता.

गुरु साहिबान की जीवनीयों से हमें पता लगता हैं कि उन्होंने कैसे शुभ गुणों वाले आदर्श जीवन जीयें. सिख्ख धर्म अवतार वाद में विश्वाश नही रखता.

भाव वह यह नही मानता कि परमात्मा मानवीय शरीर धारण करता है. वह देवी देवताओं में विश्वाश नही रखता. सिख्ख धर्म में रीति रिवाजों एवं कर्मकाण्डों का कोई स्थान नहीं है.

जैसे कि व्रत उपवास रखने, तीर्थ यात्रा करने, शगुन अपशगुन मानने पूर्णमासी अमावस्या, सक्रांति मनाना या तप आदि करने, मनुष्य के जन्म का उद्देश्य वाहेगुरु में अभेद होना हैं.

यह अवस्था गुरु के उपदेश पर चलकर सच्चे नाम का स्मरण करके तथा सेवा एवं जरूरतमंदो की सहायता करके ही प्राप्त हो सकती है. नाम स्मरण को कीर्तन का एक बढिया साधन माना गया है.

सिख्ख धर्म भक्ति मार्ग अथवा प्रेम का मार्ग है. लेकिन साथ ही यह ज्ञान एवं कर्म मार्ग के महत्व को भी मान्यता देता है. आत्मिक उन्नती के वास्तविक निशान पर पहूंचने के लिए आकाश-पुरब की कृपा प्राप्त करना भी सिख्ख धर्म मे अति अनिवार्य है.

- सिख्ख धर्म एक नया वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक धर्म है.
- सिख्ख फिलोसाफी के अनुसार पारिवारिक जीवन मुक्ति की प्राप्ति हेतु कोई बंधन नहीं है.
- विश्व के दुखों क्लेशो एवं लोभ लालचों मे विचरते हुए भी मनुष्य को इनसे निर्लेभ रहने की आवष्यकता है.
- एक धैर्यवान सिख्ख ने इस जगत में रहना लेकिन उसने अपना ध्यान इन साांसारिक समस्याओं एवं झंझटों से दूर रखना है.
- गुरु साहिब जी का उद्देश्य था कि जीवन का एक विशेष मनोरथ एवे विशेष लक्ष्य है.
- अपने आप की पहचान करते तथा ईष्वर की प्राप्ति हेतु यह मानवीय जीवन का अवसर प्राप्त हुआ है
- लेकिन साथ ही मनुष्य को अपने किये कर्मो का फल भुगतना पडेगा। वह अपने किये कर्मों के फल भुगतने से बच नहीं सकता अतः कार्य करने के समय. उसको बहुत सावधान रहना चाहिए ।
- सबसे महत्वपूर्ण बात यह हैं कि श्री गुरुग्रंथ साहिब युगों-युग अटल गुरु है।
- सिख ही एक ऐसा धर्म हैं जिसने कि अपनी पवित्र धर्मग्रंथ को धार्मिक शिक्षा दाता गुरु का दर्जा दिया है।

- दस गुरु साहिबों के पश्ताप सिख्ख धर्म में देहधारी गुरु का कोई स्थान नही है।
- गुरु की आत्मा ग्रंथ में एवं शारीर पंथ में सिख्ख धर्म का अद्वितिय सिद्धांत है।
- जाति पाति का विराध एवं मानवीय एकता धर्म एवं राजनीति का सुमेल, भक्ति एवं शक्ति की रथ करना तथा बांटकर खाना, जीवित रहने ही माया एवं बंधनों और विकारों से मुक्ति, संगत एवं पंगत किसी पुजारी श्रैणी का ना होना स्त्री-पुरुष समानता, धार्मिक स्वतंत्रता एवं
- अत्याचारों के विरोध में कुर्बानी से पीछे न हटना आदि सिख्ख धर्म की विशेषताएं है।

- गुरु नानक देव से गुरु गोविन्दसिह तक सभी सिख्ख गुरु केश धारी थे। यहां तक कि गुरुग्रंथ साहिब में जिन भक्तों एवं संतो की वाणी दर्ज हैं वे सभी भी केषधारी थे।
- इसका स्पष्ट प्रमाण गुरुग्रंथ साहिब में भी मिलता है।
- प्रत्येंक सिख्ख का केशधारी होना बहुत जरूरी है। केशों का अपमान करके सिख्ख, सिख्ख नही रहता वह पतित हो जाता है। कोई
- व्यक्ति जिसके केष रोम-बाल संपूर्ण नहीं है, वह सिख्ख नही कहला सकता ।
- सिख्ख मतलब शिष्य और जो शिष्य अपने गुरु की आज्ञा न माने वह शिष्य सिख्ख कैसा।

ईसाई धर्म के महत्वपूर्ण तथ्य (Importante Facts of Christianity)

* ईसाई धर्म की स्थापना ईश्वर पुत्र 'ईसा मसीह' ने की।
* ईसाई धर्म का मुख्य ग्रंथ 'बाइबल' है, जो दो खंड 'पूर्वविधान' व 'नवविधान' के रूप में विभाजित है।
* ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम के पास बैथलेहम में हुआ था।
* ईसा मसीह की माता का नाम 'मैरी' और पिता का नाम 'जोसेफ' था।
* ईसा मसीह ने अपने जीवन के 30 साल एक बढ़ई के रूप में बैथलेहम के पास नाजरथ में बिताए।
* ईसाइयों में बहुत से समुदाय हैं मसलन कैथोलिक, प्रोटैस्टैंट, आर्थोडॉक्स, मॉरोनी, एवनजीलक।
* क्रिसमस, 25 दिसंबर को ईसा मसीह के जन्मदिन के उपलक्ष में मनाया जाता है।
* ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिह्न क्रॉस है।
* ईसाई एकेश्वरवाद में विश्वास रखते हैं। लेकिन परमपिता, उनके पुत्र ईसा मसीह और पवित्र आत्मा को भी त्रीक के रूप में मानते हैं।

भारत में ईसाई धर्म (Christianity in India)

भारत में ईसाई धर्म का प्रचार ईसा मसीह के प्रमुख शिष्यों में से एक संत टामस ने प्रथम शताब्दी में चेन्नई में आकर किया था। भारत के कुछ इसाईयों ने पोप की सत्ता को मानने से इंकार किया और 'जेकोबाइट' चर्च की स्थापना की। भारत के केरल राज्य में कैथोलिक चर्च की तीन शाखाएँ है:

* सीरियन मलाबारी।
* सीरियन मालाकारी और।
* लैटिन। भारत में रोमन कैथोलिक चर्च की लैटिन शाखा के भी दो शाखाएँ हैं: ।
* गोवा, मंगलोर, महाराष्ट्रियन समूह: यह समूह पश्चिमी सभ्यता एवं विचारों से प्रभावित था।।
* तमिल समूह शुरुआत से ही अपनी प्राचीन भाषा व संस्कृति से जुड़ा हुआ है।

इस्लाम धर्म का इतिहास और महत्व पूर्ण तथ्या

> इस्लाम शब्द का अर्थ है:'अल्लाह को समर्पण'. इस प्रकार मुसलमान वह है, जिसने अपने आपको अल्लाह को समर्पित कर दिया.

इस्लाम एकेश्वरवादी धर्म है, जो अल्लाह की तरफ से अंतिम रसूल और नबी, मुहम्मद द्वारा इंसानों तक पहुंचाई गई अंतिम ईश्वरीय किताब कुरान की शिक्षा पर स्थापित है. इस्लाम शब्द का अर्थ है: 'अल्लाह को समर्पण'. इस प्रकार मुसलमान वह है, जिसने अपने आपको अल्लाह को समर्पित कर दिया. यानी कि इस्लाम धर्म के नियमों पर चलने लगा. इस्लाम धर्म का आधारभूत सिद्धांत अल्लाह को

सर्वशक्तिमान, एकमात्र ईश्वर और जगत का पालक और हजरत मुहम्मद को उनका संदेशवाहक या पैगम्बर मानना है. यही बात उनके 'कलमे' में दोहराई जाती है: 'ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह'. यानी कि 'अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई दूसरा (दूसरी सत्ता) नहीं और मुहम्मद उसके रसूल या पैगम्बर.'

इस्लामधर्म से जुड़े महत्वगपूर्णतथ्य':

(1) इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मुहम्मद थे.

(2) हजरत मुहम्मद का जन्म 570 ई. में मक्का में हुआ था.

(3) हजरत मुहम्मद को 610 ई. में मक्का के पास हीरा नाम की गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी.

(4) 24 सिंतबर को पैगंबर की मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत के नाम से जानी जाती है.

(5) हजरत मुहम्मद की शादी 25 साल की उम्र में खदीजा नाम की विधवा से हुई.

(6) हजरत मुहम्मद की बेटी का नाम फतिमा और दामाद का नाम अली हुसैन है.

(7) देवदूत ग्रैब्रियल ने पैगम्ब र मुहम्मद को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की.

(8) कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है.

(9) पैगंबर मुहम्मद ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया.

(10) हजरत मुहम्मद की मृत्यु 8 जून 632 ई. को हुई. इन्हें मदीना में दफनाया गया.

(11) हजरत मुहम्मद की मृत्यु के बाद इस्लाम शिया और सुन्नी दो पंथों में बंट गया.

(12) सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास रखते हैं. सुन्ना हजरत मुहम्मद के कथनों और कार्यों का

विवरण है.

(13) शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास रखते हैं और उन्हें हजरत मुहम्मद का उत्तराधिकारी मानते हैं. अली, हजरत मुहम्मद के दामाद थे.

(14) अली की सन 661 में हत्या कर दी गई थी. अली के बेटे हुसैन की हत्या 680 में कर्बला में की गई थी. इन हत्याओं ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया.

(15) हजरत मुहम्मद के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए.

(16) इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ई. तक रहा. 1924 में इसे तुर्की के शासक मुस्तफा कमालपाशा ने खत्म कर दिया.

(17) इब्न ईशाक ने सबसे पहले हजरत मुहम्मद का जीवन चरित्र लिखा था.

(18) हजरत मुहम्मद के जन्मदिन को ईद-ए-मिलाद-उन-नबी के नाम से मनाया जाता है.

सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा

प्रस्तावना

मोहनदास करमचंद गांधी

अनुवाद - काशीनाथ त्रिवेदी

चार या पाँच वर्ष पहले निकट के साथियों के आग्रह से मैंने आत्मकथा लिखना स्वीकार किया और उस आरंभ भी कर दिया था। किंतु फुल-स्केप का एक पृष्ठ भी पूरा नहीं कर पाया था कि इतने में बंबई की ज्वाला प्रकट हुई और मेरा काम अधूरा रह गया। उसके बाद तो मैं एक के बाद एक ऐसे व्यवसायों में फँसा कि अंत में मुझे यरवडा का अपना स्थान मिला। भाई जयरामदास भी वहाँ थे। उन्होंने मेरे सामने अपनी यह माँग रखी कि दूसरे सब काम छोड़कर मुझे पहले अपनी आत्मकथा ही लिख डालनी चाहिए। मैंने उन्हें जवाब दिया कि मेरा अभ्यास-क्रम बन चुका है और उसके समाप्त होने तक मैं आत्मकथा का आरंभ नही कर सकूँगा। अगर मुझे अपना पूरा समय यरवडा में बिताने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो मैं जरूर आत्मकथा वहीं लिख सकता था। परंतु अभी अभ्यास क्रम की समाप्ति में भी एक वर्ष बाकी था कि मैं रिहा कर दिया गया। उससे पहले मैं किसी तरह आत्मकथा का आरंभ भी नहीं कर सकता था। इसलिए वह लिखी नहीं जा सकी। अब स्वामी आनंद ने फिर वही माँग की है। मैं दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास लिख चुका हूँ, इसलिए आत्मकथा लिखने को ललचाया हूँ। स्वामी की माँग तो यह थी कि मैं पूरी कथा लिख डालूँ और फिर वह पुस्तक के रूप में छपे। मेरे पास इकट्ठा

इतना समय नहीं है। अगर लिखूँ तो 'नवजीवन' के लिए ही मैं लिख सकता हूँ। मुझे 'नवजीवन' के लिए कुछ तो लिखना ही होता है। तो आत्मकथा ही क्यों न लिखूँ? स्वामी ने मेरा यह निर्णय स्वीकार किया और अब आत्मकथा लिखने का अवसर मुझे मिला।

किंतु यह निर्णय करने पर एक निर्मल साथी ने, सोमवार के दिन जब मैं मौन में था, धीमे से मुझे यों कहा : 'आप आत्मकथा क्यों लिखना चाहते हैं? यह तो पश्चिम की प्रथा है। पूर्व में तो किसी ने लिखी जानी नहीं। और लिखेंगे क्या? आज जिस वस्तु को आप सिद्धांत के रूप में मानते हैं, उसे कल मानना छोड़ दें तो? अथवा सिद्धांत का अनुसरण करके जो भी कार्य आज आप करते हैं, उन कार्यों में बाद में हेरफेर करें तो? बहुत से लोग आपके लेखों को प्रमाणभूत समझकर उनके अनुसार अपना आचरण गढ़ते हैं। वे गलत रास्ते पर चले जाएँ तो? इसलिए सावधान रहकर फिलहाल आत्मकथा जैसी कोई चीज न लिखें तो क्या ठीक न होगा?'

इस दलील का मेरे मन पर थोड़ा-बहुत असर हुआ। लेकिन मुझे आत्मकथा कहाँ लिखनी हैं? मुझे तो आत्मकथा के बहाने सत्य के जो अनेक प्रयोग मैंने किए, उनकी कथा लिखनी है। यह सच है कि उनमें मेरा जीवन ओतप्रोत होने के कारण कथा एक जीवन-वृत्तांत जैसी बन जाएगी। लेकिन अगर उसके हर पन्ने पर मेरे प्रयोग ही प्रकट हों, तो मैं स्वयं उस कथा को निर्दोष मानूँगा। मै ऐसा मानता हूँ कि मेरे सब प्रयोगों का पूरा लेखा जनता के सामने रहे तो वह लाभदायक सिद्ध होगा अथवा यों समझिए कि यह मेरा मोह है। राजनीति के क्षेत्र में हुए मेरे प्रयोगों को तो अब हिंदुस्तान जानता है, यही नहीं बल्कि थोड़ी-बहुत मात्रा में सभ्य कही जाने वाली दुनिया भी जानती है। मेरे मन इसकी कीमत कम से कम है, और इसलिए इन प्रयोगों के द्वारा मुझे 'महात्मा' का जो पद मिला है, उसकी कीमत भी कम ही है। कई बार तो इस विशेषण ने मुझे बहुत अधिक दुख भी दिया है। मुझे ऐसा एक भी क्षण याद नहीं है जब इस विशेषण के कारण मैं फूल गया होऊँ। लेकिन अपने आध्यात्मिक प्रयोगों का, जिन्हें मैं ही जान सकता हूँ और जिनके कारण राजनीति के क्षेत्र में मेरी शक्ति भी जन्मी है, वर्णन करना मुझे अवश्य ही अच्छा लगेगा। अगर ये प्रयोग सचमुच आध्यात्मिक हैं तो इनमे गर्व करने की गुंजाइश ही नहीं। इनसे तो केवल नम्रता की ही वृद्धि होगी। ज्यों-ज्यों मैं विचार करता जाता हूँ, भूतकाल के अपने जीवन पर दृष्टि डालता हूँ, त्यो-त्यों अपनी अल्पता मैं स्पष्ट ही देख सकता हूँ। मुझे जो करना है, तीस वर्षों सें मैं जिसकी आतुर भाव से रट लगाए हुए हूँ, वह तो आत्म-दर्शन है, ईश्वर का साक्षात्कार है, मोक्ष है। मेरे सारे काम इसी दृष्टि से होते हैं। मेरा सब लेखन भी इसी दृष्टि से होता है, और राजनीति के क्षेत्र में मेरा पड़ना भी इसी वस्तु के अधीन है।

लेकिन ठेठ से ही मेरा यह मत रहा है कि जो एक के लिए शक्य है, वह सब के लिए शक्य है। इस कारण मेरे प्रयोग खानगी नहीं हुए, नहीं रहे। उन्हें सब देख सकें तो मुझे नहीं लगता कि उससे उनकी आध्यात्मिकता कम होगी। अवश्य ही कुछ चीजें ऐसी हैं, जिन्हें आत्मा ही जानती है, जो आत्मा में ही समा जाती हैं। परंतु ऐसी वस्तु देना मेरी शक्ति से परे की बात है। मेरे प्रयोगों में तो आध्यत्मिकता का मतलब है नैतिक, धर्म का अर्थ है नीति, आत्मा की दृष्टि से पाली गई नीति धर्म है। इसलिए जिन वस्तुओं का निर्णय बालक, नौजवान और बूढ़े करते हैं और कर सकते हैं, इस कथा में उन्हीं वस्तुओं का समावेश होगा। अगर ऐसी कथा मैं तटस्थ भाव से निरभिमान रहकर लिख सकूँ तो उसमें से दूसरे प्रयोग करनेवालों को कुछ सामग्री मिलेगी।

इन प्रयोगों के बारे में मैं किसी भी प्रकार की संपूर्णता का दावा नहीं करता। जिस तरह वैज्ञानिक अपने प्रयोग अतिशय नियम-पूर्वक, विचार-पूर्वक और बारीकी से करता है फिर भी उनसे उत्पन्न परिणामों को अंतिम नही कहता, अथवा वे परिणाम सच्चे ही हैं इस बारे में भी वह सशंक नहीं तो तटस्थ अवश्य रहता है, अपने प्रयोगों के विषय में मेरा भी वैसा ही दावा है। मैंने खूब आत्म-निरीक्षण किया है, एक-एक भाव की जाँच की है, उसका पृथक्करण किया है। किंतु उसमें से निकले हुए परिणाम सबके लिए अंतिम ही हैं, वे सच हैं अथवा वे ही सच हैं ऐसा दावा मैं कभी करना नहीं चाहता। हाँ, यह दावा मैं अवश्य करता हूँ कि मेरी दृष्टि से ये सच हैं और इस समय तो अंतिम जैसे ही मालूम पड़ते हैं। अगर न मालूम हों तो मुझे उनके सहारे कोई भी कार्य खड़ा नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं तो पग पग पर जिन जिन वस्तुओं को देखता हूँ उनके त्याज्य और ग्राह्य ऐसे दो भाग

कर लेता हूँ और जिन्हें ग्राह्य समझता हूँ उनके अनुसार अपना आचरण बना लेता हूँ। और जब तक इस तरह बना हुआ आचरण मुझे अर्थात मेरी बुद्धि को और आत्मा को संतोष देता हैं, तब तक मुझे उसके शुभ परिणामों के बारे में अविचलित विश्वास रखना ही चाहिए।

यदि मुझे केवल सिद्धांतों का अर्थात तत्वों का ही वर्णन करना हो तो यह आत्मकथा मुझे लिखनी ही नहीं चाहिए। लेकिन मुझे तो उन पर रचे गए कार्यों का इतिहास देना है और इसीलिए मैंने इन प्रयत्नों को 'सत्य के प्रयोग' जैसा पहला नाम दिया है। इसमें सत्य से भिन्न माने जाने वाले अहिंसा, ब्रह्मचर्य इत्यादि नियमों के प्रयोग भी आ जाएँगे। लेकिन मेरे मन सत्य ही सर्वोपरि है और उसमें अगणित वस्तुओं का समावेश हो जाता है। यह सत्य स्थूल (वाचिक) सत्य नही हैं। यह तो वाणी की तरह विचार का भी है। यह सत्य केवल हमारा कल्पित सत्य ही नहीं है, बल्कि स्वतंत्र चिरस्थायी सत्य है, अर्थात परमेश्वर है।

परमेश्वर की व्याख्याएँ अनगिनत हैं, क्योंकि उसकी विभूतियाँ भी अनगिनत हैं। ये विभूतियाँ मुझे आश्चर्यचकित करती हैं। क्षण भर के लिए ये मुझे मुग्ध भी करती हैं। किंतु मैं पुजारी तो सत्यरूपी परमेश्वर का ही हूँ। वह एक ही सत्य है और दूसरा सब मिथ्या है। यह सत्य मुझे मिला नहीं है लेकिन मैं इसका शोधक हूँ। इस शोध के लिए मैं अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु का त्याग करने को तैयार हूँ और मुझे यह विश्वास है कि इस शोधरूपी यज्ञ में इस शरीर को भी होम करने की मेरी तैयारी है और शक्ति है। लेकिन जब तक मैं इस सत्य का साक्षात्कार न कर लूँ, तब तक मेरी अंतरात्मा जिसे सत्य समझती है उस काल्पनिक सत्य को आधार मानकर, अपना दीपस्तंभ, उसके सहारे अपना जीवन व्यतीत करता हूँ।

यद्यपि यह मार्ग तलवार की धार पर चलने जैसा है, तो भी मुझे यह सरल से सरल लगा है। इस मार्ग पर चलते हुए अपनी भयंकर भूलें भी मुझे नगण्य सी लगी हैं, क्योंकि वैसी भूलें करने पर भी मैं बच गया हूँ और अपनी समझ के अनुसार आगे बढ़ा हूँ। दूर दूर से विशुद्ध सत्य की - ईश्वर की - झाँकी भी मैं कर रहा हूँ। मेरा यह विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है कि एक सत्य ही है, उसके अलावा दूसरा कुछ भी इस जगत में नहीं है। यह विश्वास किस प्रकार बढ़ता गया है, इसे मेरा जगत अर्थात 'नवजीवन' इत्यादि के पाठक जानकर मेरे प्रयोगों के साझेदार बनना चाहे और उस सत्य की झाँकी भी मेरे साथ करना चाहे तो भले करे। साथ ही, मैं यह भी अधिकाधिक मानने लगा हूँ कि जितना कुछ मेरे लिए संभव है, उतना एक बालक के लिए भी संभव है और इसके लिए मेरे पास सबल कारण हैं। सत्य की शोध के साधन जितने कठिन हैं उतने ही सरल हैं। वे अभिमानी को असंभव मालूम होंगे और एक निर्दोष बालक को बिल्कुल संभव लगेंगे। सत्य के शोधक को रजकण से भी नीचे रहना पड़ता है। सारा संसार रजकणों को कुचलता है पर सत्य का पुजारी तो जब तक इतना अल्प नहीं बनता कि रजकण भी उसे कुचल सके, तब तक उसके लिए स्वतंत्र सत्य की झाँकी भी दुर्लभ है। यह चीज वशिष्ठ विश्वामित्र के आख्यान में स्वतंत्र रीति से बताई गई है। ईसाई धर्म और इस्लाम भी इसी वस्तु को सिद्ध करते हैं।

मैं जो प्रकरण लिखनेवाला हूँ उनमें यदि पाठकों को अभिमान भास हो तो उन्हें अवश्य ही समझ लेना चाहिए कि मेरी शोध में खामी है और मेरी झाँकियाँ मृगजल के समान हैं। मेरे समान अनेकों का क्षय चाहे हो, पर सत्य की जय हो। अल्पात्मा को मापने के लिए हम सत्य का गज कभी छोटा न करें।

मैं चाहता हूँ कि मेरे लेखों को कोई प्रमाणभूत न समझे। यही मेरी बिनती है। मैं तो सिर्फ यह चाहता हूँ कि उसमें बताए गए प्रयोगों को दृष्टांतरूप मानकर सब अपने अपने प्रयोग यथाशक्ति और यथामति करें। मुझे विश्वास है कि इस संकुचित क्षेत्र में आत्मकथा के मेरे लेखों से बहुत कुछ मिल सकेगा, क्योंकि कहने योग्य एक भी बात मैं छिपाऊँगा नहीं। मुझे आशा है कि मैं अपने दोषों का खयाल पाठकों को पूरी तरह दे सकूँगा। मुझे सत्य को शास्त्रीय प्रयोगों का वर्णन करना है, मैं कितना भला हूँ इसका वर्णन करने की मेरी तनिक भी इच्छा नही है। जिस गज से स्वयं मैं अपने को मापना चाहता हूँ और जिसका उपयोग हम सब को अपने अपने विषय में करना चाहिए, उसके अनुसार तो मैं अवश्य कहूँगा कि :

मो सम कौन कुटिल खल कामी?

जिन तनु दियो ताहि बिसरायो
ऐसो निमकहरामी।

क्योंकि जिसे मैं संपूर्ण विश्वास के साथ अपने श्वासोच्छवास का स्वामी समझता हूँ जिसे मैं अपने नमक का देनेवाला मानता हूँ, उससे मैं अभी तक दूर हूँ, यह चीज मुझे प्रतिक्षण खटकती है। इसके कारणरूप अपने विकारों को मैं देख सकता हूँ पर उन्हें अभी तक निकाल नही पा रहा हूँ।

परंतु इसे यहीं समाप्त करता हूँ। प्रस्तावना में से मैं प्रयोग की कथा में नही उतर सकता। वह तो कथा प्रकरणों में ही मिलेगी।

आश्रम साबरमती
मार्गशीर्ष शुक्ल 11, 1982 मोहनदास करमचंद गांधी

****